स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India
संसदीय कार्य मंत्रालय
Ministry of Parliamentary Affairs
वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

विषय वस्तु

अध्याय-1 प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना 1

प्रस्तावना 1

संगठनात्मक संरचना 2

अध्याय-2 संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान.....4

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान 4

अध्याय-3 राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश.....7

राष्ट्रपति का अभिभाषण 7

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान 8

अध्यादेश 9

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2024 (अभी तक) तक प्रख्यापित अध्यादेश 9

अध्याय-4 संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण.....12

सरकारी कार्य 12

सरकारी कार्य की आयोजना 12

सरकारी कार्य का प्रबंधन 14

निष्पादित सरकारी कार्य का सार 14

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव 16

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प.....16

सरकारी समय का मुख्य आबंटन 17

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय 17

अन्य गैर-सरकारी कार्य 18

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या (1952 से 2024).....18

अध्याय-5 गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य.....20

लोक सभा - नियम 193 के अंतर्गत चर्चा.....20

नियम 342 के तहत प्रस्ताव.....20

राज्य सभा 21

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा.....21

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा.....22

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख.....22

दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.....23

दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 23

वर्ष 1952 से 2023 तक संसद द्वारा पारित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक.....24

लोक सभा में स्वीकृत गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प.....25

अध्याय-6 आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण.....26
सामान्य प्रक्रिया 26
लंबित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई 28
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन 28
अध्याय-7 लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख.....29
नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले.....29
नियम 180 ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख 29
अनुवर्ती कार्रवाई 30
प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई 30
अध्याय-8 परामर्शदात्री समितियां.....32
अध्याय-9 संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान.....35
संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडल का विदेश दौरा.....35
विदेशों से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक.....36
संसद सदस्यों के विदेश दौरे.....36
विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति.....37
विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति 37
अध्याय-10 युवा संसद योजना.....38
प्रस्तावना 38
शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता.....39
केन्द्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....40
जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 43
विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता.....45
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिताएं 48
"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल 48
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम और स्वच्छता ही सेवा समारोह.....49
अध्याय-11 मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग.....52
राजभाषा कार्यान्वयन समिति.....52
हिंदी सलाहकार समिति 52
हिंदी पखवाड़ा.....52
हिंदी कार्यशाला.....54
अध्याय-12 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा).....55
प्रस्तावना.....55
ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र.....57
वर्ष 2023 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम.....64
नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें.....78
नेवा पर गण्यमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां.....79
राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां.....80
नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति.....91
नेवा सारांश.....95

अध्याय-13 सामान्य.....97

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन.....97

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन 97

संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....97

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन.....98

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई.....98

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था 98

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन.....98

लोक नीति पर संवादात्मक सत्र.....99

संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं.....100

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क.....101

अनुसंधान कार्य.....102

बजट की स्थिति.....103

वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखा परीक्षा पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति.....104

दिव्यांगजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप.....104

स्वच्छता पखवाड़ा - 2023.....104

लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान.....106

संविधान दिवस समारोह, 2023.....107

परिशिष्ट-1.....114

परिशिष्ट-2.....115

परिशिष्ट-3.....120

परिशिष्ट-4क और 4ख.....122

परिशिष्ट-5.....125

परिशिष्ट-6.....127

परिशिष्ट-7.....137

परिशिष्ट-8.....143

परिशिष्ट-9.....145

परिशिष्ट-10.....150

परिशिष्ट-11.....152

परिशिष्ट-12.....156

परिशिष्ट-13.....157

परिशिष्ट-14.....162

अध्याय-1
प्रस्तावना और संगठनात्मक संरचना

प्रस्तावना

1.1 संसदीय प्रणाली की सरकार में, संसदीय प्रणाली के दिन-प्रतिदिन का कार्यचालन सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के समन्वय प्रयासों पर निर्भर करता है। संसदीय कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बहुत से जटिल मामले - वित्तीय, विधायी और गैर-विधायी शामिल होते हैं। संसद में सरकार की ओर से इस विविध संसदीय कार्य को कुशलतापूर्वक निपटाने का कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार मंत्रालय, संसद में सरकारी कार्य के संबंध में एक ओर सरकार एवं दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मई, 1949 में एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया था जो बृहत जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ शीघ्र ही यह एक सम्पूर्ण मंत्रालय बन गया।

1.2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए "भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961" के अधीन मंत्रालय को आबंटित कार्य **परिशिष्ट-1** में दिए गए हैं।

1.3 यह मंत्रालय संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाने और उनके सत्रावसान की तारीखों की सिफारिश करने के अतिरिक्त संसद में सरकारी कार्य की प्रगति पर नजर रखती है और ऐसे कार्य के सुचारू और कुशल संचालन के लिए यथा अपेक्षित निदेश देती है तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का अनुमोदन भी करती है।

1.4 मंत्रालय संसद में लम्बित विधेयकों, पुर:स्थापित किए जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में सरकार के मंत्रालयों/विभागों से निकट सम्पर्क बनाए रखता है। मंत्रालय संसद के दोनों सदनों में विधेयकों की प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखता है। संसद में विधेयकों का सुचारू पारण सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रायोजित करने वाले मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय, जोकि विधेयकों का प्रारूपण करता है, के अधिकारियों के सतत सम्पर्क में रहते हैं।

1.5 मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियां गठित करता है तथा सत्रावधि और अन्त:सत्रावधि दोनों के दौरान इनकी बैठकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध 40 परामर्शदात्री समितियां हैं। इन समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं से संबंधित दिशा-निर्देश इस मंत्रालय द्वारा मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किए गए हैं। मंत्रालय जब भी अपेक्षित हो, सरकार द्वारा गठित आयोगों, समितियों, निकायों इत्यादि पर संसद सदस्यों को नामित भी करता है।

1.6 यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के शीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है।

1.7 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है। संसदीय कार्य मंत्री विदेश दौरा करने वाले विभिन्न सरकारी शिष्टमण्डलों पर संसद सदस्यों का नामांकन करते हैं।

1.8 प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता जैसी स्वस्थ आदतों को डालने और उन्हें संसद के कार्यचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ऑफलाइन मोड की प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त, हाल ही में, भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ - "संविधान दिवस" मनाने के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री और संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया। वेब पोर्टल का उद्देश्य देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों को युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में लाना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

1.9 किसी भी देश में संसदविद् विदेश नीति को स्वरूप प्रदान करने और अन्य देशों से संबंध मजबूत करने में योगदान देते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, सरकार के लिए यह आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों का चयन करें ताकि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, उपलब्धियों, समस्याओं और भविष्य निरूपण को स्पष्ट करके उनको अपने पक्ष में करने के लिए अपनी सुविज्ञता और सेवाओं का प्रभावी रूप में उपयोग कर सकें। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय संसद सदस्यों के सरकारी शिष्टमण्डलों के विदेश दौरे प्रायोजित करता है और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों के भारत दौरों का आयोजन भी करता है।

1.10 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

संगठनात्मक संरचना

1.11 मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य कर रहा है जिसे दो राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नाम आदि निम्न प्रकार हैं:-

1.	श्री प्रल्हाद जोशी, कैबिनेट मंत्री	दिनांक 30.05.2019 से आगे।	
2.	श्री वी. मुरलीधरन, राज्य मंत्री (राज्य सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।	
3.	श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (लोक सभा)	दिनांक 30.05.2019 से आगे।	

संसदीय कार्य मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है:

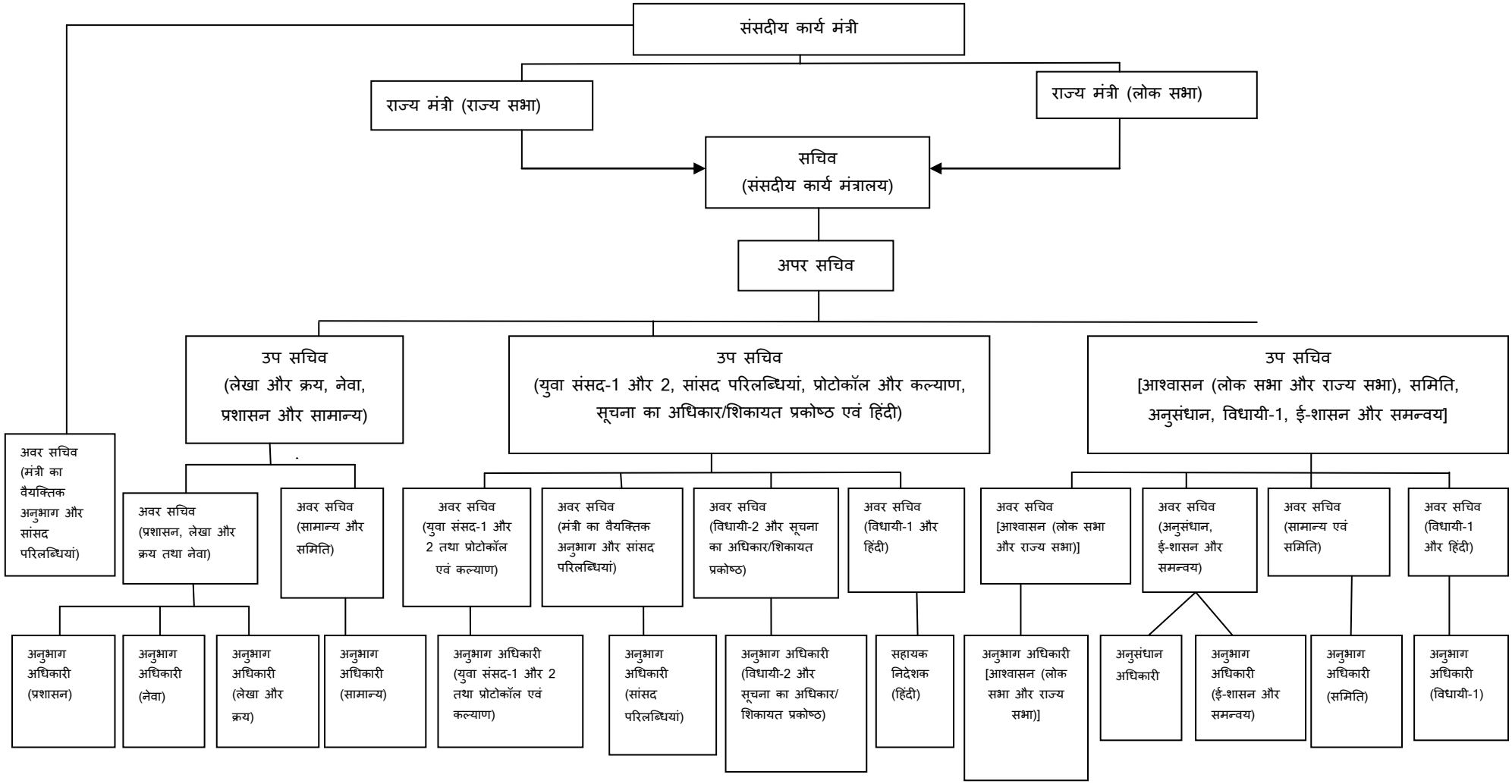

अध्याय-2

संसद के दोनों सदनों का बुलाया जाना और सत्रावसान

एक झलक

- दिनांक 1.1.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान पांच सत्रों में लोक सभा और राज्य सभा दोनों की 69 बैठकें हुईं।

सत्र का बुलाया जाना और सत्रावसान

2.1 संविधान के अनुच्छेद 85(1) के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद के प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय और स्थान पर बुला सकते/सकती हैं जैसा कि वे उचित समझें। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति सदनों अथवा किसी एक सदन का समय-समय पर सत्रावसान अथवा लोक सभा को भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए कार्य आबंटन नियमों के द्वारा यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए अपेक्षित समय और लोक हित के विषयों पर चर्चा के लिए संसद सदस्यों द्वारा समय-समय पर मांगे जाने वाले समय का निर्धारण किए जाने के पश्चात संसद के सत्र के प्रारम्भ किए जाने की तिथि और इसकी संभावित अवधि की सिफारिश करने के लिए एक टिप्पण (नोट) संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल की समिति के समक्ष रखा जाता है। प्रस्ताव (प्रस्तावों) पर संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, प्रधान मंत्री की सहमति मांगी जाती है। यदि संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति गठित नहीं की गई हो, तो प्रस्ताव (प्रस्तावों) सहित एक नोट मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति/कैबीनेट की सिफारिशों (सत्र आरंभ होने की तारीख के संबंध में) को राष्ट्रपति को उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख और उसकी समयावधि की सूचना लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को, संसद सदस्यों को समन जारी करने के लिए भेज दी जाती है।

सत्र

(i) बुलाया जाना

2.2 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा दोनों के तीन सत्र आयोजित हुए। इन सत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा			
सत्र	**अवधि**	**बैठकें**	**दिन**
11वां	31 जनवरी, 2023 से 06 अप्रैल, 2023	25	66
12वां	20 जुलाई, 2023 से 11 अगस्त, 2023	17	23
13वां	18 सितंबर, 2023 से 21 सितंबर, 2023	04	04
14वां	04 दिसंबर, 2023 से 21 दिसंबर, 2023	14	18
15वां	31 जनवरी, 2024 से 10 फरवरी, 2024	09	11

राज्य सभा			
259वां	31 जनवरी, 2023 से 06 अप्रैल, 2023	25	66
260वां	20 जुलाई, 2023 से 11 अगस्त, 2023	17	23
261वां	18 सितंबर, 2023 से 21 सितंबर, 2023	04	04
262वां	04 दिसंबर, 2023 से 21 दिसंबर, 2023	14	18
263वां	31 जनवरी, 2024 से 10 फरवरी, 2024	09	11

(ii) सत्रावसान

2.3 सदनों के सत्रावसान के प्रस्ताव के लिए संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, सरकार का निर्णय संसद के दोनों सचिवालयों को राष्ट्रपति के आदेश को जारी करने तथा इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने के लिए भेजा जाता है। संसद के दोनों सदनों का अनिश्चितकाल के लिए स्थगन और सत्रावसान की तारीखों का विवरण निम्नलिखित है:-

सत्रहवीं लोक सभा		
सत्र	**तारीख**	
	अनिश्चित काल के लिए स्थगन	**सत्रावसान**
11वां	06 अप्रैल, 2023	10 अप्रैल, 2023
12वां	11 अगस्त, 2023	12 अगस्त, 2023
13वां	21 सितंबर, 2023	26 सितंबर, 2023
14वां	21 दिसंबर, 2023	29 दिसंबर, 2023
15वां	10 फरवरी, 2024	15 फरवरी, 2024
राज्य सभा		
259वां	06 अप्रैल, 2023	10 अप्रैल, 2023
260वां	11 अगस्त, 2023	12 अगस्त, 2023
261वां	21 सितंबर, 2023	26 सितंबर, 2023
262वां	21 दिसंबर, 2023	29 दिसंबर, 2023
263वां	10 फरवरी, 2024	15 फरवरी, 2024

लोक सभा के लिए मतदान, गठन, पहली बैठक, कार्यकाल पूरा होने तथा उसके विघटन की तारीखें
(पहली से सत्रहवीं लोक सभा)

लोक सभा	मतदान की अंतिम तारीख	गठन की तारीख	पहली बैठक की तारीख	कार्यकाल पूरा होने की तारीख [संविधान का अनुच्छेद 83(2)]	भंग होने की तारीख
1	2	3	4	5	6
पहली	21.02.1952	02.04.1952	13.05.1952	12.05.1957	04.04.1957
दूसरी	15.03.1957	05.04.1957	10.05.1957	09.05.1962	31.03.1962
तीसरी	25.02.1962	02.04.1962	16.04.1962	15.04.1967	03.03.1967
चौथी	21.02.1967	04.03.1967	16.03.1967	15.03.1972	*27.12.1970

पांचवी	10.03.1971	15.03.1971	19.03.1971	18.03.1977	*18.01.1977
छठी	20.03.1977	23.03.1977	25.03.1977	24.03.1982	*22.08.1979
सातवीं	06.01.1980	10.01.1980	21.01.1980	20.01.1985	31.12.1984
आठवीं	28.12.1984	31.12.1984	15.01.1985	14.01.1990	27.11.1989
नौंवी	26.11.1989	02.12.1989	18.12.1989	17.12.1994	*13.03.1991
दसवीं	15.06.1991	20.06.1991	09.07.1991	08.07.1996	10.05.1996
ग्यारहवीं	07.05.1996	15.05.1996	22.05.1996	21.05.2001	*04.12.1997
बारहवीं	07.03.1998	10.03.1998	23.03.1998	22.03.2003	*26.04.1999
तेरहवीं	04.10.1999	10.10.1999	20.10.1999	19.10.2004	*06.02.2004
चौदहवीं	10.05.2004	17.05.2004	02.06.2004	01.06.2009	18.05.2009
पंद्रहवीं	13.05.2009	18.05.2009	01.06.0209	31.05.2014	18.05.2014
सोलहवीं	12.05.2014	18.05.2014	04.06.1204	03.06.2019	25.05.2019
सत्रहवीं	19.05.2019	25.05.2019	17.06.1209	16.06.2024	--

*1. मध्यावधि चुनाव हुए थे, चुनावों से पहले ही लोक सभा भंग कर दी गई थी।

2. कॉलम (2) में दी गई मतदान की अंतिम तारीखें निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अध्याय-3

राष्ट्रपति का अभिभाषण और अध्यादेश

राष्ट्रपति का अभिभाषण

3.1 संविधान का अनुच्छेद 87(1) आज्ञापक है क्योंकि यह राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारम्भ में और प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में भी संसद के दोनों सदनों की समवेत बैठक में अभिभाषण करने के लिए आदिष्ट करता है।

3.2 अनुच्छेद 87 के खंड (2) के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर चर्चा के लिए लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों में प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों में चर्चा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा पेश और अनुमोदित किए गए धन्यवाद के प्रस्ताव पर होती है। इन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद के संबंधित सचिवालय को भेजा जाता है। अभिभाषण पर चर्चा काफी व्यापक होती है और सदस्य किसी भी विषय पर चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यहां तक जिन मामलों का अभिभाषण में विशिष्ट उल्लेख नहीं हो, उन पर भी सदस्यगण अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन पेश करके अथवा चर्चा में भाग लेकर बोलते हैं। अभिभाषण में उल्लिखित किसी भी बात के लिए राष्ट्रपति के पद की आलोचना नहीं की जाती है क्योंकि अभिभाषण सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। आलोचना यदि की जानी है तो सरकार की होनी चाहिए।

3.3 राष्ट्रपति द्वारा कलैंडर वर्ष 2023 के पहले सत्र के आरंभ में **31 जनवरी, 2023** को अभिभाषण दिया गया था। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

सत्रहवीं लोक सभा का 11वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (प्रस्तावक) श्री उदय प्रताप सिंह (अनुमोदक)	2, 3, 6 और 7 फरवरी, 2023 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 259वां सत्र	
डॉ. के. लक्ष्मण (प्रस्तावक) श्री प्रकाश जावड़ेकर (अनुमोदक)	2, 6, 7 और 8 फरवरी, 2023 (स्वीकृत)

3.4 राष्ट्रपति द्वारा कलैंडर वर्ष 2024 के पहले सत्र के आरंभ में **31 जनवरी, 2024** को अभिभाषण दिया गया था। नीचे दी गई तालिका में धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावकों और अनुमोदकों के नाम और उस पर चर्चा की तारीखें दर्शाई गई हैं:-

सत्रहवीं लोक सभा का 15वां सत्र	
धन्यवाद प्रस्ताव के प्रस्तावक और अनुमोदक का नाम	चर्चा की तारीखें
डॉ. हिना गावीत (प्रस्तावक) श्री एस.पी. सिंह बघेल (अनुमोदक)	2 और 5 फरवरी, 2024 (स्वीकृत)
राज्य सभा का 263वां सत्र	
सुश्री कविता पाटीदार (प्रस्तावक) श्री विवेक ठाकुर (अनुमोदक)	2, 5, 6 और 7 फरवरी, 2024 (स्वीकृत)

अध्यादेशों के बारे में प्रावधान

3.5 अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि किसी समय (जब संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो) राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण उनको तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो वे परिस्थितियों की अपेक्षानुसार ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ऐसे अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान शक्तिमान और प्रभावी होंगे। लेकिन उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम नहीं हो। उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि अध्यादेशों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। इसका निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पेश करने के लिए भी प्रावधान है। संविधान के अन्तर्गत एक अध्यादेश संसद के पुन: समवेत होने की तारीख से छ: सप्ताह की समाप्ति पर अथवा यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उसका निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाते हैं तो इनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर, निष्प्रभावी हो जाता है। जब संसद के सदनों के सत्रारम्भ भिन्न-भिन्न तारीखों को होते हैं तो छ: सप्ताह की अवधि की गणना इसमें से बाद की तारीख से की जाएगी।

3.6 दोनों सदनों के प्रक्रिया नियमों में अध्यादेशों के प्रख्यापन के लिए परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले विवरण सभा-पटल पर रखने का प्रावधान किया गया है ताकि अध्यादेशों पर विचार करते समय सदस्यगण उसका उपयोग कर सकें।

3.7 संसदीय कार्य मंत्रालय अध्यादेशों की प्रतियों को सभा-पटल पर रख कर, मंत्रालयों से स्पष्टीकरण-विवरण को सभा-पटल पर रखने का निवेदन करके और संबंधित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर विचार के साथ-साथ उनके प्रतिस्थापन में विधेयकों पर विचार के लिए समय की व्यवस्था करके भारत के संविधान तथा संसद के दोनों सदनों के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करता है। यह सारी कार्रवाई संविधान में निर्धारित छ: सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

अध्यादेश

3.8 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, **01 अध्यादेश** प्रख्यापित किया गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों द्वारा अध्यादेश की एक प्रति अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखी गई। इसके प्रख्यापन, सभा पटल पर रखने, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापन आदि की तारीख संबंधी विविध विवरण नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	अध्यादेश का नाम और प्रख्यापन की तारीख	सभा पटल पर रखने की तारीख		अध्यादेश के प्रतिस्थापक विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख	विधेयक के विचारण और पारण की तारीख		स्वीकृति की तारीख और अधिनियम संख्या
		लोक सभा	राज्य सभा		लोक सभा	राज्य सभा	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन **(**संशोधन**)** अध्यादेश, 2023	20.07.2023	20.07.2023	01.08.2023 (लो.स.)	03.08.2023	07.08.2023	2023 का 19 11.08.2023

राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 1952 से 2024 (अभी तक) तक प्रख्यापित अध्यादेश

वर्ष	**प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या**	**वर्ष**	**प्रख्यापित अध्यादेशों की संख्या**
1952	09	1953	07
1954	09	1955	07
1956	09	1957	06
1958	07	1959	03
1960	01	1961	03
1962	08	1963	-
1964	03	1965	07
1966	13	1967	09
1968	13	1969	10
1970	05	1971	23
1972	09	1973	04
1974	15	1975	29
1976	16	1977	16
1978	06	1979	10
1980	10	1981	12
1982	01	1983	11
1984	15	1985	08
1986	08	1987	10
1988	07	1989	02
1990	10	1991	09

1992	21	1993	34
1994	14	1995	15
1996	32	1997	31
1998	20	1999	10
2000	05	2001	12
2002	07	2003	08
2004	08	2005	04
2006	03	2007	08
2008	08	2009	09
2010	04	2011	03
2012	01	2013	11
2014	09	2015	12
2016	10	2017	07
2018	9	2019	16
2020	14	2021	10
2022	00	2023	01
2024	00		

औसत लोक सभा-वार = 725/17=42.64 अध्यादेश प्रति लोक सभा
औसत वर्ष-वार = 725/72=9.93 अध्यादेश प्रतिवर्ष
समग्र औसत = 725/72=9.93 अध्यादेश प्रतिवर्ष

टिप्पणी: अध्यादेश प्रख्यापित किए जाने वाले वर्षों के दौरान केन्द्र में सत्ता में रही सरकारों की स्थिति निम्नलिखित है:-

पहली लोक सभा:	2 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
दूसरी लोक सभा:	5 अप्रैल, 1957 से 31 मार्च, 1962 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू)
तीसरी लोक सभा:	2 अप्रैल, 1962 से 3 मार्च, 1967 तक; राष्ट्रीय कांग्रेस (पंडित जवाहर लाल नेहरू, 1 अप्रैल, 1962 से 27 मई, 1964 तक; श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 तक; श्री लाल बहादुर शास्त्री दिनांक 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966 तक और श्री गुलजारी लाल नन्दा दिनांक 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966 तक तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी दिनांक 24 जनवरी, 1966 से 3 मार्च, 1967 तक)
चौथी लोक सभा:	4 मार्च, 1967 से 27 दिसम्बर, 1970 तक; कांग्रेस(आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 4 मार्च, 1967 से 15 मार्च, 1971 तक)
पांचवी लोक सभा:	15 मार्च, 1971 से 18 जनवरी, 1977 तक; कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी)
छठी लोक सभा:	23 मार्च, 1977 से 22 अगस्त, 1979 तक; कांग्रेस (आई)/जनता पार्टी (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 18 जनवरी, 1977 से 24 मार्च, 1977 तक) (श्री मोरारजी देसाई, दिनांक 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई,

	1979 तक और चौधरी चरण सिंह, दिनांक 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक)
सातवीं लोक सभा:	10 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक: कांग्रेस (आई) (श्रीमती इन्दिरा गांधी, दिनांक 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984 तक और श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से 31 दिसम्बर, 1984 तक)
आठवीं लोक सभा:	31 दिसम्बर, 1984 से 27 नवम्बर, 1989 तक: कांग्रेस (आई) (श्री राजीव गांधी, दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 से 2 दिसम्बर, 1989 तक)
नौवीं लोक सभा:	2 दिसम्बर, 1989 से 13 मार्च, 1991 तक: (श्री वी.पी. सिंह, दिनांक 2 दिसम्बर, 1989 से 10 नवम्बर, 1990 तक और श्री चन्द्रशेखर, दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 21 जून, 1991 तक)
दसवीं लोक सभा:	20 जून, 1991 से 10 मई, 1996 तक: कांग्रेस (आई) (श्री पी.वी. नरसिम्हाराव, दिनांक 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996 तक)
ग्यारहवीं लोक सभा:	15 मई, 1996 से 4 दिसम्बर, 1997 तक: भारतीय जनता पार्टी/संयुक्त मोर्चा (1) (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996 तक) (2) (श्री एच.डी. देवेगौड़ा, दिनांक 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997 तक और श्री आई.के. गुजराल दिनांक 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998 तक)
बारहवीं लोक सभा:	10 मार्च, 1998 से 26 अप्रैल, 1999 तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 19 मार्च, 1998 से 13 अक्तूबर, 1999 तक)
तेरहवीं लोक सभा:	10 अक्तूबर, 1999 से 6 फरवरी, 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दिनांक 13 अक्तूबर, 1999 से 22 मई, 2004 तक)
चौदहवीं लोक सभा	17 मई, 2004 से 18 मई, 2009 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2004 से 22 मई, 2009 तक)
पंद्रहवीं लोक सभा	18 मई, 2009 से 17 मई, 2014 तक भा.रा.कां. के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (डॉ. मनमोहन सिंह, 22 मई, 2009 से 26 मई, 2014 तक)
सोलहवीं लोक सभा	18 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 26 मई, 2014 से 25 मई, 2019 तक)
सत्रहवीं लोक सभा	25 मई, 2019 से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी, 30 मई, 2019 से)

अध्याय-4

संसद में सरकारी कार्य और संसदीय समय का वितरण

<u>एक झलक</u>

- वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत किया गया।
- वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया।
- संसद के दोनों सदनों द्वारा 61 विधेयक पारित किए गए।

सरकारी कार्य

4.1 संसदीय प्रजातंत्र में संसद के समक्ष मुख्य कार्य, सरकारी कार्य से संबंधित होता है। अत: सरकारी कार्य की आयोजना ने बहुत महत्ता अर्जित कर ली है। यह सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह देखे कि इस कार्य के लिए समय का ठीक और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में यह प्रावधान है कि सरकारी कार्य के निष्पादन के लिए नियत किए गए दिनों में सरकारी कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और इस कार्य की व्यवस्था ऐसे क्रम में होगी जैसा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, संबंधित सदनों के नेताओं के परामर्श से निर्धारित करें। सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय का यह कार्य संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए मंत्रालय, संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति के निर्देशानुसार कार्य करता है।

4.2 संसद सत्र के दौरान शुक्रवार को ढाई घंटे तथा प्रतिदिन प्रश्न काल को छोड़कर करीब-करीब पूरा समय सरकारी कार्य के लिए सरकार की व्यवस्था में रहता है। तथापि, सरकार अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार के लिए सदस्यों द्वारा समय-समय पर की गई मांग पर और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार हेतु समय देने के लिए आसानी से सहमत हो जाती है।

सरकारी कार्य की आयोजना

4.3 संसद के सत्र की शुरूआत से पर्याप्त समय पूर्व, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से संसद के आगामी सत्र के दौरान विचार के लिए उनके विधायी और गैर-विधायी प्रस्तावों का विवरण देने का अनुरोध किया जाता है। तथापि, सत्र का कार्यक्रम केवल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर ही तैयार नहीं किया जाता है। मंत्रालय विधेयकों के मसौदे तैयार होने की स्थिति के बारे में पता करने के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ सूचना की दुबारा जांच करता है। ऐसी बैठकें 17 जनवरी, 2023 को बजट सत्र, 2023 से पहले, 4 जुलाई, 2023 को मानसून सत्र, 2023 से पहले, 17 नवंबर, 2023 को शीतकालीन सत्र, 2023 से पहले आयोजित की गई। तत्पश्चात, संसद के प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री विधायी प्रस्तावों और सरकारी कार्य की अन्य मदों को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। वे विधायी प्रस्ताव जो पूरी तरह तैयार नहीं है और जिनके समय पर पूरे होने की संभावना नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसी तीन बैठकें आयोजित की गई - पहली बैठक 18 जनवरी, 2023 को

बजट सत्र, 2023 से पहले, दूसरी बैठक 4 जुलाई, 2023 को मानसून सत्र, 2023 से पहले और तीसरी बैठक 21 नवंबर, 2023 को शीतकालीन सत्र, 2023 से पहले। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, सत्रों की कार्यसूची पर परस्पर सहमति बनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ 30.01.2023, 19.07.2023, 17.09.2023, 02.12.2023 और 30.01.2024 को बैठकें बुलाई। सरकारी कार्य का सही आकलन करने के पश्चात, प्रत्येक सत्र के लिए सरकारी कार्य का एक अस्थायी कैलेण्डर तैयार किया जाता है। दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की समयावधि के दौरान, सरकारी कार्य की पांच अस्थायी सूचियां तैयार की गई और संसद सदस्यों को परिचालित करने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालयों को उपलब्ध कराई गई, ताकि संसद सदस्य सत्र के दौरान आने वाले विधेयकों/विषयों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकें और उन पर चर्चा हेतु भाग लेने की तैयारी कर सकें।

शीतकालीन सत्र, 2023 की शुरूआत से पहले सरकारी कार्य का आकलन करने के लिए 21.11.2023 को मंत्रालयों/विभागों के साथ सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की बैठक।

4.4 सदस्यों को संसद के दोनों सदनों द्वारा किए जाने वाले सरकारी कार्य की अग्रिम सूचना देने के उद्देश्य से संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री प्रत्येक सप्ताह की अंतिम बैठक के दिन आगामी सप्ताह के दौरान लिए जाने वाले सरकारी कार्य के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा में वक्तव्य देते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में 9 वक्तव्य दिए गए।

4.5(क) सरकारी कार्य के कार्यक्रम के आयोजन की प्रक्रिया सप्ताह में एक बार पूर्वसूचना देने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। कार्य की प्रगति पर निरन्तर तथा निकट से निगरानी रखी जाती है ताकि आवश्यकता पड़ने

पर अल्प सूचना पर भी सामंजस्य किया जा सके। वस्तुत: ऐसे सामंजस्य दिन-प्रतिदिन करने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए मंत्रालय दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के लिए दैनिक कार्य की सूची में शामिल करने हेतु संसद के संबंधित सचिवालय को सरकारी कार्य की सूची भेजता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान सरकारी कार्य के निष्पादन के संबंध में लोक सभा और राज्य सभा के लिए सरकारी कार्य की क्रमश: 74 और 70 सूचियां संसद के दोनों सचिवालयों को जारी की गई।

4.5(ख) कार्य मंत्रणा समिति, लोक सभा और कार्य मंत्रणा समिति, राज्य सभा संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से सरकारी कार्य की विभिन्न मदों पर चर्चा के लिए समय का आबंटन करती है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को 136 मदों (लोक सभा - 66, राज्य सभा - 70) के संबंध में समय आबंटन के लिए टिप्पण भेजे गए।

सरकारी कार्य का प्रबन्धन

4.6 सरकारी कार्य का प्रबन्धन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है तथा इसमें संसदीय कार्य मंत्री से अत्यंत कार्य-कुशलता और निपुणता की अपेक्षा की जाती है। सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होने के नाते उनके लिए सदैव ही सदन में अपने दल के सदस्यों और संबद्ध/समर्थक दलों के सदस्यों, यदि कोई हों तो, की उपस्थिति सुनिश्चित करना अपेक्षित होता है। वे पीठासीन अधिकारियों, विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं के साथ-साथ उनके मुख्य सचेतकों और सचेतकों के साथ निकट और सतत संपर्क भी बनाए रखते हैं।

निष्पादित सरकारी कार्य का सार

(i) विधायी

4.7 सत्रहवीं लोक सभा के दसवें सत्र और राज्य सभा के 258वें सत्र की समाप्ति पर कुल 35 विधेयक (लोक सभा में 9 विधेयक और राज्य सभा में 26 विधयेक) लंबित थे। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 56 विधेयक (48 विधेयक लोक सभा में और 8 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए, जिससे लंबित विधेयकों की कुल संख्या 91 हो गई। इनमें से, दोनों सदनों द्वारा 61 विधेयक (**परिशिष्ट-2**) पारित किए गए। 6 विधेयक (4 लोक सभा में और 2 राज्य सभा में) वापस लिए गए। सत्रहवीं लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 263वें सत्र की समाप्ति पर, संसद के दोनों सदनों में कुल 24 विधेयक (लोक सभा में 3 विधेयक और राज्य सभा में 21 विधेयक) लंबित थे, जैसा कि **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

(ii) वित्तीय

4.8 लोक सभा नियमों के नियम 204 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर 'बजट' के रूप में जाना जाता है, संसद में ऐसे दिन प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें। वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट 01 फरवरी, 2023 को और वर्ष 2023-24 के लिए अंतरिम बजट 01 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत किया गया। बजट लोक सभा में उस समय पेश किया जाता है जब वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री बजट भाषण पढ़ते हैं। राज्य सभा में वार्षिक वित्तीय विवरण सामान्यत: लोक सभा में मंत्री के भाषण की समाप्ति के पश्चात सभा पटल पर रखा जाता है।

4.9 बजट सत्र, 1993 के दौरान लिए गए निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी था कि विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया जाए जिनका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर सदन में मतदान और चर्चा से पूर्व इनकी संवीक्षा करना है। स्थायी समितियों के अन्य कार्यों में अध्यक्ष अथवा सभापति द्वारा उन्हें भेजे गए विधेयकों, सदनों में प्रस्तुत किए गए और पीठासीन अधिकारियों द्वारा उन्हें भेजे गए मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों और मूल दीर्घकालीन नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच करना शामिल है।

(iii) बजट

4.10 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट और वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पर विचार करने की तारीखों का विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-4क और 4ख**)।

4.11 17वीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 263वां सत्र मुख्य रूप से 31 अगस्त, 2024 को समाप्त होने वाली पांच मास की अवधि के लिए अंतरिम बजट, 2024 के लिए लेखानुदान हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 31 जनवरी, 2024 से बुलाया गया था। इसका उद्देश्य नई लोक सभा द्वारा केंद्रीय बजट के पारित कर दिए जाने तक भारत की संचित निधि में से व्यय की पूर्ति करने में केंद्रीय सरकार को सक्षम बनाना था। सदन में लेखानुदान पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा को सुकर बनाने के लिए कलैंडर वर्ष 2023 के लिए मंत्रालयों की संक्षेप में गतिविधियों की एक रिपोर्ट संसद सदस्यों में परिचालन हेतु तैयार की गई थी।

(iv) नए संसद भवन में बैठकों की शुरूआत

4.12 सितंबर, 2023 एक ऐतिहासिक अवसर था जब नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया था जो 18 सितंबर, 2023 को पुराने संसद भवन में शुरू हुआ जहां दोनों सदनों में 'संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा- उपलब्धियां, अनुभव, स्मरण और सीख' विषय पर चर्चा हुई। प्रधान मंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने 19 सितंबर, 2023 को केंद्रीय कक्ष में उपस्थित संसद सदस्यों को संबोधित किया और तत्पश्चात सदनों ने नए संसद भवन में अपने-अपने कक्षों में अपनी कार्यवाही शुरू की। संसद की नई इमारत को 'संसद भवन' का नाम दिया गया, जबकि केंद्रीय कक्ष सहित पुराने संसद भवन को 'संविधान सदन' का नाम दिया गया है।

(v) संसद का विशेष सत्र, 2023

4.13 दिनांक 18.09.2023 से 21.09.2023 तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया जो एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना जब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन प्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं को नीति निर्धारण में अधिक भागीदारी का उपबंध करने के लिए लोक सभा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 अर्थात संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023" पारित किया गया। लोक सभा में मतदान का पैटर्न यह रहा कि इसके पक्ष में 454 और विपक्ष में सिर्फ 2 सदस्यों ने वोट किया। राज्य सभा में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।

(vi) अन्य सरकारी कार्य

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव

4.14 मंत्रिपरिषद में विश्वास की आवश्यकता व्यक्त करने की सामान्य प्रक्रिया यह है कि लोक सभा में कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों के नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। विश्वास प्रस्ताव का साधन हाल की उत्पत्ति है। मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया नियमों में कोई नियम नहीं है। लोक सभा के नियम बनाते समय संभवत: ऐसे प्रस्ताव की कल्पना नहीं की गई थी। ऐसा प्रस्ताव, जो कि एक प्रकार से लोक सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने को प्रदर्शित करता है, के द्वारा चर्चा करने की आवश्यकता सत्तर के दशक के अंतिम वर्षों में पैदा हुई, जब अल्पमत की सरकारों के दल में विभाजन हुए और उसके पश्चात त्रिशंकु संसद के परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें बनने लगी। इस संबंध में कोई विशिष्ट नियम न होने के कारण, ऐसे विश्वास प्रस्तावों को नियम 184 में उल्लिखित प्रस्तावों की श्रेणी में लिया गया जो कि लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बना है। ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा नियम 191 के अंतर्गत सदन के समक्ष सभी आवश्यक प्रश्न रखकर की जाती है।

4.15 ऐसा पहला विश्वास प्रस्ताव 21 दिसंबर, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वी.पी. सिंह द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे सदन द्वारा उसी दिन ध्वनिमत से स्वीकृत कर दिया गया था। अब तक प्रस्तुत किए गए ग्यारह विश्वास प्रस्तावों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (**परिशिष्ट-5**)।

स्वीकृत सरकारी प्रस्ताव/सांविधिक संकल्प

4.16 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, प्रस्तुत, विचार और स्वीकृत किए गए सरकारी सांविधिक संकल्पों का विवरण नीचे दिया गया है:-

विषय	लोक सभा		तारीख	राज्य सभा		तारीख
	लिया गया समय			लिया गया समय		
	घंटे	मिनट		घंटे	मिनट	
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रोपेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करने की मंजूरी की मांग करने वाला सांविधिक संकल्प।	00 - 01		31.07.2023	00 - 02		01.08.2023
एचएस कोड 0703 10 के तहत आने वाले प्याज के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने की मंजूरी की मांग करने वाला सांविधिक संकल्प।	00 - 03		21.09.2023	00 - 02		21.09.2023
एचएस कोड 1006 30 10 के तहत आने वाले उबले चावल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ	00 - 03		21.09.2023	00 - 02		21.09.2023

अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन की मंजूरी की मांग करने वाला सांविधिक संकल्प।				
18 जनवरी, 2024 से सीटीएच 1703 के तहत शामिल चीनी के निष्कर्षण या शोधन से उत्पादित गुड़ के निर्यात पर 50% का निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन की मंजूरी की मांग करने वाला सांविधिक संकल्प।	00 - 01	08.02.2024	00 - 01	08.02.2024

सरकारी समय का मुख्य आबंटन

4.17 संसद के दोनों सदनों में विधायी, वित्तीय और गैर-वित्तीय मदों (सरकारी कार्यों के संचालन के लिए नियत समय के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस की व्यवस्था सहित) पर कुल सरकारी समय के मुख्य आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	मद	लोक सभा		राज्य सभा		प्रतिशत	
		घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	लोक सभा	राज्य सभा
(i)	विधायी	80	14	86	59	32.53%	36.38%
(ii)	वित्तीय	29	10	06	30	11.82%	2.71%
(iii)	गैर-वित्तीय	137	13	145	33	55.65%	60.91%

व्यवधानों इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय

4.18 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, विभिन्न अवसरों पर व्यवधानों/अव्यवस्था के कारण लोक सभा और राज्य सभा स्थगित की गई। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा में ऐसे स्थगनों इत्यादि पर लगा/व्यर्थ हुआ समय नीचे दर्शाया गया है:-

लोक सभा					
सत्र	कुल उपलब्ध समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों पर लगा समय		व्यवधान/अव्यवस्था इत्यादि के कारण स्थगनों आदि पर लगे समय का प्रतिशत
	घंटे	मिनट	घंटे	मिनट	
11वां (17वीं लोक सभा)	133	42	98	28	73.64%
12वां (17वीं लोक सभा)	96	47	61	43	63.76%
13वां (17वीं लोक सभा)	22	45	-	-	शून्य
14वां (17वीं लोक सभा)	82	14	27	49	33.82%
15वां (17वीं लोक सभा)	45	00	-	-	शून्य
कुल	380	28	188	00	49.41%

राज्य सभा					
259वां	132	33	105	04	79.26 %
260वां	91	09	45	00	49.36%
261वां	21	45	-	-	शून्य
262वां	84	00	21	20	25.39%
263वां	42	25	-	-	शून्य
कुल	371	52	171	24	46.09%

अन्य गैर-सरकारी कार्य

4.19 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 1 और राज्य सभा में 4 अल्पावधि चर्चाएं हुई।

संसद की बैठकों की संख्या और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या
(वर्ष 1952 से 2024 तक)

वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक	वर्ष	बैठकों की संख्या		संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
	लोक सभा	राज्य सभा			लोक सभा	राज्य सभा	
1	2	3	4	1	2	3	4
1952	103	60	82	1953	137	100	58
1954	137	103	54	1955	139	111	60
1956	151	113	106	1957	104	78	68
1958	125	91	59	1959	123	87	63
1960	121	87	67	1961	102	75	63
1962	116	91	68	1963	122	100	58
1964	122	97	56	1965	113	96	51
1966	119	109	57	1967	110	91	38
1968	120	103	67	1969	120	102	58
1970	119	107	53	1971	102	89	87
1972	111	99	82	1973	120	105	70
1974	119	109	68	1975	63	58	57
1976	93	84	118	1977	86	70	48
1978	115	97	50	1979	66	54	32
1980	96	90	72	1981	105	89	62
1982	92	82	73	1983	93	77	49
1984	77	63	73	1985	109	89	92
1986	98	86	71	1987	102	89	61
1988	102	89	71	1989	83	71	38

1990	81	66	30	1991	90	82	63
1992	98	90	44	1993	89	79	75
1994	77	75	61	1995	78	77	45
1996	70	64	36	1997	65	68	35
1998	64	59	40	1999	51	48	39
2000	85	85	63	2001	81	81	61
2002	84	82	86	2003	74	74	56
2004	48	46	18	2005	85	85	56
2006	77	77	65	2007	66	65	46
2008	46	46	47	2009	64	63	41
2010	81	81	43	2011	73	73	36
2012	74	74	32	2013	63	63	29
2014	67	64	38	2015	72	69	36
2016	54	56	43	2017	61	61	44
2018	63	65	33	2019	67	65	49
2020	33	33	39	2021	59	58	51
2022	56	56	25	2023	60	60	49
2024	09	09	12				

अध्याय-5

गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य

5.1 लोक सभा और राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में, उन सदस्यों के लिए जो मंत्री-परिषद के सदस्य नहीं हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पावधि चर्चा, अनियत दिन वाले प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव, आधे घन्टे की चर्चा के माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने और जन-साधारण की शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आमतौर पर प्रत्येक शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए ढ़ाई घन्टे का समय गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के बारी-बारी से लिए जाने के लिए अलग रखा गया है। इन मामलों पर चर्चा सरकारी कार्य के लिए निर्धारित समय के दौरान होती है।

5.2 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित चर्चाएं की गई:-

लोक सभा

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	**विषय और सदस्य**	**संबंधित मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
				घंटे	**मिनट**
1	श्री सत्यपाल सिंह ने ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा आरंभ की।	गृह	10.02.2024	04 - 44 (चर्चा पूरी नहीं हुई)	

नियम 389 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
				घंटे	**मिनट**
1.	श्री राजनाथ सिंह ने "चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों" पर चर्चा शुरू की।		21.09.2023	12-18 (संकल्प स्वीकृत हुआ)	

ध्यानाकर्षण: -

क्र.सं.	**विषय**	**संबंधित मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख**	**लिया गया समय**
	-	-	-	-

नियम 342 के तहत प्रस्ताव

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	वित्त और कारपोरेट मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:- "कि यह सदन भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव पर श्वेत पत्र पर विचार करे।"	वित्त	09.02.2024	07	25

राज्य सभा

नियम 176 के अंतर्गत चर्चा

क्र.सं.	विषय और सदस्य	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख (तारीखें)	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1.	श्री बीरेंद्र प्रसाद बैश्य ने मणिपुर राज्य में हालिया कानून और व्यवस्था की स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों तथा राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की।	गृह	31.07.2023	00-01 (चर्चा पूरी नहीं हुई)	
2.	श्री देरेक ओ'ब्राइन ने देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा शुरू की।	वित्त	05.12.2023 06.12.2023 07.12.2023	10-25 (चर्चा पूरी हुई)	
3.	श्री सुशील कुमार मोदी ने "8 फरवरी, 2024 को राज्य सभा के पटल पर रखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र और देश के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव" पर चर्चा शुरू की।	वित्त	10.02.2024	02-58 (चर्चा पूरी हुई)	
4.	डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने "श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा" विषय पर चर्चा शुरू की।	गृह	10.02.2024	02-46 (चर्चा पूरी हुई)	

ध्यानाकर्षण: -

क्र.सं.	विषय	संबंधित मंत्रालय	चर्चा की तारीख	लिया गया समय
	-	-	-	-

राज्य सभा में मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा

क्र.सं.	**मंत्रालय**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**
			घंटे मिनट
1.	कौशल विकास और उद्यमशीलता	20.03.2023	00 - 02 **(चर्चा पूरी नहीं हुई)**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख

5.3 संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति का एक कार्य संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार करने के लिए स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के रूख का निश्चय करना है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उन विधेयकों और संकल्पों के संबंध में सरकार के रूख पर पक्षसार भेजने का अनुरोध किया गया जो दोनों सदनों में विचारण और पारण हेतु सूचीबद्ध हुए अथवा जिन्हें इस कार्य के लिए हुए बैलट में काफी उच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई।

5.4 मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्नलिखित बैठकें की:-

क्र.सं.	**मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक की तारीख**	**प्रस्ताव जिन पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया**
1.	4 जनवरी, 2023	(i) बजट सत्र, 2023 का बुलाया जाना।
2.	7 अप्रैल, 2023	(ii) बजट सत्र, 2023 का सत्रावसान। (iii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
3.	19 जून, 2023	(i) मानसून सत्र, 2023 का बुलाया जाना।
4.	11 अगस्त, 2023	(i) मानसून सत्र, 2023 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।
5.	29 अगस्त, 2023	(i) संसद के विशेष सत्र, 2023 का बुलाया जाना।
6.	22 सितंबर, 2023	(i) संसद के विशेष सत्र, 2023 का सत्रावसान।
7.	2 नवंबर, 2023	(i) शीतकालीन सत्र, 2023 का बुलाया जाना।
8.	22 दिसंबर, 2023	(i) शीतकालीन सत्र, 2023 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।

9.	8 जनवरी, 2024	(i) अंतरिम बजट सत्र, 2024 का बुलाया जाना।
10.	6 फरवरी, 2024	(i) एक दिन के लिए संसद के सदनों की बैठकों का विस्तार।
11.	10 फरवरी, 2024	(i) अंतरिम बजट सत्र, 2024 का सत्रावसान। (ii) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के निर्णय का अनुसमर्थन।

5.5 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, गैर-सरकारी सदस्यों के 218 विधेयक (134 विधेयक लोक सभा में और 84 विधेयक राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए (**परिशिष्ट-6**)। उपर्युक्त अवधि के दौरान जिन गैर-सरकारी विधेयकों और संकल्पों पर चर्चा हुई उनका विवरण नीचे दिया गया है :-

दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

राज्य सभा			
1.	डॉ. वी. शिवादासन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन)	09.12.2022 08.12.2023 02.02.2024	वापस लिया गया
2.	डॉ. सस्मित पात्र, संसद सदस्य का साल पतियां संग्राहक और व्यापारी कल्याण विधेयक, 2022	02.02.2024	वापस लिया गया

दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान सदनों द्वारा विचार किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

लोक सभा			
क्र.सं.	**संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य का नाम**	**चर्चा की तारीख (तारीखें)**	**परिणाम**
1.	श्री रेड्डप्प एन. गरि, संसद सदस्य द्वारा आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण।	16.12.2022 13.02.2023	अनिर्णीत
राज्य सभा			
1.	श्री अब्दुल वहाब द्वारा सच्चर समिति की रिपोर्ट, जिसमें मुसलमानों के पिछड़ेपन पर चर्चा की गई है, की सिफ़ारिशों को लागू करने, शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन करने और देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम हेतु कानून बनाने के लिए कदम।	10.02.2023 24.03.2023	अस्वीकृत

संसद द्वारा वर्ष 1952 से 2023 तक पारित किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक		
(क) लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
क्र.सं.	**विधेयक का संक्षिप्त शीर्षक**	**अधिनियम संख्या/ स्वीकृति की तारीख**
1.	मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद कासमी)	1954 का 29 21.5.1954
2.	भारतीय पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1955 (श्री एस.सी. सामन्त)	1956 का 17 06.04.1956
3.	संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1956 (श्री फिरोज़ गांधी)	1956 का 24 26.05.1956
4.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1953 (श्री रघुनाथ सिंह)	1956 का 39 01.09.1956
5.	महिला और बालक संस्था (अनुज्ञापन) विधेयक, 1954 (राजमाता कमलेन्दुमति शाह)	1956 का 105 30.12.1956
6.	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1957 (श्रीमती सुभद्रा जोशी)	1960 का 56 26.12.1960
7.	संसद सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1964 (श्री रघुनाथ सिंह)	1964 का 26 29.09.1964
8.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चन्द शर्मा)	1964 का 44 20.12.1964
9.	उच्चतम न्यायालय (दाण्डिक अपील अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1968 (श्री आनन्द नारायण मुल्ला)	1970 का 28 09.08.1970
(ख) राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक		
10.	प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954 (डॉ. रघुवीर सिंह)	1956 का 70 15.12.1956
11.	हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956 (डॉ. (श्रीमती) सीता परमानन्द)	1956 का 73 20.12.1956
12.	अनाथालय और अन्य धर्मार्थ आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक, 1960 (श्री कैलाश बिहारी लाल)	1960 का 10 09.04.1960
13.	समुद्री बीमा विधेयक, 1959 (श्री एम.पी. भार्गव)	1963 का 11 18.04.1963
14.	भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1963 (श्री दीवान चमन लाल)	1969 का 36 07.09.1969

लोक सभा में स्वीकृत गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

क्र.स.	संकल्प का सार और प्रभारी सदस्य	स्वीकृति की तारीख
1.	श्री प्रह्लाद सिंह द्वारा पूरे देश में गाय और इसके बछड़ों की हत्या पर रोक लगाने के लिए।	10.4.2003
2.	श्री निशिकांत दुबे द्वारा कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए तत्काल कदम।	11.12.2015

अध्याय - 6

आश्वासनों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण

<u>एक झलक</u>

- प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 307 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाहियों में से 295 आश्वासन निकाले गए।
- लोक सभा में दिए गए 445 आश्वासन और राज्य सभा में दिए गए 218 आश्वासन, जोकि प्रतिवेदित अवधि और पिछले वर्षों से संबंधित हैं, पूरे कर दिए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 5 आश्वासन और राज्य सभा में 128 आश्वासन आंशिक रूप से पूरे किए गए हैं।

6.1 संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान मंत्रीगण, कभी-कभी कोई कार्रवाई करने या अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का आश्वासन दे देते हैं। सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने और संबंधित सदन में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। संसदीय कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय एजेन्सी के रूप में काम करता है कि मंत्रालय समय पर अपने आश्वासनों को पूरा करें।

सामान्य प्रक्रिया

6.2 मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को निकालता है और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज देता है। प्रत्येक सदन के लिए अभिव्यक्ति की एक निश्चित शब्दावली है जो आश्वासन बनाती है। ये अभिव्यक्तियां उदाहरण स्वरूप हैं, पूर्ण नहीं हैं। किसी मंत्री के वक्तव्य को एक आश्वासन मानते समय, इस बात का यथोचित ध्यान रखा जाता है कि वह किस संदर्भ में दिया गया है और क्या वह एक उचित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के योग्य है।

6.3 दिए गए सभी आश्वासनों को तीन महीने की अवधि के अन्दर पूरा करना अपेक्षित है। जहां मंत्रालय द्वारा आश्वासन को पूरा करने में कुछ यथार्थ कठिनाईयों के कारण विलम्ब होने की संभावना होती है अथवा किसी ठोस कारण से आश्वासन को पूरा करना व्यवहारिक नहीं होता है, तब मंत्रालय/विभाग, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को समय बढाए जाने अथवा आश्वासन को छोडने हेतु, जैसी भी स्थिति हो, इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे अनुरोध करते हैं।

6.4 आश्वासनों की पूर्ति के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रखा जाता है। कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने के पश्चात, सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित सदस्यों को भेजी जाती हैं तथा संसद ग्रन्थालय में भी रखी जाती हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भी कार्यान्वयन प्रतिवेदनों के सभा पटल पर रखे जाने की सूचना दी जाती है।

6.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, इस मंत्रालय द्वारा लोक सभा की कार्यवाहियों में से 307 आश्वासन निकाले गए। इनमें से 76 सभा-पटल पर रखे गए, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा 8 आश्वासन छोड़ दिए गए, 1 आश्वासन को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा द्वारा आश्वासन नहीं माना गया और शेष 218 लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित कुल 445 आश्वासनों (2023 से संबंधित 76 आश्वासनों सहित) से संबंधित कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (5 आंशिक सहित) को भी सभा पटल पर रखा गया, 104 आश्वासनों (2023 से संबंधित 8 आश्वासनों सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा छोड़ दिया गया और 5 आश्वासनों (2023 से संबंधित 1 आश्वासन सहित) को सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा आश्वासन नहीं माना गया। इसी प्रकार, प्रतिवेदित अवधि के दौरान राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए 295 आश्वासनों में से, 49 को सभा के पटल पर रखा गया, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा द्वारा किसी आश्वासन को छोड़ा नहीं गया और 34 को आश्वासन नहीं माना गया तथा शेष 212 आश्वासन लंबित रह गए। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित 218 आश्वासनों (2023 से संबंधित 49 आश्वासनों सहित) के संबंध में कार्यान्वयन प्रतिवेदनों (128 आंशिक सहित), को भी सभा पटल पर रखा गया, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा 19 आश्वासनों (2023 से संबंधित कोई आश्वासन नहीं) को छोड़ दिया गया और 34 आश्वासनों (वर्ष 2023 से संबंधित) को आश्वासन नहीं माना गया। वर्ष 2008 से 31 मार्च, 2024 के दौरान दिए गए/पूरे किए गए/छोड़े गए/नहीं माने गए आश्वासनों और कार्यान्वयन के लिए शेष आश्वासनों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

लोक सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया - 2	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)	8
2008	1109	1009	97	3	1109	0	100
2009	1298	1125	167	1	1293	5	99.61
2010	1602	1511	78	10	1599	3	99.81
2011	1904	1714	135	48	1897	7	99.63
2012	1949	1732	148	59	1939	10	99.49
2013	1108	981	117	0	1098	10	99.10
2014	1461	1302	147	6	1455	6	99.59
2015	1332	1195	94	29	1318	14	98.95
2016	1303	1145	93	43	1281	22	98.31
2017	854	738	65	28	831	23	97.31
2018	693	570	52	42	664	29	95.82
2019	1061	906	84	23	1013	48	95.48
2020	376	304	22	22	348	28	92.55
2021	765	572	56	41	669	96	87.45
2022	493	301	26	13	340	153	68.97
2023	282	76	8	1	85	197	30.15
2024	25	0	0	0	0	25	0.00
	17615	**15181**	**1389**	**369**	**16939**	**677**	**96.16**

राज्य सभा

वर्ष	आश्वासनों की कुल संख्या	आश्वासनों की संख्या			कुल कार्यान्वित	शेष आगे ले जाया गया - 3	कार्यान्वयन का प्रतिशत
		कार्यान्वित	छोड़े गए	नहीं माने गए		शेष	
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-6)	8
2008	680	564	45	70	679	1	99.85
2009	1018	860	72	85	1017	1	99.90
2010	1082	936	73	62	1071	11	98.98
2011	1003	829	78	91	998	5	99.50
2012	1118	925	149	38	1112	6	99.46
2013	688	587	80	19	686	2	99.71
2014	1190	999	155	19	1173	17	98.57
2015	907	681	93	113	887	20	97.79
2016	991	605	42	303	950	41	95.86
2017	484	306	11	143	460	24	95.04
2018	415	287	15	86	388	27	93.49
2019	410	281	8	76	365	45	89.02
2020	165	125	11	0	136	29	82.42
2021	250	173	4	13	190	60	76.00
2022	386	167	6	56	229	157	59.33
2023	278	49	0	34	83	195	29.86
2024	17	0	0	0	0	17	0.00
	11082	**8374**	**842**	**1208**	**10424**	**661**	**94.01**

लम्बित आश्वासनों के निपटान के लिए कार्रवाई

6.6 संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में दिए गए आश्वासनों का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से जोरदार पैरवी करता रहा है। आवधिक समीक्षा की जाती है और आश्वासनों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों को स्मरण कराया जाता है। इस मंत्रालय द्वारा चलाए गए इस अभियान के परिणामस्वरूप, आश्वासनों के कार्यान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

6.7 सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, लोक सभा ने अपना 79वां, 80वां, 81वां और 82वां प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2023 को, 83वां, 84वां, 85वां, 86वां, 87वां, 88वां, 89वां और 90वां प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2023 को, 91वां, 92वां, 93वां, 94वां, 95वां, 96वां और 97वां प्रतिवेदन दिनांक 19.12.2023 को तथा 98वां, 99वां, 100वां और 101वां प्रतिवेदन दिनांक 08.02.2024 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य सभा ने अपना 77वां प्रतिवेदन दिनांक 05.12.2023 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया।

अध्याय-7

लोक सभा में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले और राज्य सभा में नियम 180ए-ई के अधीन विशेष उल्लेख

एक झलक

- दिनांक 31.12.2022 को लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 362 मामले और राज्य सभा में 277 विशेष उल्लेख लंबित थे।
- दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम नियम 377 के अंतर्गत 1286 मामले उठाए गए और राज्य सभा में 190 विशेष उल्लेख किए गए।
- 17वीं लोक सभा के दौरान (15वें सत्र तक) नियम 377 के तहत उठाए गए कुल 5199 मामलों में से 4828 मामलों के उत्तर दिए जा चुके है और 371 मामले लंबित रह गए हैं।
- कुल 1748 विशेष उल्लेखों में से 1621 के उत्तर दिए जा चुके हैं और 127 विशेष उल्लेख लंबित रह गए हैं।

नियम 377 (लोक सभा) के अंतर्गत उठाए गए मामले

7.1 लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अन्तर्गत, सदस्यों को ऐसे मामले उठाने की अनुमति होती है जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है अथवा जिन्हें किसी और नियम के अन्तर्गत उस सत्र में नहीं उठाया गया है। सदस्यों को इस नियम के अन्तर्गत मामला उठाने की सूचना एक निर्धारित प्रपत्र में भेजनी अपेक्षित है जिसके साथ प्रस्तावित वक्तव्य जो कि 150 शब्दों से अधिक नहीं हो, भी संलग्न करना होता है। मामला केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत कोई सदस्य एक सप्ताह में केवल एक ही 'मामला' उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले मामलों की कुल संख्या सामान्यत: 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नियम 180ए-ई (राज्य सभा) के अंतर्गत विशेष उल्लेख

7.2 राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए से 180ई के अन्तर्गत, स्वीकार्यता की शर्तें पूरी करने के अधीन रहते हुए, सदस्यों को राज्य सभा में लोक महत्व के मामलों पर विशेष उल्लेख करने की अनुमति दी जाती है। इस नियम के अंतर्गत कोई मामला उठाने के लिए, सदस्यों को महासचिव को निर्धारित प्रप्रत्र में सूचना देनी होती है जिसके साथ मामले का पाठ संलग्न किया जाता है जो 250 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक सभापति अन्यथा निदेश न दे, कोई सदस्य एक सप्ताह के दौरान केवल एक मामला उठा सकता है और एक दिन के लिए स्वीकृत किए जाने वाले विशेष उल्लेखों की कुल संख्या सामान्यत: सात से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई सदस्य किसी खास विषेश उल्लेख के साथ अपने आपको सहयोजित करना चाहता है तो वह सभापति की अनुमति से ऐसा कर सकता है।

अनुवर्ती कार्रवाई

7.3 दोनों सदनों में उठाए गए इन मामलों से संबंधित कार्यवाहियों के उद्धरण संसद के सचिवालयों द्वारा, सामान्यत: जिस दिन मामला उठाया जाता है उसके अगले दिन संबंधित मंत्रालयों को भेज दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई विषय छूटे नहीं, संसदीय कार्य मंत्रालय भी दोनों सदनों में उठाए गए मामलों का सार देते हुए एक साप्ताहिक विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजता है ताकि वे उनके द्वारा दोनों सचिवालयों से प्राप्त हुए विवरण से इसका मिलान कर सकें। मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर कार्रवाई करें और सदन में मामला उठाए जाने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित सदस्य को वांछित सूचना भेज दें और उसकी सूचना संसद के संबंधित सचिवालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को भी दें।

7.4 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नियम 377 के अधीन लोक सभा में 1286 मामले उठाए गए जिससे 17वीं लोक सभा के दौरान 15वें सत्र तक उठाए गए मामलों की कुल संख्या 5199 हो गई। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2024 तक 4828 मामलों के उत्तर भेजे जा चुके हैं और 371 मामले लंबित रह गए हैं। जहां तक राज्य सभा में अनुरूप स्थिति का संबंध है, प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नियम 180ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से 190 मामले उठाए गए जिससे लंबित मामलों की कुल संख्या 1748 हो गई। इनमें से दिनांक 31.03.2024 तक 1621 के उत्तर भेजे जा चुके हैं और 127 मामले लंबित हैं।

प्रश्न काल के पश्चात (शून्य काल में) उठाए गए मामलों पर कार्रवाई

7.5(i) प्रश्न काल के पश्चात अर्थात तथाकथित 'शून्य काल' के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य पीठासीन अधिकारी की अनुमति से तत्काल लोक महत्व के मामले उठाते हैं। कभी-कभी सदस्यों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के भी मामले उठाए जाते हैं। जब तक पीठासीन अधिकारी निदेश न दे, मंत्रियों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि इन मामलों के उत्तर उसी समय दें जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं अथवा बाद में औपचारिक पत्र-व्यवहार द्वारा उत्तर भेजें, तथापि कभी-कभी मंत्रीगण सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों पर सदन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

(ii) संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री कभी-कभी ऐसे अवसरों पर हस्तक्षेप करते हैं और सदन को आश्वासन देते हैं कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्री के ध्यान में लाया जाएगा। पीठासीन अधिकारी भी कभी-कभी शून्य काल के दौरान दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों पर निर्देश देते/ टिप्पणियां करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाहियों में से ऐसे मामलों के संगत उद्धरण संबंधित मंत्री (मंत्रियों) को संसदीय कार्य मंत्री अथवा संसदीय कार्य राज्य मंत्री के हस्ताक्षर से अधिमानत: उसी दिन उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेजता है।

(iii) दिनांक 20.09.2000 को मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, शीतकालीन सत्र, 2000 से यह मंत्रालय सदनों की कार्यवाहियों में से शून्य काल के दौरान उठाए गए ऐसे मामलों के संगत उद्धरण भी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्रवाई, जैसी कि अपेक्षित समझी जाए, के लिए भेज रहा है जिनके संबंध में पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देश/संसदीय कार्य मंत्रियों द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है।

(iv) लोक सभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र, 2021 से शून्य काल की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इसलिए मंत्रालय ने उसके बाद से लोक सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों का सार भेजना बंद कर दिया है, सत्र के दौरान उठाए गए मामलों की कुल संख्या वाली सूची ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और ऐसी कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जाती है जैसी कि आवश्यक समझी जाए। तथापि, मंत्रालय राज्य सभा में शून्य काल के दौरान उठाए गए मामलों के उद्धरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ और आवश्यक समझी जाने वाली कार्रवाई हेतु भेज रहा है।

7.6 दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान, दोनों सदनों में शून्य काल के दौरान उठाए गए 718 मामले (लोक सभा: 446, राज्य सभा: 272) संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेजे गए।

अध्याय-8

परामर्शदात्री समितियां

एक झलक

- विभिन्न मंत्रालयों के लिए 40 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।
- दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान परामर्शदात्री समितियों की 82 बैठकें आयोजित हुई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

8.1 संसद सदस्यों की वर्तमान परामर्शदात्री समितियों और उनकी मुख्य रूप-रेखा का उद्‌गम, वर्ष 1954 में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्‌वारा मंत्रिमण्डल के सदस्यों को परिचालित एक टिप्पण में दिए गए सुझाव में है। श्री नेहरू यह चाहते थे कि संसद की किसी प्रकार की स्थायी सलाहकार परामर्शदात्री समितियां हों जो सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर सकें जिससे सदस्यों द्‌वारा संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में भी कमी आ सकती है। तदनुसार वर्ष 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां गठित की गई थी।

8.2 वर्ष 1969 में, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया और इन समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए। उस समय यह भी निर्णय लिया गया कि इन समितियों में विचार विमर्श की अनौपचारिक प्रकृति को देखते हुए ये समितियां "परामर्शदात्री समितियों" के नाम से जानी जाएंगी। तत्पश्चात कई निर्णय लिए गए तथा कुछ परम्पराएं विकसित हो चुकी थी और इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। दिनांक 21.7.2005 को रक्षा मंत्री तथा सदन के नेता (लोक सभा) की अध्यक्षता में हुई संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों/उप नेताओं की बैठक में इन निर्णयों तथा परम्पराओं को शामिल करके संशोधित दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया जिन्हें दिनांक 02.09.2005 को मंत्रिमण्डल द्‌वारा अनुमोदित भी किया गया। तब से ये समितियां इन्हीं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं **(परिशिष्ट-7)**।

8.3 दिशा-निर्देशों के अनुसार इन समितियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:-

i) इन समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है जिसे सदस्य और उसके दल के नेता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

ii) इन समितियों का मुख्य उद्‌देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन के ढंग पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श करना है।

iii) इन समितियों की अध्यक्षता अपने-अपने मंत्रालयों के प्रभारी मंत्रियों द्‌वारा की जाती है जिससे समिति सम्बद्‌ध होती है।

iv) किसी समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 30 होती है। समिति का गठन सामान्यत: तब किया जाता है जब 10 अथवा उससे अधिक सदस्यगण समिति पर नामांकित होना चाहते हों।

v) यदि किसी सदस्य को किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि हो तो उसे उस मंत्रालय/विभाग की परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 सदस्यों को स्थायी विशेष आंमत्रित के रूप में नामांकित किया जा सकता है। तथापि, स्थायी विशेष आमंत्रित व्यक्ति परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होते हैं।

vi) सामान्यतया एक वर्ष के दौरान इन समितियों की 6 बैठकें आयोजित की जानी चाहिएं - तीन बैठकें सत्रावधि के दौरान और तीन बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान। एक वर्ष में परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकों में से, 4 बैठकें - 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी अनिवार्य हैं।

vii) कार्यसूची मदें या तो सदस्यों से मंगाई जाती हैं अथवा मंत्रालयों द्वारा समिति के सदस्यों के परामर्श से स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

viii) जो सदस्य किसी समिति के सदस्य नहीं है, यदि उन्होंने बैठक में विचार हेतु कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए किसी विषय की सूचना दी है और वह मद कार्यसूची में सम्मिलित हो गई है अथवा उन्होंने ऐसी समिति की किसी बैठक की चर्चा में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की हो, तो संसदीय कार्य मंत्री के अनुमोदन से उन्हें समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

ix) इन समितियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिए जाते हैं। तथापि, समिति द्वारा किसी विषय पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए मत को, दिशा-निर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

x) मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण मंत्रियों की सहायतार्थ और कोई भी अपेक्षित स्पष्टीकरण देने के लिए बैठकों में उपस्थित रहते हैं।

xi) बैठकों में चर्चा की अनौपचारिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देश सदस्यों को और सरकार को बाध्य करते हैं कि इन समितियों की बैठकों में हुई किसी भी चर्चा का उल्लेख किसी भी सदन में नहीं किया जाए।

xii) परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

8.4 सामान्यत: लोक सभा के लिए आम चुनावों के पश्चात, नई लोक सभा के गठन के पश्चात परामर्शदात्री समितियां गठित की जाती हैं। सत्रहवीं लोक सभा के लिए विभिन्न मंत्रालयों के लिए कुल 40 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं **(परिशिष्ट-8)**।

8.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का ब्यौरा और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय **परिशिष्ट-9** में दिए गए हैं।

8.6 परामर्शदात्री समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों की शर्तों के अनुसार समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलेंडर वर्ष में, अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम जिससे परामर्शदात्री समिति संबद्ध है**	**बैठक की तारीख और स्थान**
1.	भारी उद्योग मंत्रालय	21 फरवरी, 2023 को मुंबई, महाराष्ट्र
2.	वस्त्र मंत्रालय	24 फरवरी, 2023 को मुंबई, महाराष्ट्र
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	9 अप्रैल, 2023 को सोनमर्ग, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
4.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	23 मई, 2023 को गोवा
5.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	2 जून, 2023 को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र
6.	रक्षा मंत्रालय	16 जून, 2023 को बंगलूरू, कर्नाटक
7.	जल शक्ति मंत्रालय	6 जुलाई, 2023 को गुवाहाटी, असम
8.	उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	7 जुलाई, 2023 को उदयपुर, राजस्थान
9.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	14 जुलाई, 2023 को देहरादून, उत्तराखंड
10.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	12 अगस्त, 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा
11.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	13 अगस्त, 2023 को अहमदाबाद, गुजरात
12.	विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	14 सितंबर, 2023 को हैदराबाद, तेलंगाना
13.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	3 नवंबर, 2023 को काजीरंगा, असम
14.	गृह मंत्रालय	26 फरवरी, 2024 को दमन, दमन और द्वीव

अध्याय-9

संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

9.1 निरन्तर और तेजी से परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हमारी राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों और समस्याओं को सही और स्पष्ट रूप से विभिन्न देशों में प्रसारित व प्रचारित करने और उनके दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता बहुत समय से अनुभव की जा रही थी। किसी भी देश के संसदविद उस देश की नीति के निर्धारण और अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषकर, भारत जैसे प्रगतिशील लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए यह नि:संदेह अति आवश्यक और उपयोगी है कि वह कुछ संसद सदस्यों व गण्यमान्य व्यक्तियों का चयन करे और इस कार्य के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करें कि वे अन्य देशों में उनके समकक्ष व्यक्तियों और अन्य नीति निर्माताओं को विभिन्न क्षेत्रों में हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, समस्याओं और उपलब्धियों को स्पष्ट करके उनको भारत के पक्ष में कर सकें। निसंदेह, पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित संसद सदस्यों के शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। अत: संसद सदस्यों के तीन से चार शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नेतृत्व में, जिसमें संसद के दोनों सदनों में मुख्य सचेतक तथा अपने-अपने राजनैतिक दलों द्वारा चुने गए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल होते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय भी अन्य देशों से ऐसे ही शिष्टमंडलों का स्वागत करता है।

संसदविदों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमण्डल का विदेश दौरा

9.2 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, श्री प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों में विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, मुख्य सचेतकों और सांसदों के एक सद्भावना शिष्टमंडल ने 11 जून, 2023 से 19 जून, 2023 के दौरान ब्राजील और उरुग्वे का दौरा किया।

शिष्टमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:-

1.	श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री	शिष्टमंडल के नेता
2.	श्री संजय सेठ, सांसद (लो.स)	भा.ज.पा.
3.	श्रीमती गोमती साय, सांसद (लो.स)	भा.ज.पा.
4.	सुश्री इंदु बाला गोस्वामी, सांसद (रा.स)	भा.ज.पा.
5.	श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया, सांसद (रा.स)	भा.ज.पा.
6.	श्री नीरज डांगी, सांसद (रा.स)	भा.रा.कां.
7.	श्री सी.एन. अन्नादुरई, सांसद (लो.स)	द्र.मु.क.
8.	डॉ. मद्दीला गुरूमूर्ति, सांसद (लो.स)	वाई.एस.आर.सी.पी.
9.	सुश्री चन्द्राणी मुर्मु, सांसद (लो.स)	बी.ज.द.
10.	श्री हेमन्त श्रीराम पाटिल, सांसद (लो.स)	शिवसेना

संसदीय कार्य मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारी शिष्टमंडल के साथ गए थे-	
1.	श्री गुडे श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	श्री नारायण गंभीर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी
3.	श्री सिद्धार्थ शंकर पात्र, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय
4.	श्री प्रभात कुमार त्रिपाठी, अवर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय

विदेश जाने वाले सरकारी शिष्टमंडलों पर संसद सदस्यों का नामांकन

9.3 माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर 2 संसद सदस्यों को जून, 2023 में चिली में आयोजित द्वितीय संसदीय शिखर सम्मेलन के लिए नामित किया।

विदेश से आए शिष्टमंडलों के साथ बैठक

9.4 विदेशों में शिष्टमंडलों को भेजने के अलावा, विदेशों के विभिन्न शिष्टमंडल संसदीय कार्य मंत्री/संसदीय कार्य राज्य मंत्री से मुलाकात करते हैं और संसद के कार्यचालन एवं परस्पर हित के अन्य मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। इस वर्ष, अर्जेंटीना और ब्राजील के दो ऐसे ही संसदीय शिष्टमंडलों ने क्रमशः 06.2.2023 और 18.07.2023 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मुलाकात की।

संसद सदस्यों के विदेश दौरे

9.5 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, 2 संसद सदस्यों (1 सदस्य लोक सभा से और 1 सदस्य राज्य सभा से) ने विदेश के अपने निजी/अध्ययन दौरों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित किया। इन सदस्यों की मांग पर, विदेश मंत्रालय तथा विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन अनुमति

9.6 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन, विदेश जाने वाले संसद सदस्यों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि ऐसे दौरों के संबंध में, जिनमें विदेशी सरकार या संगठन से 'विदेशी आतिथ्य' स्वीकार किया जाता है, गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जाए। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में इस मंत्रालय द्वारा सदस्यों को समय-समय पर सूचित किया जाता है। इस संबंध में सदस्यों द्वारा मांगी गई आवश्यक सहायता भी प्रदान की जाती है।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

9.7 मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निदेशों (का.ज्ञा.सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार सरकारी विदेश दौरों से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमति लेना/प्राप्त करना अपेक्षित है।

अध्याय -10

युवा संसद योजना

एक झलक:

- "युवा संसद प्रतियोगिता" की विभिन्न योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए गए:-
  1. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के लिए 14 जुलाई, 2023 को डिजिटल मोड में।
  2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के लिए 4 अगस्त, 2023 को डिजिटल मोड में।
  3. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के लिए 11 अगस्त, 2023 को।
- "युवा संसद प्रतियोगिता" की विभिन्न योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए गए:-
  1. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए 4 मई, 2023 को।
  2. दिल्ली के विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए 21 जुलाई, 2023 को।
  3. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के लिए 1 सितंबर, 2023 को।
  4. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 के लिए 16 फरवरी, 2024 को।
- 1 अप्रैल, 2023 को **पोर्टल आधारित राष्ट्रीय युवा संसद योजना के तीसरे संस्करण** का शुभारंभ। 'राष्ट्रीय युवा संसद योजना' के वेब-पोर्टल की शुरूआत के बाद से 31 मार्च, 2024 तक कुल 11,700 संस्थाएं पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर चुकी हैं।
- आजादी का अमृत महोत्सव की थीम पर युवा संसद की विशेष बैठकें।
- 'स्वच्छता ही सेवा' समारोह, 2023 के भाग के रूप में और 75वें गणतंत्र दिवस, 2024 के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिताएँ।

प्रस्तावना

10.1 युवा वर्ग में प्रजातांत्रिक भावना के विकास के उद्देश्य से युवा संसद प्रतियोगिता की योजना देश में पहली बार इस मंत्रालय द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सहयोग से वर्ष 1966-67 में दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शुरू की गई। इस कार्यकलाप का और अधिक विस्तार करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन.डी.एम.सी.) द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों को भी युवा संसद योजना में वर्ष 1995 से शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताओं की 3 अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों तक भी युवा संसद योजना का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता से पहले मंत्रालय प्रतिभागी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में इस कार्यकलाप के प्रभारी अध्यापकों के लाभ और मार्गदर्शन के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक प्रतियोगिता की समाप्ति पर, मंत्रालय द्वारा एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों, संस्थाओं और प्रभारी अध्यापकों को ट्राफियां, शील्ड, प्रमाणपत्र और स्मृति-चिह्न प्रदान किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, 7वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार, दिल्ली के विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को व्यय की प्रतिपूर्ति करने के अलावा युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा, वर्ष 2019 में, युवा संसद कार्यक्रम के दायरे में विस्तार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद योजना का एक वेब-पोर्टल लॉन्च किया गया था।

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.2 दिल्ली के विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह 21 जुलाई, 2023 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कालकाजी को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 10 विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

श्री जी. श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और अन्य गणमान्य व्यक्ति शिक्षकों और छात्रों को पुरस्कृत करते हुए।

10.3 इस मंत्रालय ने 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रभारी शिक्षकों के लाभ के लिए 11 अगस्त, 2023 को एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया था। आवश्यक संसाधन सामग्री को डिजिटल मोड में साझा किया गया और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

अवर सचिव, युवा संसद 11 अगस्त, 2023 को व्याख्यान देते हुए

10.4 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता का मूल्यांकन नवंबर, 2023 - जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया गया। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विद्यालयों और एनडीएमसी के 4 विद्यालयों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।

एम.एम. पब्लिक स्कूल, पीतमपुरा, दिल्ली की युवा संसद बैठक

केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक अलग युवा संसद प्रतियोगिता योजना वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी। केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 34 संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं।

10.6 केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह 1 सितंबर, 2023 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर केन्द्रीय विद्यालय नं.1, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए नेहरू रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। 4 केंद्रीय विद्यालयों को उनके संबंधित अंचल में उनके सराहनीय प्रदर्शन के लिए आंचलिक विजेता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और 20 केंद्रीय विद्यालयों को क्षेत्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए योग्यता ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, विध और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ केन्द्रीय विद्यालय नं.1, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी।

10.7 इस मंत्रालय ने 4 अगस्त, 2023 को डिजिटल मोड में 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी शिक्षकों के लाभार्थ अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। आवश्यक संसाधन सामग्री डिजिटल मोड में साझा की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिए।

4 अगस्त, 2023 को डिजिटल मोड में संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर व्याख्यान

10.8 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 देश के विभिन्न भागों में 150 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रतियोगिताएं पहले अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिभागी विद्यालयों के बीच क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित की गईं। तत्पश्चात, निम्नलिखित स्थानों पर 25 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच 5 आंचलिक स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं:-

क्र.सं.	तारीखें	मेजबान क्षेत्र	मेजबान केंद्रीय विद्यालय	अंचल	प्रतिभागी क्षेत्र
1	7.11.2023 और 8.11.2023	दिल्ली	केंद्रीय विद्यालय, एनएमआर जेएनयू कैंपस, दिल्ली	उत्तर	चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, जम्मू
2	21.11.2023 और 22.11.2023	गुवाहाटी	केंद्रीय विद्यालय, सीआरपीएफ अमेरीगोग	पूर्व	तिनसुकिया, कोलकाता, गुवाहाटी, सिलचर, भुवनेश्वर
3	28.11.2023 और 29.11.2023	लखनऊ	केंद्रीय विद्यालय, गोमती नगर	केंद्रीय	वाराणसी, भोपाल, लखनऊ, पटना, रायपुर
4	5.12.2023 और 6.12.2023	जयपुर	केंद्रीय विद्यालय नं.1, जयपुर	पश्चिम	अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, आगरा, रांची
5	12.12.2023 और 13.12.2023	चेन्नई	केंद्रीय विद्यालय, डीआरपीएफ आवड़ी	दक्षिण	हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, एर्नाकूलम, जबलपुर

केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता की आंचलिक प्रतियोगिता (उत्तरी अंचल) 7-8 नवंबर, 2023 को केंद्रीय विद्यालय, एनएमआर, जेएनयू कैम्पस, दिल्ली में आयोजित की गई।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

10.9 जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना 1997 में शुरू की गई थी और अब तक प्रतियोगिता के 25 संस्करण पूरे हो चुके हैं।

10.10 जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह 4 मई, 2023 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। क्षेत्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 7 जवाहर नवोदय विद्यालयों को योग्यता ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, जवाहर नवोदय विद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल के शिक्षकों और छात्रों के साथ।

10.11 इस मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2023 को डिजिटल मोड में 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 के प्रतिभागी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रभारी शिक्षकों के लाभार्थ अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया। आवश्यक संसाधन सामग्री डिजिटल मोड में साझा की गई और संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिया।

अवर सचिव, युवा संसद 14 जुलाई, 2023 को आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रम के दौरान 'युवा संसद के संचालन' पर व्याख्यान देते हुए।

10.12 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 देश के विभिन्न भागों में 80 जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता पहले क्षेत्रीय स्तर पर अपने-अपने क्षेत्रों के प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई। इसके बाद, निम्नलिखित स्थानों पर 8 क्षेत्रीय विजेताओं के बीच 2 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई:-

क्र.सं.	**तारीखें**	**स्थान**	**प्रतिभागी जवाहर नवोदय विद्यालयों के नाम**
1	17 और 18 जनवरी, 2024	जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	1. चंद्रपुर (महाराष्ट्र) 2. जगतसिंहपुर (ओडिशा) 3. बाड़मेर (राजस्थान) 4. कोझिकोड (कालीकट)
2	22 और 23 जनवरी, 2024	जवाहर नवोदय विद्यालय, नालंदा (बिहार)	1. सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) 2. नालंदा (बिहार) 3. पटियाला (पंजाब) 4. ईस्ट खासी हिल्स-I (मेघालय)

<u>विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता</u>

10.13 वर्ष 1997-98 से अब तक पूरे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों में राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के 16 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालयों/कालेजों में 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता

10.14 प्रतिवेदित वर्ष के दौरान, 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन प्रतियोगिता के निम्नलिखित समूह स्तर के विजेताओं के बीच आयोजित किया गया था:

क्र.सं.	संस्था का नाम	समूह	प्रतियोगिता की तिथि
1.	चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना	V	18.04.2023
2.	डीएवी कॉलेज, जालंधर	II	27.04.2023
3.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	IV	11.05.2023
4.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	III	16.05.2023
5.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	VI	23.05.2023
6.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा	I	30.05.2023

शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिए 23 मई, 2023 को युवा संसद की बैठक का आयोजन किया।

पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा ने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के लिए 30 मई, 2023 को युवा संसद की बैठक का आयोजन किया।

10.15 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का पुरस्कार वितरण समारोह 16 फरवरी, 2024 को जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा को प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड से सम्मानित किया गया। समूह स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों को योग्यता ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ।

विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव का उद्घाटन भाषण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिता

10.16 मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जाती है।

10.17 प्रतिवेदित अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश से वर्ष 2021-22 के दौरान, हरियाणा से वर्ष 2022-23 के दौरान और हिमाचल प्रदेश से वर्ष 2022-23 के दौरान अपने राज्य में युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए।

"राष्ट्रीय युवा संसद योजना" का वेब-पोर्टल

10.18 राष्ट्रीय युवा संसद योजना के वेब-पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को किया गया था। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का अभी तक देश के अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करना है। वेब-पोर्टल www.nyps.gov.in पर उपलब्ध है।

10.19 एनवाईपीएस के **तीसरे संस्करण** की शुरूआत दूसरे संस्करण के लिए पंजीकरण बंद करने के बाद 1 अप्रैल, 2023 से की गई थी। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, एनवाईपीएस पोर्टल पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से 1628 नए पंजीकरण किए गए।

एनवाईपीएस डैशबोर्ड

7. <u>आजादी के अमृत महोत्सव एवं 'स्वच्छता ही सेवा' के अंतर्गत कार्यक्रम</u>

10.20 केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) और शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर भौतिक या आभासी रूप में युवा संसद की विशेष बैठकें आयोजित करने के लिए जनवरी, 2022 से अगस्त, 2023 तक प्रतिमाह एक विद्यालय को नामांकित करने का अनुरोध किया गया था। जनवरी, 2023 से अगस्त, 2023 के दौरान कुल 10 विद्यालयों ने युवा संसद की ऊपर उल्लिखित विशेष बैठकों का आयोजन किया।

10.21 मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' उत्सव के भाग के रूप में 29 सितंबर, 2023 को केंद्रीय विद्यालय, गोल मार्केट, दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

10.22 75वें गणतंत्र दिवस, 2024 समारोह के उपलक्ष्य में केन्द्रीय विद्यालय संगठन; नवोदय विद्यालय समिति; शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार; और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

अध्याय-11

मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

11.1 राजभाषा नीति एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उपयुक्त कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य के लिए मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग है।

11.2 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसरण में, मंत्रालय दिनांक 5.1.1978 को केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया था जिसके कर्मचारी वर्ग ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

11.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यह अनिवार्य है कि उसमें विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाए। उक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कागजात द्विभाषी रूप में अथवा केवल हिंदी में ही जारी हों, मंत्रालय के सामान्य अनुभाग (प्रेषण अनुभाग) में एक जांच-बिन्दु स्थापित किया गया है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.4 राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, कार्यान्वयन समिति की पांच बैठकें दिनांक 09.03.2023, 15.06.2023, 26.09.2023, 22.12.2023 और 22.03.2024 को आयोजित की गईं। इन बैठकों में मंत्रालय के सभी अनुभागों में हिंदी में किए जा रहे कार्य की प्रगति पर चर्चा की गई।

हिंदी सलाहकार समिति

11.5 हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सलाह देने के लिए मंत्रालय में एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, समिति की एक बैठक दिनांक 18.01.2023 को आयोजित की गई।

11.6 मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिन्दी के प्रयोग संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन पर लगातार निगरानी रखने के लिए मंत्रालय के अनुभागों का निरीक्षण किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान छः अनुभागों का निरीक्षण किया गया।

हिंदी पखवाड़ा

11.7 मंत्रालय में 14 से 29 सितंबर, 2023 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" मनाया गया। पखवाड़े के उद्घाटन के दौरान, माननीय संसदीय कार्य एवं कोयला और खान मंत्री (श्री प्रल्हाद जोशी) द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए अपील जारी की गई। पखवाड़े के दौरान, निम्नलिखित सात प्रतियोगिताएं स्थल पर आयोजित की गईं:-

1. हिंदी में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता;
2. हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता;
3. हिंदी टंकण प्रतियोगिता;
4. गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिता;
5. हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता;
6. हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता; और
7. हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता।

11.8 हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह 29 सितंबर, 2023 को आयोजित किया गया। समारोह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी टिप्पण - आलेखन नकद पुरस्कार योजना (एक वर्ष में टिप्पण और आलेखन में हिंदी के कम से कम 20,000 शब्द लिखने वाले कर्मचारियों के लिए) के पुरस्कार विजेताओं सहित कुल 30 अधिकारियों/कर्मचारियों (**परिशिष्ट**-10) को पुरस्कार प्रदान किए गए।

श्री उमंग नरूला, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करते हुए।

11.9 अनुसंधान प्रकोष्ठ और नेवा प्रकोष्ठ को छोड़कर मंत्रालय के 15 अनुभागों में से, आठ अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए और अन्य सात अनुभाग 50 प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। विभिन्न अनुभागों द्वारा हिन्दी में किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1.	सामान्य अनुभाग	100%
2.	आश्वासन अनुभाग (लोक सभा)	100%
3.	आश्वासन अनुभाग (राज्य सभा)	100%
4.	हिन्दी अनुभाग	100%
5.	प्रशासन अनुभाग	100%
6.	ई-शासन एवं ई-समन्वय अनुभाग	100%
7.	विधायी-।। अनुभाग	100%
8.	आरटीआई/शिकायत प्रकोष्ठ	100%
9.	युवा संसद-। अनुभाग	50%
10.	युवा संसद-।। अनुभाग	50%
11.	प्रोटोकॉल एवं कल्याण अनुभाग	50%
12.	समिति अनुभाग	50%
13.	विधायी-। अनुभाग	50%
14.	सांसद परिलब्धियां अनुभाग	50%
15.	लेखा और क्रय अनुभाग	50%

हिंदी कार्यशाला

11.10 मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रतिवेदित अवधि के दौरान मंत्रालय में दो हिंदी कार्यशालाएं कार्यशाला संचालित की गईं - पहली 24 अप्रैल से 01 मई 2023 तक और दूसरी 20 अक्टूबर से 06 नवंबर 2023 तक। इन कार्यशालाओं में कुल 23 कर्मचारियों को हिंदी में टिप्पण और आलेखन का प्रशिक्षण दिया गया। 9वें "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" के अवसर पर 20 जून, 2023 को मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक योग कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। कार्यशाला में योग विशेषज्ञ ब्रह्मकुमारी विधात्री एवं ब्रह्माकुमारी पारुल ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण दिया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 (30 अक्टूबर से 05 नवंबर 2023) के दौरान, 3 नवंबर, 2023 को "देश में भ्रष्टाचार निवारण एवं नियंत्रण के उपाय" विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

अध्याय - 12

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

एक झलक

1. प्रस्तावना
2. ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र
3. वर्ष 2023-24 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम
4. नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें
5. नेवा पर गणमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां
6. राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां
7. नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति
8. नेवा सारांश

प्रस्तावना

12.1 ई-विधान डिजिटल इंडिया प्रोग्राम (डीआईपी) के तहत राज्य श्रेणी के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ई-विधान एमएमपी के लिए नोडल विभाग है। ई-विधान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी विधायी सदनों में लागू किया जाना है।

"ई-विधान - राज्य विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना" सदन के पटल पर सभी कागज-पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा प्रदान करके, मानक राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के डिजाइन विकास और कार्यान्वयन, राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए ई-कनेक्टीविटी, नेवा के परिनियोजन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क/नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NICNET/NKN) कनेक्टीविटी के माध्यम से राज्यों के विधानमंडलों को कम कागज उपयोगकर्ता बनाते हुए कम्प्यूटरीकरण के संभावित क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करता है।

ई-विधान एमएमपी का उद्देश्य सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह, सदन के पटल पर दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना और सभी हितधारकों के बीच सूचना का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान करना है और इस प्रकार देश में कम कागजी विधानमंडलों का निर्माण करना है। यह डेटा विश्लेषण, सूचना प्रसंस्करण और सभी राज्य विधानमंडलों के डेटा का विश्लेषण भी उपलब्ध कराएगा। अपने प्रमुख हितधारकों यानी राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान ई-विधान एमएमपी के प्रमुख मिशनों में से एक है।

मानकीकृत जेनेरिक नेवा विकसित किया गया है जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी / राज्य भाषा) होगा और नेशनल क्लाउड-मेघराज पर मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में चलेगा। एप्लिकेशन को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनके जोखिम और लागत पर अनुकूलित किया जा सकता है।

सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्थान पर नोडल अधिकारी के अधीन एक नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) स्थापित किया जाएगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों और विधान

सभा/परिषद सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रत्येक स्थान पर नेवा सेवा केंद्र (एनएसकेक) को ई-लर्निंग केंद्र के रूप में बनाने का प्रस्ताव है।

मिशन और परियोजना उद्देश्य:

नेवा का मिशन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कम कागजी विधानमंडल बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सामग्री को अस्तित्व में आते ही सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को विधायी बहसों में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए खुद को तैयार करने के लिए नवीनतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करने में भी सहायता करना है।

नेवा परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल सचिवालयों की सभी शाखाओं का बैकएंड कंप्यूटरीकरण ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना/डेटा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह और वितरण सुनिश्चित किया जा सके और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ परस्पर संवाद किया जा सके।
- चिन्हित सेवाओं और उनकी प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) शुरू करके बेहतर सेवा स्तरों के साथ सेवाओं का कुशल परिदान।
- राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानसभा सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल के नेवा केंद्र में क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।
- सदस्यों की सहायता के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में नेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना।
- सभी हितधारकों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टल और डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का वितरण।
- डिजिटल विधानमंडल: सदन में टच स्क्रीन/टैबलेट उपकरणों की स्थापना।
- राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को एक टैबलेट डिवाइस प्रदान करना (यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से प्रदान/प्रावधान नहीं किया गया है)।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना। और प्रत्येक राज्य विधानमंडल में राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना।
- नेवा के ई-बुक मॉड्यूल के माध्यम से सदन के पटल पर सभी रिपोर्ट/दस्तावेजों और कागजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने जैसी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए विधानमंडल के सदन (सदनों) में आवश्यक हार्डवेयर/एक्सेस डिवाइस तैनात करना।
- विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी एप्लिकेशंस को उपयोगकर्ता के अनुकूल और उपकरण तटस्थ बनाना।
- सभी राज्य विधानमंडलों के लिए मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल (द्विभाषी) बनाना तथा सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी/डेटा तक तत्काल पहुंचने के लिए उपयोग में आसान मोबाइल ऐप विकसित करना।

- अंत में, नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल विधानमंडलों के लक्ष्य को प्राप्त करना।

लोक निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदन और नेवा की अधिसूचना

योजना की अधिसूचना, दिशा-निर्देश और समझौता ज्ञापन जारी किया जा चुका है और ये नेवा की वेबसाइट (https://www.neva.gov.in) के साथ-साथ संसदीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mpa.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं।

ई-विधान को शुरू करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर सर्वोच्च समिति द्वारा सशक्त किए गए रूप में, भारत सरकार ने सभी विधायी सदनों के कार्यचालन को कागज रहित बनाने के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)," डिजिटल विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के रूप में एक नई केंद्रीय प्रायोजित परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का संचालन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और नेवा परियोजना की योजना के अनुसार, राज्यों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि राज्य विधानमंडलों को खुद को "डिजिटल सदन" में परिवर्तित करने में मदद मिल सके और वे राज्य सरकार के विभागों के साथ कागज रहित रूप में सूचना के आदान-प्रदान सहित समस्त सरकारी कार्य डिजिटल प्लेटफार्म पर निष्पादित कर सकें। योजना के तहत सहायता परियोजना के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों, नियमों और शर्तों द्वारा शासित की जाएगी। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत: 673.94 करोड़ रुपये (केंद्र की हिस्सेदारी 423.60 करोड़ रुपये और राज्यों की हिस्सेदारी 250.34 करोड़ रुपये, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संरचना की तर्ज पर 60:40 के अनुपात में है)। केंद्र की हिस्सेदारी में सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित व्यय के लिए 108.29 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

ई-विधान एमएमपी के तहत स्वचालन के क्षेत्र

12.2 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है जो सदन के कागज रहित कामकाज और सूचनाओं के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए प्रासंगिक हैं। नेवा परियोजना के तहत निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं-

डिजिटल सदन

नेवा डिजिटल सदन, नेवा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) का एक हिस्सा है और इसे राज्य विधानमंडल की सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल (कागज रहित) बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेवा ई-बुक को विज़ुअल स्टूडियो 2017 और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर एमवीसी आर्कीटेक्चर, सिग्नल-आर कोर, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी, जेसन, बूटस्ट्रैप इत्यादि में asp.net कोर 2.2 (माइक्रोसॉफ्ट की एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी) के माध्यम से विकसित किया गया है।

परियोजना "***नेवा डिजिटल सदन***" एक एप्लिकेशन सूट है, जिसमें प्रमुख मॉड्यूल निम्न प्रकार हैं:

डिजिटल सदन	ई-बुक
	कार्य नियंत्रक
	डिजिटल डिस्प्ले
	ई-मतदान
	ई-उपस्थिति
	सदन उत्पादकता रिपोर्ट
	टॉक टाइम प्रबंधन
	अध्यक्ष पैड
	मंत्री पैड

डिजिटल सदन मॉड्यूल द्वारा निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाते हैं:-

- ❖ डिजिटल ई-बुक का उपयोग करते हुए सभी कागज-पत्रों का डिजिटल रूप में सभापटल पर रखा जाना।
- ❖ इलेक्ट्रॉनिक पैड का उपयोग करते हुए अध्यक्ष (सभापति) और सचिव के बीच संचार।
- ❖ सदन की कार्यवाहियों के दौरान टिप्पणियों के आदान-प्रदान के लिए मंत्री और प्रशासनिक सचिवों के बीच संचार।
- ❖ कार्यसूची की किसी मद पर ई-मतदान।
- ❖ सदस्यों की ई-उपस्थिति।
- ❖ कार्य नियंत्रक मॉड्यूल।
- ❖ कार्यसूची की मदों की डिजिटल डिस्प्ले प्रणाली।
- ❖ अध्यक्ष का टॉक-टाइम प्रबंधन।

मास्टर डाटा

यह मॉड्यूल विशेष तौर पर एडमिन और सुपर एडमिन की भूमिका से संबंधित है और विस्तार से इनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। इसमें कार्यप्रवाह आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एप्लिकेशन में प्रविष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित संपूर्ण मास्टर डाटा की प्रविष्टि के साथ उपयोगकर्ता का संपूर्ण कामकाज शामिल है।

प्रयोगकर्ता प्रबंधन

यह मॉड्यूल कदम दर कदम प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसके माध्यम से एक भावी उपयोगकर्ता एकीकृत और बहु-हितधारक नेवा प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए खुद को नेवा प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहता है, उसे पहले नेवा प्लेटफॉर्म पर खुद को पंजीकृत करना चाहिए। इसमें उपयोगकर्ता को अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है। इस प्रक्रिया का

अंतिम परिणाम यूजर आईडी (नेवा आईडी) और पासवर्ड के साथ उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत/विशिष्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स के सृजन के रूप में सामने आता है। संक्षेप में यह निम्नलिखित उपलब्ध कराता है:-

सुपर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए:

- ❖ विभिन्न उपयोगकर्ता प्रकारों/उप-प्रकारों का सृजन;
- ❖ कार्यात्मक मॉड्यूल / उप-मॉड्यूल का सृजन;
- ❖ सदस्यों, सचिवों आदि जैसे सभी उच्च स्तरीय उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन का अनुमोदन;
- ❖ भूमिकाओं का सृजन और उपयोगकर्ताओं के लिए भूमिकाओं का आबंटन।

स्वयं सेवा के लिए:

- ❖ सदस्य/अधिकारी उपयोगकर्ता आधार सृजित करने के लिए इसे आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर के साथ खुद को पंजीकृत कर सकते हैं;
- ❖ उपयोगकर्ता उच्च अधिकारियों द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के लिए अनुरोध कर सकते हैं;
- ❖ प्रमाणीकरण के बाद यूजर नेम और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ई-मेल पर भेजा जाएगा;
- ❖ प्रत्येक उपयोगकर्ता की भूमिका के लिए विशिष्ट डैशबोर्ड;

विभाग लॉगिन रिप्लाई

यह मॉड्यूल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की भूमिका से संबंधित है। नेवा सरकारी विभागों को प्रश्न/नोटिस आदि के ऑनलाइन उत्तर देने की सुविधा प्रदान करता है और ऐसे सभी विभागों को विधानमंडलों के साथ परस्पर संवाद के संदर्भ में उन्हें कार्यचालन के एक साझा मंच पर लाकर उनके कामकाज को कागज-रहित बनाता है। नेवा विधेयकों, कागज-पत्रों आदि को सभा पटल पर डिजिटल रूप में रखने में सरकारी विभागों को सक्षम बनाता है। यह खंड उपयोगकर्ता विभाग की भूमिका के बारे में बताता है जिसमें उनके विधानमंडल में उठाए गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर का प्रारूपण शामिल है। इसमें नोटिसों के जवाब भेजना भी शामिल है। नेवा का यह मॉड्यूल विभागों को सभी उत्तर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाता है।

मोबाइल एप्लिकेशन

यह भारत के किसी भी राज्य के विधानमंडल संबंधी सूचनाओं तक पहुँचने के लिए एकल मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप एन्ड्रॉएड के साथ-साथ आईओएस मोबाइल उपकरणों के लिए उपलब्ध है। मोबाइल ऐप को मोबाइल फोन के साथ ही टैबलेट उपकरणों में भी स्थापित किया जा सकता है। सभी राज्यों के विधानमंडलों के माननीय सदस्य अपने-अपने राज्य विधानमंडल को सभी प्रकार के विधायी नोटिस/प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए एक ही ऐप का उपयोग कर सकते हैं। यह अपने प्रयोगकर्ता को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराता है:-

- ❖ सत्र का कैलेंडर;
- ❖ कार्यसूची;
- ❖ सभापटल पर कागज-पत्र रखना;
- ❖ समाचार भाग-I और समाचार भाग-II;
- ❖ वाद-विवाद का सारांश;
- ❖ शब्दशः कार्यवाही;
- ❖ प्रश्न सूची और प्रश्न/उत्तर खोज;
- ❖ सरकारी आश्वासन खोज;

- ❖ सदस्य खोज;
- ❖ विधेयक खोज;
- ❖ राज्य विधानमंडल सचिवालय का संपर्क विवरण।

नेवा मोबाइल एप्लिकेशन इंटरफेस

विधेयक प्रबंधन प्रणाली

इस मॉड्यूल को "विधेयक प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल" नाम दिया गया है। एक विधेयक किसी विधानमंडल के विचाराधीन एक प्रस्तावित विधान होता है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता, जब तक कि उसे विधानमंडल द्वारा पारित न कर दिया जाए और ज्यादातर मामलों में कार्यपालिका द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए। यह मॉड्यूल नेवा प्लेटफॉर्म के संभावित उपयोगकर्ताओं को उस प्रक्रिया के बारे में प्रथम सूचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके माध्यम से एक हितधारक/उपयोगकर्ता अपने आपको नेवा प्लेटफॉर्म पर विधेयक प्रबंधन के विभिन्न चरणों में संलग्न रख सकता है, अर्थात जिन चरणों के माध्यम से एक "संभावित विधेयक" आखिरकार "अधिनियम" बनता है। विधेयक प्रबंधन की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों/उपयोगकर्ताओं की भूमिकाएं, कर्तव्य, शक्तियां, कार्य आदि भिन्न-भिन्न होते हैं जो निम्न प्रकार हैं:

सरकारी विभाग:

- ❖ पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयक को अपलोड करना।
- ❖ सहमति दे दिए जाने तक विधेयक के सभी उत्तरवर्ती रूपांतरों को अपलोड करना।
- ❖ विधेयक की जांच और सुधार तथा आशोधन।

विधायी शाखा:

- ❖ विधेयकों का डाटाबेस रखना।
- ❖ विधेयक के आगे बढ़ने की विभिन्न तारीखों को अद्यतित करना।
- ❖ संसद की अनुमति की आवश्यकता होने पर केंद्र को विधेयक भेजना।
- ❖ सदन की इच्छानुसार विभिन्न समितियों को विधेयक भेजना।

समिति शाखा:

- ❖ विधेयकों पर जनता की राय/सुझाव मांगना।
- ❖ जनमत/सुझावों की जांच।
- ❖ समिति के विचार-विमर्श के लिए जनमत/सुझावों को सारांश के रूप में प्रस्तुत करना।
- ❖ समिति के अध्यक्ष द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय के अनुसार विधेयक पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देना।

नागरिक:

- ❖ विधेयकों पर राय/सुझाव ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- ❖ राज्य विधानमंडलों के सदस्य:
- ❖ विधेयक दस्तावेज में जांच और संशोधन का सुझाव देना।

कार्यसूची

यह दस्तावेज़ कार्यसूची के निर्माण से संबंधित है, जो सत्र के किसी दिन विशेष की कार्यसूची होती है। कार्यसूची निर्माण के लिए उपयोगकर्ता डैशबोर्ड (एलओबी सीएमएस) में लॉगिन करता है और कार्यसूची तैयार करता है जिसमें वे सभी महत्वपूर्ण कार्य शामिल होते हैं जो किसी विशेष दिन पर सदन में होने होते हैं। तैयार की गई कार्यसूची को अंतिम अनुमोदन के लिए विधानसभा सचिव को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद इसे सदस्यों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए सार्वजनिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। इस कार्यसूची का सत्र की एक विशेष तारीख के लिए सदन के कामकाज में शामिल सदस्यों, मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों द्वारा संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। प्रकाशित कार्यसूची को बिजनेस टैब के तहत देखा जा सकता है जहां सत्र और संबंधित तिथियों का चयन किया जा सकता है, इस प्रकार संबंधित दस्तावेजों के साथ कार्यसूची को सूचीबद्ध किया जाता है।

समिति प्रबंधन प्रणाली

यह एप्लिकेशन केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार की विधायी शाखा के कामकाज को सरल बनाती है। समिति प्रणाली विधान का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन समितियों के निम्नलिखित कामकाज के लिए डिजिटल प्रणाली उपलब्ध कराती है:

- ❖ समितियों का गठन;
- ❖ उप-समितियों का गठन;
- ❖ ई-फाइलों का सृजन;
- ❖ बैठकों का कार्यक्रम;
- ❖ यात्रा/यात्रा कार्यक्रम;
- ❖ समितियों की सदस्यता का रखरखाव;
- ❖ समिति की रिपोर्ट तैयार करना;
- ❖ संबंधित सरकारी विभागों के साथ पत्राचार;
- ❖ विभागों द्वारा भेजे गए उत्तरों की जांच;
- ❖ सरकारी विभागों को अनुस्मारक;
- ❖ एसएमएस/ई-मेल एकीकरण;
- ❖ सदन के पटल पर रिपोर्ट रखना;
- ❖ अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को सुगम बनाना;

- ❖ किसी विशेष विषय पर जनता की राय लेना;
- ❖ सामग्री की जांच और संसाधन;
- ❖ मौखिक परीक्षा के लिए प्रश्नावली तैयार करना;
- ❖ विभिन्न बैठकों की शब्दशः रिपोर्ट रखना;
- ❖ सभी संबंधित जानकारी/डेटा सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करना।

प्रश्न संसाधन

प्रश्न संसाधन मॉड्यूल में निम्नलिखित की व्यवस्था है:-

- ❖ सदस्यों द्वारा प्रश्न/सूचनाओं की ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रविष्टि।
- ❖ प्रश्नों की डायरी।
- ❖ प्रश्न पाठ की टाइपिंग।
- ❖ राज्य सरकार के संबंधित विभाग को अनंतिम प्रश्न भेजना।
- ❖ प्रश्नों की स्वीकार्यता।
- ❖ प्रश्नों की क्लबिंग।
- ❖ सदस्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं का मतदान।
- ❖ तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए अंतिम प्रश्न सूची तैयार करना।
- ❖ प्रश्नकाल के बाद सार्वजनिक पोर्टल पर प्रश्न और उनके उत्तर प्रकाशित करना।

यह खंड विधानमंडल स्तर पर नोटिस/प्रश्न संसाधन में शामिल विभागों के कामकाज का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें एक नया प्रश्न/नोटिस प्रविष्ट करना, उस प्रश्न के लिए टंकक निर्दिष्ट करना, प्रश्न के आगे विवरण की प्रविष्टि करना, प्रूफ़ रीडिंग के लिए भेजना, सचिव अनुमोदन और संबंधित प्रश्न का पीडीएफ जेनरेट करने के लिए अनुवादक शामिल हैं। ये सभी विभाग इस साझा सीएमएस नेवा एप्लिकेशन के तहत काम करते हैं, जो सदन में उठाए गए प्रश्न तक बाधा रहित पहुँच प्रदान करते हैं।

पब्लिक पोर्टल

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों और राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का वितरण नेवा परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। यह सेवा प्रत्येक विधायिका के लिए डिज़ाइन किए गए सार्वजनिक पोर्टल की सहायता से प्रदान की जाती है।

हरियाणा विधानसभा के लिए नेवा पब्लिक पोर्टल

सदस्य मॉड्यूल

नेवा एप्लिकेशन का सदस्य मॉड्यूल माननीय सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को डिजिटल बनाता है। यह निम्नलिखित की व्यवस्था करता है:

- ❖ सभी प्रकार की सूचनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करना।
- ❖ पूछे जाने वाले पूरक प्रश्न तैयार करने के लिए प्रश्नकाल से एक घंटे पहले तारांकित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना।
- ❖ विभिन्न समिति रिपोर्ट का अवलोकन करना।
- ❖ विभिन्न समिति बैठकों की समय-सारणी और उनकी कार्यसूची का अवलोकन करना।
- ❖ राज्य विधानमंडल विभाग के साथ संवाद करना।
- ❖ लोगों के विभिन्न समूहों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए सामूहिक एसएमएस/सामूहिक ई-मेल का उपयोग करना।
- ❖ फोटोग्राफ के साथ सदस्य के प्रोफाइल को प्रस्तुत करना और अद्यतन करना।

रिपोर्टर्स मॉड्यूल

रिपोर्टर्स मॉड्यूल सदन की कार्यवाहियों के शब्दश: रिकार्ड तैयार करने के लिए एक कार्य प्रवाह आधारित वेब एप्लिकेशन है। किसी भी अनुसूचित भाषा में शब्दशः रिकार्ड तैयार करना संभव है। रिपोर्टर्स मॉड्यूल निम्नलिखित कार्यशीलता प्रदान करता है:

- ❖ प्रमुख द्वारा रिपोर्टरों को टाइम स्लॉट (पारी) सौंपना।
- ❖ पारी-वार फाइलें तैयार करना
- ❖ पारियों का विलय
- ❖ प्रमुख रिपोर्टर को पारी सौंपना
- ❖ प्रमुख रिपोर्टर द्वारा पारियों का पुनरीक्षण
- ❖ सभी पारियों का विलय
- ❖ सार्वजनिक पोर्टल पर हर घंटे शब्दश: कार्यवाही का प्रकाशन
- ❖ सार्वजनिक पोर्टल पर दिनों की कार्यवाहियों का प्रकाशन।

डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल

नेवा का डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल इसके लाभार्थियों को राज्य विधानमंडलों की स्थापना के बाद से सभी आधिकारिक बहसों, समिति की रिपोर्टों, अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्टों, विधेयकों आदि को ऑनलाइन खोजने के लिए सक्षम बनाता है। यह प्रावधान विधायिका के सभी पुराने डेटा को डिजिटल कर देगा और बाद में कागजों पर निर्भरता कम करेगा।

सरकारी आश्वासन मॉड्यूल

यह मॉड्यूल विधानसभा की आश्वासन शाखा को निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम बनाता है-

- ❖ शब्दशः अभिलेखों से आश्वासनों को निकालना।
- ❖ निकाले गए आश्वासनों के लिए डेटाबेस का निर्माण।
- ❖ संबंधित सरकारी विभागों को ऑनलाइन सूचना।
- ❖ एसएमएस/ई-मेल का एकीकरण।
- ❖ समिति के विचारार्थ आश्वासन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।
- ❖ सरकारी विभागों को अनुस्मारक भेजना।
- ❖ दिए गए समय के विस्तार के संबंध में ऑनलाइन जानकारी।
- ❖ सदन में आश्वासन पूर्ति रिपोर्ट रखना। सरकारी विभाग।
- ❖ किसी विशेष विभाग से संबंधित आश्वासन डेटाबेस तक ऑनलाइन पहुंच।

वर्ष 2023 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

12.3.1 **नेवा पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2023**

24 से 25 मई, 2023 को द अशोक, नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में नेवा परियोजना की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल थे, उनके साथ साथ माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, माननीय राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन भी कार्यशाला में उपस्थित थे। सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, श्री अलकेश कुमार शर्मा, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग श्री वी श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय श्री गुडे श्रीनिवास और सचिव, राज्य सभा सचिवालय और सीईओ, संसद टीवी श्री राजित पुन्हानी ने कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं, राज्य सरकारों और एनआईसी के 200 से भी अधिक लोग उपस्थित थे।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी, माननीय राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन।

श्री प्रल्हाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री द्वारा संबोधन

मुख्य अतिथि, श्री पीयूष गोयल, राज्य सभा के नेता; वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री तथा वस्त्र मंत्री द्वारा आधारभूत भाषण।

डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर, नेवा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

12.3.2 गुजरात में नेवा परियोजना का उद्घाटन

भारत की माननीय राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल और अध्यक्ष, गुजरात विधानसभा श्री शंकर चौधरी की उपस्थिति में गुजरात विधानसभा में डिजिटल विधानमंडल के लिए नेवा परियोजना का उद्घाटन किया। 13 सितंबर 2023 को उद्घाटन सत्र में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने भी भाग लिया।

गुजरात विधानसभा में नेवा-डिजिटल सदन का शुभारंभ

12.3.3 नेवा में कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग: मशीन से मशीन अनुवाद

नेवा में वास्तविक समय अनुवाद सेवाएं प्रदान करने के लिए सीपीएमयू, नेवा, कृत्रिम बुद्धिमता और मशीन लर्निंग उपकरणों के उपयोग के माध्यम से अत्याधुनिक मशीन से मशीन अनुवाद तकनीक को शामिल करने के लिए भाषिणी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है और इस तरह राज्य विधायकों के लिए कार्य करने में सुगमता सुनिश्चित करने के अलावा दक्षता, सटीकता को भी बढ़ावा दे रहा है। परियोजना के लिए एक बड़ी उपलब्धि को चिह्नित करते हुए, नेवा के सभी हितधारकों के लिए टेक्स्ट-टू-टेक्स्ट भाषा अनुवाद की सुविधा की गई है जो वर्तमान में सूचना अभिगम में प्रमुख बाधा को संबोधित करते हुए 23 भाषाओं में अनुवाद का समर्थन करती है। यह शासन प्रक्रियाओं में समावेशिता सुनिश्चित करने, संचार अंतराल को कम करने, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

श्री अमिताभ नाग, सीईओ, भाषिणी प्रभाग द्वारा नेवा टीम को भाषिणी का प्रदर्शन।

12.3.4 राज्य सभा की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति द्वारा नेवा पर चर्चा

श्री नारायण दास गुप्ता, सांसद (राज्य सभा) की अध्यक्षता में राज्य सभा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति, ने गुरुवार, 29 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में नेवा एप्लिकेशन के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और संसदीय कार्य मंत्रालय के अपर सचिव ने सभी विधानमंडलों में नेवा की स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। समिति ने सदन में नेवा का सफलतापूर्वक अभिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और राज्य सभा के सहयोग की सलाह दी थी।

इसके अलावा, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और नेवा सेवा केंद्र (एनएसके), ई-लर्निंग सह ई-सुविधा केंद्र की स्थापना करके सदस्यों की सहायता करने जैसे कार्यक्रम केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) के मुख्य कार्य रहें है। ये परिदेय सीपीएमयू द्वारा अपने हितधारकों को ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण सह सहायता, विधायी सत्रों के दौरान लाइव समर्थन और सीपीएमयू, दिल्ली में अधिकारियों को आमंत्रित करके प्रदान किए गए हैं। इससे संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

1. नेवा के प्रदर्शन और परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए आगे के रोडमैप पर चर्चा के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में नेवा सीपीएमयू टीम के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
   - 6 जनवरी, 2023

2. नेवा परियोजना की समीक्षा और त्वरित कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली में सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा डीडीजी, एनआईसी और एमडी, एनआईसीएसआई भी बैठक में शामिल हुए। - 12 जनवरी, 2023

3. उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों की आवश्यकताओं को नेवा सॉफ्टवेयर में एकीकृत करने के लिए सीपीएमयू द्वारा एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके अलावा, कुछ तकनीकी मुद्दों का समाधान करने के लिए सीपीएमयू द्वारा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों के लिए भी एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। - 13 जनवरी, 2023

4. सीपीएमयू टीम ने नेवा के नव विकसित "डिजिटल अभिलेखागार" मॉड्यूल के प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के लिए एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया। - 24 जनवरी, 2023

5. सीपीएमयू द्वारा नेवा के "डिजिटल अभिलेखागार" मॉड्यूल और "रिपोर्टर" मॉड्यूल के प्रदर्शन के लिए मिजोरम विधानसभा के अधिकारियों के लिए एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। - 25 जनवरी, 2023

6. सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा नेवा सॉफ्टवेयर में नए सुझावों/आवश्यकताओं पर चर्चा के संबंध में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अधिकारियों के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। - 31 जनवरी, 2023

7. सीपीएमयू नेवा के तीन अधिकारियों ने सचिव, राजस्थान विधानसभा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए राजस्थान विधानसभा, जयपुर का दौरा किया था ताकि उन्हें नेवा प्लेटफॉर्म के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी जा सके। बैठक के परिणामस्वरूप सचिव ने राजस्थान विधानसभा में नेवा के विभिन्न मॉड्यूल को अपनाने का आदेश दिया। - 06 फरवरी, 2023

8. बिहार, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, मणिपुर और झारखंड की विधानसभाओं में नेवा की प्रगति की स्थिति की समीक्षा के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में आभासी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। - 15 से 17 फरवरी, 2023

9. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ का दौरा किया। विधानसभा ने अपने बजट सत्र के दौरान अपना बजट और राज्यपाल का अभिभाषण नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से कागजरहित तरीके से प्रस्तुत किया। जिसके परिणामस्वरूप नेवा से पूर्व समय की तुलना में कागजों की खपत बहुत कम हो गई। इसके अलावा, विधायकों और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वे नेवा एप्लिकेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो सकें। - 20 से 23 फरवरी, 2023

10. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बजट सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश परिषद, लखनऊ का दौरा किया। बजट सत्र के दौरान परिषद की विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं में नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया था। - 20 से 23 फरवरी, 2023

11. सीपीएमयू, नेवा द्वारा त्रिपुरा विधानसभा के लिए नेवा के विभिन्न मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्रदान करने और नेवा प्लेटफॉर्म के संबंध में विधानसभा के अधिकारियों के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। - 27 और 28 फरवरी 2023

12. सीपीएमयू नेवा ने नेवा परियोजना के बारे में जानकारी देने के लिए आंध्र प्रदेश विधानमंडल के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऑनलाइन बैठक भी आयोजित की । इस बैठक में सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, आंध्र प्रदेश सरकार और आंध्र प्रदेश विधानमंडल के अधिकारियों ने भाग लिया। - 28 फरवरी 2023

13. सभी विधानमंडलों को डिजिटल सदनों में बदलने के लिए नेवा मिशन मोड परियोजना की मध्यावधि समीक्षा पर चर्चा करने के लिए नीति भवन, नई दिल्ली में विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग टीम के साथ सीपीएमयू नेवा टीम की एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। - 1 मार्च, 2023

14. सीपीएमयू नेवा द्वारा नेवा सॉफ्टवेयर में नए सुझावों/आवश्यकताओं पर चर्चा के संबंध में ओडिशा विधानसभा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में ओडिशा विधानसभा के विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया। - 2 मार्च, 2023

15. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ का दौरा किया ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने बजट सत्र को सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिल सके। अधिकारियों को एक प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वे नेवा एप्लिकेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो सकें। - 16 से 22 मार्च, 2023

16. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने मेघालय विधानसभा, शिलांग का दौरा किया ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने सत्र के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिल सके। - 20 से 28 मार्च, 2023

17. जम्मू और कश्मीर विधानसभा के अधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली का दौरा किया। - 20 मार्च, 2023

18. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने आयुक्त और सचिव की अध्यक्षता में मिजोरम विधानसभा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए मिजोरम विधानसभा का दौरा किया था। 22 से 24 मार्च, 2023

19. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने उत्तर प्रदेश विधान सभा और परिषद में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा और परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा और परिषद का दौरा किया था। - 27 से 29 मार्च, 2023

20. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में नेवा पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 28 मार्च, 2023 को आयोजित बैठक में डीडीजी, एनआईसी ने भी भाग लिया, जिसमें सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने एनआईसी से नेवा परियोजना में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। - 13, 20 और 28 मार्च, 2023

21. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्य में नेवा कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए गंगटोक, सिक्किम में अध्यक्ष, विधानसभा और सचिव, विधानसभा के साथ एक समीक्षा बैठक की। - 11 अप्रैल, 2023

22. सीपीएमयू टीम द्वारा नव विकसित क्वेरी मॉड्यूल और रिपोर्टर मॉड्यूल पर हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों के लिए एक आभासी सम्मलेन आधारित डेमो और चर्चा सत्र आयोजित किया गया था। - 26 से 27 अप्रैल, 2023

23. सीपीएमयू टीम द्वारा नेवा सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन के संबंध में उत्तराखंड विधानसभा के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड विधानसभा के विभिन्न अधिकारियों ने भाग लिया। - 3 अप्रैल, 2023

24. मिजोरम विधानसभा में नेवा की स्थिति से संबंधित प्रश्नों और चिंताओं के समाधान के लिए सीपीएमयू की एक आभासी बैठक सह चर्चा आयोजित की गई। - 24 अप्रैल, 2023

25. नेवा सीपीएमयू के तीन अधिकारियों की एक टीम ने नेवा प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके सत्र के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता करने के लिए विधानसभा को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तमिलनाडु विधानसभा, चेन्नई का दौरा किया था। यह नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव होने से पहले सीपीएमयू द्वारा विभिन्न विधानसभाओं को दिया गया इन-हाउस प्रशिक्षण/समर्थन था । - 3 से 13 अप्रैल, 2023

26. सीपीएमयू टीम द्वारा गंगटोक, सिक्किम में सिक्किम विधानसभा के लिए एक प्रशिक्षण नियत किया गया था ताकि वे नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने आगामी सत्र के संचालन में सक्षम हो सकें। - 10 से 13 अप्रैल, 2023

27. छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन में आने वाले मुद्दों पर विचार करने के लिए निदेशक, एनआईसी, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ विधानसभा के साथ नेवा पर एक आभासी बैठक आयोजित की गई। 10 अप्रैल, 2023

28. नेवा कार्यान्वयन से संबंधित नागालैंड और गुजरात विधानसभा की अतिरिक्त मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में सीपीएमयू टीम के सदस्यों के साथ एक आभासी बैठक आयोजित की गई। - 27 अप्रैल 2023

29. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने पंजाब में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने हेतु पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव के साथ समीक्षा बैठक करने के लिए पंजाब विधानसभा का दौरा किया था। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेवा प्लेटफॉर्म पर पहले से ही लाइव हरियाणा विधानसभा का भी दौरा किया और माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा और सचिव, विधानसभा के साथ चर्चा की। - 22 मई, 2023

30. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों की एक टीम ने सिक्किम विधानसभा, गंगटोक का दौरा किया ताकि विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। यह नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव होने से पहले सीपीएमयू नेवा द्वारा विभिन्न विधानसभाओं को दिया गया इन-हाउस प्रशिक्षण/समर्थन था। - 17 से 21 मई, 2023

31. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) ने अंतिम किस्त जारी करने से पहले हरियाणा विधानमंडल में परियोजना की वित्तीय लेखा परीक्षा की। हरियाणा विधानसभा में परियोजना की लेखा परीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के साथ सीपीएमयू नेवा से संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी उपस्थित थे। - 15 से 19 मई, 2023

32. मंत्रालय ने सभी नेवा उपयोगकर्ताओं और हितधारकों की सहायता के लिए एक टोल-फ्री नेवा हेल्प-डेस्क नंबर -14436 लॉन्च किया था। - 23 मई, 2023

33. गुजरात विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष और सचिव के साथ समीक्षा बैठक करने हेतु गुजरात विधानसभा का दौरा किया था। - 2 जून, 2023

34. सीपीएमयू नेवा के 4 अधिकारियों की एक टीम ने गुजरात विधानसभा, गांधीनगर का दौरा किया ताकि विधानसभा के अधिकारियों को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने आगामी सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। - 12 से 15 जून, 2023

35. सीपीएमयू टीम द्वारा हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों के लिए नव विकसित क्वेरी प्रबंधन मॉड्यूल पर एक आभासी सम्मलेन आधारित डेमो और चर्चा सत्र आयोजित किया गया था। - 7 जून, 2023

36. सीपीएमयू द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए नेवा सॉफ्टवेयर के विधेयक प्रबंधन मॉड्यूल के प्रदर्शन हेतु एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। - 7 जून, 2023

37. सीपीएमयू नेवा द्वारा सिक्किम विधानसभा के लिए नेवा सॉफ्टवेयर के मोबाइल ऐप, सदस्य मॉड्यूल, प्रश्न प्रसंस्करण मॉड्यूल, विभाग मॉड्यूल और ई-लेइंग मॉड्यूल के प्रदर्शन के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया था। - 21 और 22 जून, 2023

38. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड में नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की । - 28 जुलाई, 2023

39. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सिक्किम विधानसभा के प्रतिनिधियों के साथ विधानसभा में नेवा कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा की। विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र के हिस्से की तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। - 27 जुलाई, 2023

40. सीपीएमयू के तीन अधिकारियों की एक टीम ने त्रिपुरा विधानसभा, अगरतला का दौरा किया ताकि विधानसभा के अधिकारियों को नेवा प्लेटफॉर्म पर अपने बजट सत्र के सफलतापूर्वक संचालन में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। यह नेवा पर लाइव होने से पहले सीपीएमयू नेवा द्वारा दिया गया इन-हाउस प्रशिक्षण था। - 7 से 13 जुलाई, 2023

41. सीपीएमयू नेवा टीम ने नेवा प्रश्न मॉड्यूल में परिवर्तन और संस्थिति की समीक्षा करने के लिए 10 जुलाई 2023 को गुजरात विधानसभा के अधिकारियों के लिए एक आभासी सम्मेलन सत्र आयोजित किया। टीम ने अल्प सूचना प्रश्नों, सरकारी विधेयक मॉड्यूल, सदस्य मॉड्यूल और व्यवसाय की सूची मॉड्यूल में परिवर्तनों और संस्थिति की समीक्षा करने के लिए गुजरात विधानसभा के लिए एक आभासी प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया। - 24 जुलाई, 2023

42. सीपीएमयू टीम ने प्रश्न, समिति, रिपोर्टर और व्यवसाय की सूची मॉड्यूल के प्रदर्शन के लिए तमिलनाडु विधानसभा के लिए एक आभासी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। - 26 जुलाई, 2023

43. नागालैंड विधानसभा के लिए डिजिटल अभिलेखागार मॉड्यूल के प्रदर्शन और समिति मॉड्यूल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक आभासी सम्मलेन आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया। - 28 जुलाई, 2023

44. सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में उत्तराखंड विधानसभा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच के लिए सीपीएमयू की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तराखंड विधानसभा के अधिकारियों समेत सीपीएमयू के सदस्यों ने हिस्सा लिया। 17 अगस्त, 2023

45. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने नेवा के माध्यम से लाइव मानसून सत्र के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा और परिषद का दौरा किया। - 7 से 11 अगस्त, 2023

46. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों की एक टीम ने अगस्त सत्र 2023 के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विधानसभा का दौरा किया। - 25 से 29 अगस्त, 2023

47. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) ने अंतिम किस्त जारी करने से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा में परियोजना की वित्तीय लेखा परीक्षा की। विधान सभा में परियोजना की लेखा परीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के साथ सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारीगण भी उपस्थित थे। - 21 से 25 अगस्त, 2023

48. गोवा विधान सभा में नेवा कार्यान्वयन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गोवा विधान सभा ने केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, दिल्ली का दौरा किया। सीपीएमयू टीम ने नेवा एप्लिकेशन सूट का प्रदर्शन किया। एपीआई के माध्यम से डाटा एकीकरण पर भी चर्चा हुई। - 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2023

49. समिति मॉड्यूल के प्रदर्शन के लिए बिहार विधान परिषद के लिए एक आभासी सम्मेलन सत्र आयोजित किया गया था। - 23 अगस्त, 2023

50. सीपीएमयू नेवा टीम ने मेघालय विधानसभा के लिए विधेयक मॉड्यूल के प्रदर्शन के लिए एक आभासी सम्मेलन सत्र आयोजित किया। - 24 अगस्त, 2023

51. सीपीएमयू की एक टीम ने आगामी शीतकालीन सत्र 2023 के लिए रिपोर्टर मॉड्यूल के प्रदर्शन के लिए मेघालय विधानसभा के साथ एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया। - 29 अगस्त, 2023

52. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों ने नेवा प्लेटफॉर्म पर लाइव होने से पहले सदन के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए गुजरात विधान सभा का दौरा किया। टीम के सदस्यों को गुजरात विधानसभा को नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक डिजिटल विधानसभा में परिवर्तित करने के उनके सराहनीय कार्य के लिए माननीय अध्यक्ष, श्री शंकरभाई चौधरी द्वारा सम्मानित किया गया। - 4 से 7 सितंबर, 2023 और 11 से 17 सितंबर, 2023

53. सीपीएमयू नेवा के तीन अधिकारियों ने मेघालय विधानसभा, शिलांग का दौरा किया ताकि विधानसभा के अधिकारियों को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने मानसून सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। - 15 से 22 सितंबर, 2023

54. सीपीएमयू नेवा के चार अधिकारियों ने पंजाब विधानसभा में नेवा परियोजना के उद्घाटन में भाग लेने के लिए पंजाब विधानसभा, चंडीगढ़ का दौरा किया। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने पंजाब विधानसभा में नेवा का उद्घाटन किया, जिससे राज्य के डिजिटल विधानमंडल कामकाज के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। - 21 और 22 सितंबर, 2023

55. अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिल्ली में त्रिपुरा विधानसभा के अपर सचिव के साथ बैठक की। उन्होंने विधानसभा में नेवा परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया और उन्हें केंद्रीय अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बारे में आश्वासन दिया गया। - 25 सितंबर, 2023

56. सीपीएमयू टीम द्वारा "विधेयक मॉड्यूल" पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए पंजाब विधानसभा के साथ एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। - 13 सितंबर, 2023

57. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) ने जारी किस्तों के संबंध में बिहार (दोनों सदनों) में परियोजना की वित्तीय लेखा परीक्षा की। विधानमंडल में परियोजना की लेखा परीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के साथ सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारीगण भी उपस्थित थे। - 18 से 22 सितंबर, 2023

58. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए धर्मशाला में, उत्तराखंड विधानसभा के लिए देहरादून में और गैरसैंण स्थानों पर नेवा परियोजना को मंजूरी देने और नागालैंड विधानसभा के लिए अतिरिक्त धनराशि की मंजूरी देने के लिए डिजिटल विधानमंडलों के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) की अधिकार प्राप्त समिति की 12वीं आभासी बैठक आयोजित की गई थी। - 29 सितंबर, 2023

59. पंजाब विधानसभा ने अपना चौथा सत्र नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किया। सत्र के दौरान विभिन्न नेवा मॉड्यूल जैसे व्यवसाय की सूची, डिजिटल सदन आदि का उपयोग किया गया। नेवा प्लेटफॉर्म पर सदन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सीपीएमयू नेवा द्वारा पंजाब विधानसभा को आवश्यक सहयोग दिया गया। - 20 अक्टूबर, 2023

60. सीपीएमयू नेवा टीम ने डिजिटल अभिलेखागार नेवा के माध्यम से संपदा अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए हरियाणा विधानसभा के साथ एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया। - 11 अक्टूबर, 2023

61. सीपीएमयू टीम ने सूचना मॉड्यूल पर चर्चा के लिए पंजाब विधानसभा के साथ एक आभासी सम्मलेन का आयोजन किया। सीपीएमयू नेवा टीम ने रिपोर्टर मॉड्यूल और समय प्रबंधन डिस्प्ले स्क्रीन (डिजिटल सदन मॉड्यूल) के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए एक आभासी सम्मेलन का भी आयोजन किया। - क्रमशः 12 अक्टूबर, 2023 और 17 अक्टूबर, 2023

62. देहरादून, उत्तराखंड में उत्तराखंड विधानसभा के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय कार्यशाला में, टीम ने उत्तराखंड विधानसभा के अधिकारियों के लिए नेवा मॉड्यूल का प्रदर्शन किया। - 20 और 21 नवंबर, 2023

63. अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने असम विधानसभा में नेवा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से माननीय अध्यक्ष और सचिव, असम विधानसभा के साथ चर्चा करने के लिए असम विधानसभा का दौरा किया। - 30 नवंबर, 2023

64. सीपीएमयू टीम के दो अधिकारियों ने पंजाब विधानसभा को नेवा के माध्यम से उसके पहले डिजिटल सत्र के दौरान व्यावहारिक समर्थन प्रदान किया। - 28 और 29 नवंबर, 2023

65. सीपीएमयू नेवा टीम ने मास्टर डाटा निर्माण पर प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड विधानसभा के साथ एक आभासी सम्मलेन आयोजित किया। - 7 नवंबर, 2023

66. पंजाब विधानसभा के साथ विधेयक मॉड्यूल पर चर्चा के लिए एक आभासी सम्मलेन आयोजित किया । 20 नवंबर 2023

67. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों ने हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़ का दौरा किया ताकि विधानसभा के अधिकारियों को नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने शीतकालीन सत्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। - 15 से 19 दिसंबर, 2023

68. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) ने जारी किस्तों के संबंध में मिजोरम में परियोजना की वित्तीय लेखा परीक्षा की। विधानमंडल में परियोजना की लेखा परीक्षा करने हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के साथ सीपीएमयू नेवा के एक सदस्य भी उपस्थित थे। - 18 से 22 दिसंबर, 2023

69. सीपीएमयू टीम ने विभिन्न मॉड्यूल पर चर्चा के लिए पंजाब विधान सभा के साथ एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया। इस आभासी सम्मेलन में रिपोर्टर, डिजिटल अभिलेखागार और डिजिटल सदन मॉड्यूल का प्रशिक्षण और प्रदर्शन शामिल था। - 7 दिसंबर, 2023

70. सीपीएमयू के अधिकारियों ने बजट सत्र के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए गुजरात राज्य विधानमंडल का दौरा किया। सदन में नेवा के माध्यम से बजट सत्र के सुचारु संचालन में सहायता के लिए सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम भी 31 जनवरी से विधानसभा में तैनात की गई है। - 11 से 20 जनवरी, 2024

71. विभिन्न राज्य विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में सीपीएमयू की बैठक आयोजित की गई। - 16 जनवरी, 2024

72. कई भाषाओं में एपीआई टेक्स्ट टू टेक्स्ट को लागू करने के लिए नेवा टीम ने भाषिणी टीम के साथ एक आभासी सम्मलेन का आयोजन किया। एपीआई वॉयस टू वॉयस और वॉयस टू टेक्स्ट को लागू करने के लिए भाषिणी टीम के साथ एक आभासी सम्मलेन भी आयोजित किया गया। - 2 जनवरी, 2024 और 12 जनवरी, 2024

73. 12वीं मणिपुर विधानसभा के 5वें सत्र की कार्यवाही नेवा के माध्यम से आयोजित की गई। नेवा को अपनाकर स्वयं को डिजिटल सदन में बदलने वाला यह देश का 13वां विधानमंडल बन गया। - 27 फरवरी से 5 मार्च, 2024

74. असम ने नेवा को अपनाकर स्वयं को एक डिजिटल सदन में परिवर्तित करने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 22 फरवरी, 2024

75. गुजरात विधानसभा में नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम विधानसभा में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैनात की गई थी। - 31 जनवरी से 29 फरवरी, 2024

76. सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम ने नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु मेघालय विधान सभा का दौरा किया। - 15 से 27 फरवरी, 2024

77. नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीपीएमयू की एक टीम ने हरियाणा विधान सभा का भी दौरा किया और आवश्यक सहायता प्रदान की। - 20 से 28 फरवरी, 2024

78. सीपीएमयू की तकनीकी टीम ने नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु मणिपुर विधान सभा का दौरा किया। - 27 फरवरी से 5 मार्च, 2024

79. श्री नारायण दास गुप्ता, सांसद (राज्य सभा) की अध्यक्षता में राज्य सभा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति ने नेवा एप्लिकेशन के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए बैठक की। - 29 फरवरी, 2024

80. अपर सचिव ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को नेवा एप्लिकेशन की प्रस्तुति देने के लिए राजस्थान विधानसभा का दौरा किया। - 20 फरवरी, 2024

81. नेवा टीम ने समिति मॉड्यूल का प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा के साथ एक आभासी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। - 12 फरवरी, 2024

82. संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आभासी रूप से पंजाब विधानसभा की राज्य परियोजना निगरानी इकाई बैठक में शामिल हुए। - 19 फरवरी, 2024

83. आंतरिक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा सिक्किम और नागालैंड विधान सभाओं में नेवा परियोजना की लेखापरीक्षा की गई । सिक्किम विधान सभा में 4 से 7 मार्च, 2024 तक और नागालैंड विधान सभा में 7 से 9 मार्च, 2024 तक यह लेखापरीक्षा आयोजित की गई।

84. असम विधान सभा ने नेवा को अपनाने के लिए 22.02.2024 को संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और नेवा को अपनाकर स्वयं को डिजिटल सदन में बदलने वाला यह देश का 23वां विधानमंडल बन गया। इसके आलावा, सचिवालय के अधिकारियों के लिए 18 और 19 मार्च, 2024 को असम विधानसभा में नेवा पर 2 दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

85. राज्य सभा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति के निर्देशों के अनुसार, राज्य सभा में उपयोग के लिए एप्लिकेशन की उपयुक्तता का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए नेवा के विभिन्न मॉड्यूल का एक प्रदर्शन आयोजित किया गया था। - 7 मार्च, 2024

86. सीपीएमयू, सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में बिहार विधानसभा के अधिकारियों के लिए नेवा के विभिन्न मॉड्यूल पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। - 11 से 13 मार्च, 2024

87. नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम ने पंजाब विधान सभा का दौरा किया। - 1 से 15 मार्च, 2024

88. त्रिपुरा विधानसभा में नेवा के माध्यम से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीपीएमयू की टीम ऑनलाइन तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त की गई। - 1 से 5 मार्च, 2024

नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकें

12.4 नेवा परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकारप्राप्त समिति - नेवा परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:-

1. सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय) - अध्यक्ष
2. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उनके नामिति - सदस्य
3. वित्तीय सलाहकार - सदस्य
4. महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी - सदस्य
5. एमडी, एनआईसीएसआई - सदस्य
6. संबंधित विधानमंडल का सचिव - सदस्य
7. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सचिव (आईटी) - सदस्य
8. अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर - सदस्य सचिव
9. अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति -विशेष आमंत्रितगण

मार्च, 2024 तक विभिन्न विधानमंडलों की परियोजना को अनुमोदित करने के लिए अधिकारप्राप्त समिति की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई हैं:

नेवा की अधिकारप्राप्त समिति की बैठकों का ब्यौरा

क्र.सं.	अधिकारप्राप्त समिति की बैठक संख्या	बैठक की तारीख	विधानमंडल जिनके लिए परियोजना मंजूर की गई/अभ्युक्ति
1	पहली	12 अक्तूबर, 2020	पंजाब और ओडिशा
2	दूसरी	26 नवंबर, 2020	नागालैंड, बिहार विधानसभा और बिहार परिषद
3	तीसरी	22 मार्च, 2021	मणिपुर, सिक्किम और तमिलनाडु
4	चौथी		
5	पांचवीं	21 दिसंबर, 2021	त्रिपुरा
6	छठी	23 दिसंबर, 2021	मेघालय और हरियाणा
7	सातवीं	24 जनवरी, 2022	मिजोरम
8	आठवीं	14 मार्च, 2022	उत्तर प्रदेश विधानसभा और परिषद
9	नौवीं	24 जून, 2022	गुजरात
10	दसवीं	29 जून, 2022	झारखंड
11	ग्यारहवीं	2 सितंबर, 2022	पुडुचेरी
12	बारहवीं	29 सितंबर, 2023	हिमाचल प्रदेश विधान सभा धर्मशाला के लिए और उत्तराखंड विधान सभा देहरादून और गैरसेन के लिए।

12.5 नेवा पर गण्यमान्य व्यक्तियों की टिप्पणियां

1. ***अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण, 20 नवंबर, 2020***

"साथियों, संसद और विधान सभाओं को डिजिटल करने के कुछ प्रयास चल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ें। अगर सभी पीठासीन अधिकारी इस दिशा में पहल करेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक और सांसद इस तकनीक को तेजी से अपनाएंगे।

आजादी के 75 सालों को देखते हुए क्या आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं? क्या आप ये लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयरिंग की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है, ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो। आम नागरिक और देश के सभी सदनों को सभी सदनों के कामकाज का रियल टाइम ब्यौरा उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना को जल्द से जल्द अपनाएं। अब हमें अपने काम करने के तरीके, पेपरलेस तरीकों में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। साथियों, देश को संविधान सौंपते समय संविधान सभा एकमत थी कि आने वाले भारत में परंपराओं से भी बहुत कुछ स्थापित होगा। संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां इस ताकत को दिखाएं और अपने साथ नई परंपराएं जोड़ती रहें।"

2. ***श्री राम नाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति अपने बजट भाषण, 2021-22 के दौरान, 29 जनवरी, 2021***

"टेक्नोलॉजी का यह प्रयास देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी सशक्त बना रहा है। इस दिशा में ई-विधान ऐप के माध्यम से विधानसभाओं, विधान परिषदों तथा संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। राज्यों की विधानसभाओं में नेवा - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का कार्यान्वयन विधायी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में एक नए युग की शुरूआत करेगा।"

3. 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का भाषण

17 नवंबर, 2021, हिमाचल प्रदेश

"मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधान सभाएं और राज्य अमृतकाल के दौरान इस अभियान को नई ऊंचाई तक ले जाएं, मेरे पास एक विचार है - वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म - क्या ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय प्रणाली को आवश्यक तकनीकी अवलंब प्रदान करे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का काम भी करे। इस पोर्टल पर हमारे सदनों के लिए सभी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। हमारी संसद और सभी विधानमंडलों के पुस्तकालयों को डिजिटाइज़ करने और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य विधानमंडलों को काम करने दें, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष और राज्य सभा के माननीय उप-सभापति के नेतृत्व में, आप पीठासीन अधिकारी इस प्रणाली को आगे बढ़ा सकते हैं। किए जा रहे कार्यों में भी तेजी लानी होगी।"

12.6 राज्यों के विधानमंडलों में नेवा की उपलब्धियां

ओडिशा विधानसभा

"देश में एक मॉडल बजट" की टैगलाइन के साथ, ओडिशा ने अपना बजट 2021-22 नेवा के माध्यम से पूर्णत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया। बजट भाषण टैबलेट डिवाइस के माध्यम से दिया गया और माननीय सदस्यों ने इस दस्तावेज़ को नेवा ई-बुक से एक्सेस किया।

ई-बजट: बजट का नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण

बिहार विधान परिषद

बिहार विधान परिषद नेवा का उपयोग करके सदन के डिजिटलीकरण के लिए सदन के भीतर हार्डवेयर अवसंरचना स्थापित करने वाली देश की पहली विधायिका बन गई। परिषद में 25 नवंबर, 2021 को नेवा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ और बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र-2021 नेवा के माध्यम से चलाया गया। उसके बाद से परिषद अपना सदन नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलाती है।

बिहार विधान परिषद में 25 नवंबर, 2021 को नेवा का उद्घाटन,और बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र-2021 के दौरान कार्य का निष्पादन।

नागालैंड विधान सभा

पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड ने अपने सदन के कार्य का निष्पादन नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किया। यह डिजिटल विधानमंडलों के समूह में शामिल हो गई और इसने अपना बजट सत्र 2022 नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया। सचिवालय ने नेवा के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक हार्डवेयर स्थापित कर लिए हैं।

नेवा के माध्यम से नागालैंड विधानसभा का सत्र

उत्तर प्रदेश विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने 20 मई, 2022 को योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय अध्यक्ष, श्री सतीश महाना और विपक्ष के नेता, श्री अखिलेश यादव की गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने सदन के कार्य को नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से निष्पादित करना शुरू कर दिया है।

नेवा के माध्यम से सदन का कार्यचालन

हरियाणा विधानसभा

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने माननीय अध्यक्ष, श्री ज्ञान चंद गुप्ता, माननीय उपाध्यक्ष, श्री रणबीर गंगवा, उप-मुख्यमंत्री, श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय नेता प्रतिपक्ष, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विधानसभा के माननीय सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में 8 अगस्त, 2022 को हरियाणा विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का उद्घाटन किया।

हरियाणा विधानसभा सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यशाला का कार्यान्वयन और उद्घाटन

हरियाणा विधानसभा ने अपने सदन के कार्य को नेवा के माध्यम से निष्पादित करना आरंभ किया। तत्पश्चात, विधानसभा ने अपना अगस्त सत्र, 2022 और दिसंबर सत्र, 2022 नेवा के माध्यम से संचालित किया।

नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से सदन के कार्य का निष्पादन

मिजोरम विधानसभा

मिजोरम विधानसभा ने जुलाई, 2021 में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद अक्टूबर, 2021 में अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेवा की अधिकारप्राप्त समिति ने जनवरी, 2022 के दौरान मिजोरम विधानसभा के लिए परियोजना को मंजूरी दी। जल्दी ही विधानसभा ने नेवा के माध्यम से अपने सदन का कार्य संचालन शुरू कर दिया और नेवा की सहायता से अपने सदन का सत्र संचालित किया।

मिजोरम विधानसभा सदन में स्थापित सुसंगत हार्डवेयर के साथ।

मेघालय विधानसभा

मेघालय विधानसभा ने अपने सदन के कार्य का संचालन शरद सत्र, 2022 से नेवा के माध्यम से करना शुरू किया। इस सत्र के दौरान, माननीय अध्यक्ष, श्री मेटबाह लिंग्दोह ने सदन के कार्य के डिजिटल निष्पादन हेतु नेवा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। सत्र के दौरान, सीपीएमयू टीम द्वारा 9-16 सितंबर, 2022 तक प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान की गई।

मेघालय विधानसभा को उनके शरद सत्र, 2022 के दौरान सहायता।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने सभी प्रासंगिक हार्डवेयर स्थापित कर दिए हैं और अपने सदन के कार्य का निष्पादन नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना शुरू कर दिया है। परिषद ने 2022 में अपना सत्र नेवा प्लेटफॉर्म की मदद से आयोजित किया।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदन के कार्य का नेवा के माध्यम से निष्पादन

तमिलनाडु विधान सभा

तमिलनाडु विधान सभा ने नेवा को अपनाया और अप्रैल, 2023 में नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सदन को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया। सीपीएमयू नेवा टीम ने नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर आधिकारिक स्थानांतरण से पहले तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय को इन-हाउस सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान किया। इसने नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर उनके पहले सत्र के दौरान भी सहायता प्रदान की।

तमिलनाडु विधान सभा सदन का नेवा प्लेटफार्म के माध्यम डिजिटल रूप में संचालन

सिक्किम विधान सभा

सिक्किम विधानसभा ने नेवा को अपनाया और मई, 2023 में नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सदन को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया। सीपीएमयू नेवा टीम ने नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर आधिकारिक स्थानांतरण से पहले सिक्किम विधान सभा सचिवालय को इन-हाउस सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया।

नेवा के माध्यम से सिक्किम विधान सभा के लाइव सत्र का डिजिटल संचालन

त्रिपुरा विधान सभा

त्रिपुरा विधान सभा 11 जून, 2023 से नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डिजिटल बनने वाली 10वीं विधान सभा बन गई है। विधान सभा ने नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7 जुलाई, 2023 से अपना पहला डिजिटल सत्र संचालित किया।

त्रिपुरा विधान सभा सदन में नेवा के माध्यम से कार्य का निष्पादन

गुजरात विधान सभा

गुजरात विधान सभा नेवा प्लेटफॉर्म पर शामिल हो गई और नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल बनने वाली 11वीं विधान सभा बन गई। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल और गुजरात विधान सभा के अध्यक्ष श्री शंकर चौधरी की उपस्थिति में गुजरात विधानसभा में डिजिटल विधानमंडल के लिए नेवा परियोजना का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र में संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव भी उपस्थित थे।

माननीय अध्यक्ष, श्री शंकर चौधरी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल तथा माननीय सदस्य अपने पहले डिजिटल सत्र के दौरान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन "वन नेशन - वन एप्लिकेशन" के माध्यम से गुजरात विधान सभा का कार्य निष्पादित करते हुए।

पंजाब विधान सभा

पंजाब विधान सभा देश की 12वीं विधान सभा बन गई है जिसने नेवा के माध्यम से अपने सदन को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान ने पंजाब विधान सभा में नेवा का उद्घाटन किया।

पंजाब विधान सभा में नेवा-डिजिटल हाऊस का शुभारंभ

मणिपुर विधान सभा

अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना को चिह्नित करते हुए, मणिपुर विधान सभा 28 फरवरी, 2024 से नेवा के माध्यम से अपना पहला बजट सत्र लाइव आयोजित करके कागज रहित विधान सभा में परिवर्तित होने वाली 13वीं विधान सभा बन गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने 27 फरवरी, 2024 को विधान सभा के लिए डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया था, जिसके बाद विधान सभा सचिवालय के सदस्यों, विभागों और अन्य अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह द्वारा मणिपुर विधान सभा में डिजिटल सदन का शुभारंभ

सदन के कार्य के संचालन के दौरान सदस्यगण नेवा का उपयोग करते हुए

असम विधान सभा

22 फरवरी, 2024 को भारत सरकार (संसदीय कार्य मंत्रालय), असम सरकार और असम विधान सभा के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव असम विधान सभा के अध्यक्ष की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्तार करते हुए।

12.7 नेवा के कार्यान्वयन की स्थिति

समझौता ज्ञापन

कागज रहित राज्य विधानमंडलों और विधायकों एवं अन्य हितधारकों को सूचना और सेवा का इलेक्ट्रॉनिक परिदान उपार्जित करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन - नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। अभी तक समझौता ज्ञापन पर निम्नलिखित विधानमंडलों के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं:

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके विधानमंडल

क्र.सं.	राज्य	हस्ताक्षर करने की तारीख
1	बिहार विधान परिषद	27.02.2020
2	पंजाब विधान सभा	18.03.2020
3	बिहार विधान सभा	23.03.2020
4	मेघालय विधान सभा	30.03.2020
5	गुजरात विधान सभा	04.07.2020
6	ओडिशा विधान सभा	17.03.2020
7	मणिपुर विधान सभा	02.09.2020
8	पुडुचेरी विधान सभा	13.09.2020
9	अरूणाचल प्रदेश विधान सभा	14.09.2020
10	नागालैंड विधान सभा	15.10.2020
11	त्रिपुरा विधान सभा	24.11.2020
12	हिमाचल प्रदेश विधान सभा	13.01.2021
13	छत्तीसगढ़ विधान सभा	27.01.2021
14	सिक्किम विधान सभा	10.02.2021
15	तमिलनाडु विधान सभा	19.02.2021
16	हरियाणा विधान सभा	25.02.2021
17	उत्तर प्रदेश विधान सभा	08.04.2021
18	मिजोरम विधान सभा	08.07.2021
19	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	27.09.2021
20	झारखंड विधान सभा	06.10.2021
21	जम्मू और कश्मीर विधान सभा	25.02.2022
22	उत्तराखंड विधान सभा	14.06.2023
23	असम विधान सभा	22.02.2024

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, प्रत्येक सदन को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होती है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी संपत्तियों और जनशक्ति की आवश्यकता का गैप विश्लेषण शामिल होता है। इस प्रकार तैयार की गई डीपीआर सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जाएगी, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। आईटी विभाग/राज्य विधानमंडल के बजट-लाइन नोडल विभाग/राज्य सरकार द्वारा राज्य की हिस्सेदारी, जनशक्ति समर्थन, संचालन और रखरखाव और अतिरेक

प्रबंधन आदि सहित सभी मामलों के संदर्भ में डीपीआर की जांच की जाएगी। डीपीआर की मंजूरी और परियोजना का कार्यान्वयन, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण की सिफारिश के साथ राज्य स्तरीय नेवा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा।

अभी तक निम्नलिखित विधानमंडलों ने अपनी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उनके अनुमोदन की स्थिति भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है-

डीपीआर और परियोजना अनुमोदन की स्थिति (31 मार्च, 2024 तक)

क्र.सं.	**विधानमंडल**	**डीपीआर प्रस्तुत करने की तारीख**	**राज्य के अनुसार मांग**	**मंजूर की गई राशि**	**अधिकारप्राप्त समिति की बैठक (तारीख)**
1.	पंजाब	23-03-2020	18,30,35,637/-	12,31,05,100/-	पहली (12-10-2020)
2.	ओडिशा	23-06-2020	12,51,61,556.04/-	8,58,03,400/-	
3.	बिहार विधान सभा	17-09-2020	21,25,49,504/-	15,97,00,100/-	दूसरी (26-11-2020)
4.	बिहार विधान परिषद	19-10-2020	9,17,36,550/-	8,21,46,550/-	
5.	नागालैंड	26-10-2020	16,99,59,757/-	8,72,29,700/-	
6.	मणिपुर	30-11-2020	11,97,66,150/-	9,57,91,050/-	तीसरी (22-03-2021)
7.	तमिलनाडु	09-03-2021	16,49,85,766/-	15,55,50,750/-	
8.	सिक्किम	18-02-2021	25,07,73,646/-	8,48,23,450/-	
9.	अरूणाचल प्रदेश	29-01-2021	27,37,15,000/-	प्रक्रियाधीन	
10.	त्रिपुरा	11-09-2021	9,53,61,423/-	8,95,32,950/-	पांचवीं (21-12-2022)
11.	मेघालय	15-04-2021	11,75,11,463/-	10,42,82,900/-	छठी (23-12-2022)
12.	हरियाणा	26-07-2021	13,95,87,739/-	8,53,53,390/-	
13.	मिजोरम	27-10-2021	13,60,85,279/-	8,70,84,750	सातवीं (24-01-2022)
14.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	25-10-2021	11,23,86,960/-	8,91,52,800/-	आठवीं (14-03-2022)
15.	उत्तर प्रदेश विधान सभा	15-11-2021	28,17,34,115/-	17,81,31,300/-	
16.	गुजरात	16-04-2022	29,12,16,012.90/-	13,06,13,200	नौवीं (24-06-2022)
17.	झारखंड	06-05-2022	12,82,99,965/-	8,02,48,250	दसवीं (29-06-2022)
18.	पुडुचेरी	22-06-2022	11,39,96,934/-	8,50,28,250	ग्यारहवीं (02-09-2022)
19.	हिमाचल प्रदेश	31-01-2022	17,23,00,429.9	8,13,24,375	बारहवीं (29-09-2023)
20.	जम्मू और कश्मीर	17-03-2023	22,62,26,770	लंबित	लंबित
21.	उत्तराखंड	08-08-2023	18,91,37,936.21 (देहरादून) 12,87,30,397 (गैरसेन)	9,78,38,400/- 4,16,05,000/-	बारहवीं (29-09-2023)
22.	असम	04-03-2024	16,29,58,600/-	प्रक्रियाधीन	लंबित

राज्य सरकारों को निधियां जारी करना

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नेवा के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य के सचिव (राज्य विधानमंडल का बजट-लाइन नोडल विभाग) को निधियां जारी करेगा। बजट-लाइन विभाग राज्य की निर्धारित हिस्सेदारी के साथ निधियों को निष्पादक प्राधिकारी, नेवा को अंतरित करेगा।

निधियां (किश्तें) जारी करने के लिए नियम और शर्तें:

1. पहली किस्त (स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक) राज्य की हिस्सेदारी के टोकन बजट प्रावधान/दायित्व के अधीन रहते हुए केंद्रीय स्तर पर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी।
2. दूसरी किस्त (40% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए पहली किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
3. तीसरी किस्त (20% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए दूसरी किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।
4. चौथी और अंतिम किस्त परियोजना पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के बाद जारी की जाएगी।

अथवा

5. उन राज्यों के मामले में, जो परियोजना के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं, ऊपर उल्लिखित एक या अधिक किस्त साथ-साथ जारी की जाएगी।

अथवा

6. जो राज्य परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय अनुदान के अभाव में अपना व्यय स्वयं वहन करते हैं, उन्हें एक किस्त में समस्त धनाशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो केंद्र की हिस्सेदारी में आने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।

विधानमंडलों को वित्तीय सहायता के रूप में निम्नलिखित अनुदान जारी किया गया है-

विधानमंडलों को जारी की गई किश्तें (31 मार्च, 2024 तक)

क्र.सं.	राज्य/विधानमंडल	स्वीकृत परियोजना लागत	पहली किश्त (20%)	दूसरी किश्त (40%)	तीसरी किश्त (20%)	चौथी किश्त (20%)
1.	पंजाब	12,31,05,100	1,47,72,612 (26-10-2020)	2,95,45,224 (22-11-2022)		
2.	ओडिशा	8,58,03,400	1,02,96,408 (26-10-2020)	2,05,92,816 (17-03-2022)		
3.	बिहार विधान सभा	15,97,00,100	1,91,64,012 (09-12-2020)			
4.	बिहार विधान परिषद	8,21,46,550	98,57,586 (09-12-2020)	1,97,15,172 (24-01-2022)		

5.	नागालैंड	8,72,29,700	1,57,01,346 (09-12-2020)	3,14,02,692 (14.01.2022)	1,57,01,346 (21-09-2022)	
	नागालैंड अनुपूरक	70,00,000		50,40,000 (08-06-2023)		
6.	मणिपुर	9,57,91,050	1,72,42,389 (18-01-2021)	3,44,84,778 (10-05-2023)	1,72,42,389 (26-03-2024)	
7.	तमिलनाडु	15,55,50,750	1,86,66,090 (30-03-2021)	3,73,32,180 (17.03.2022)		
8.	सिक्किम	8,48,23,450	1,52,68,221 (30-03-2021)	3,05,36,442 (07-04-2022)	1,52,68,221 (04-07-2023)	
9.	त्रिपुरा	8,95,32,950	1,61,15,931 (25-01-2022)	3,22,31,862 (28-12-2022)	1,61,15,931 (02-02-2024)	
10.	हरियाणा	8,53,53,390	1,02,42,407 (25-01-2022)	2,04,84,814 (19-05-2022)	1,02,42,407 (29-12-2022)	
11.	मेघालय	10,42,82,900	1,87,70,922 (28-01-2022)	3,75,41,844 (17.06.2022)	1,87,70,922 (24-07-2023)	
12.	मिजोरम	8,70,84,750	1,56,75,255 (07-03-2022)	3,13,50,510 (07-09-2022)	1,56,75,255 (24-04-2023)	
13.	उत्तर प्रदेश विधान सभा	17,81,31,300	2,13,75,756 (24-03-2022)	4,27,51,512 (31-03-2022)	2,13,75,756 (17-10-2022)	
14.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	8,91,52,800	1,06,98,336 (24-03-2022)	2,13,96,672 (28-04-2023)		
15.	गुजरात	13,06,13,200	1,56,73,584 (24-08-2022)	3,13,47,168 (01-06-2023)	1,61,44,008 (26-02-2024)	
	गुजरात अनुपूरक	39,20,000		14,11,200 (01-06-2023)		
16.	झारखंड	8,02,48,250	96,29,790 (24-08-2022)			
17.	पुडुचेरी	8,50,28,250	1,70,11,650 (04-10-2022)			
18.	हिमाचल प्रदेश	8,13,24,375	1,30,18,388 (08-06-2023) 16,20,000 (23-01-2024)	2,92,76,775 (23-01-2024)		
19.	उत्तराखंड	9,78,38,400 4,16,05,000	2,50,99,812 (11-12-2023)			

12.8 नेवा सारांश

नेवा के साथ लाइव होने के चरण

निम्नलिखित प्रवाह संचित्र किसी विधानमंडल को अभी के लिए कम कागज उपयोग करने वाले विधानमंडल में और बाद में एक पूर्ण कागज-रहित विधानमंडल में परिवर्तित करने की चरणबद्ध प्रक्रिया के बारे में बताता है।

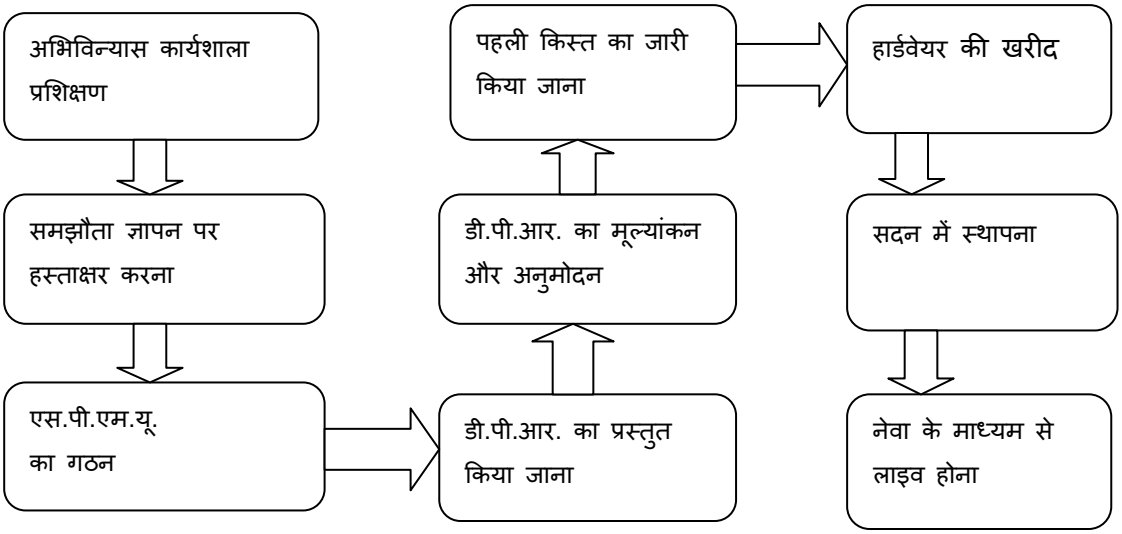

नेवा और इसके उपयोगकर्ता

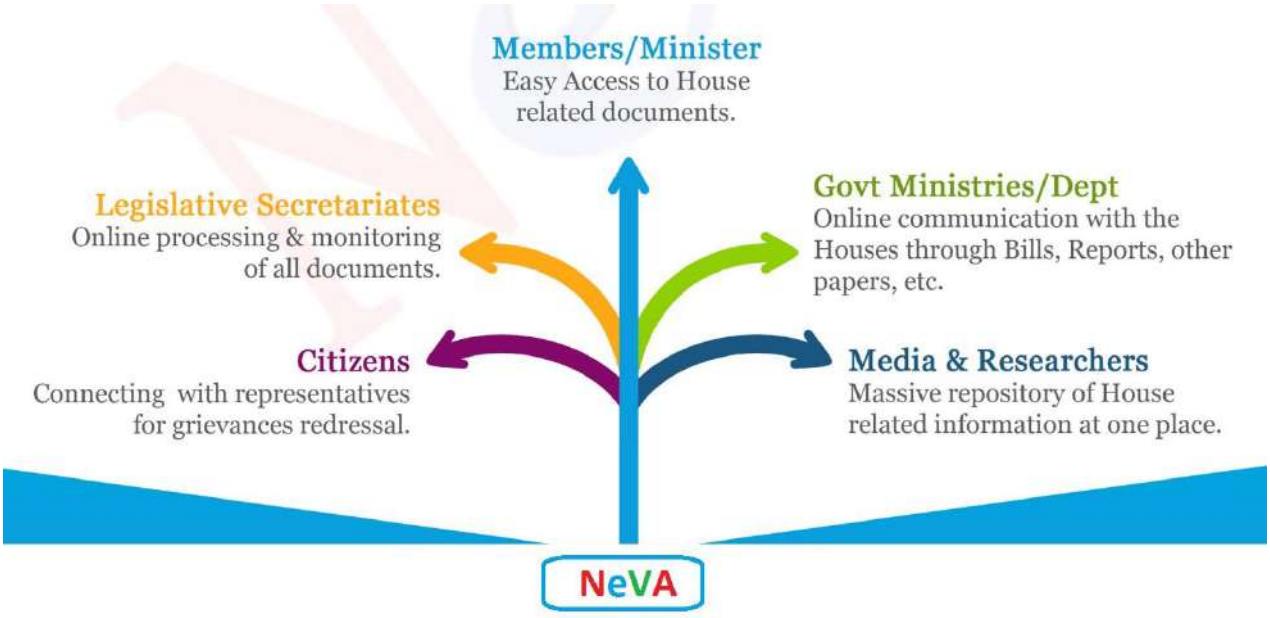

नेवा के लाभार्थी

नेवा के सूत्रपात हेतु बुनियादी जरूरतें

सॉफ्टवेयर

i) एक कोर एप्लिकेशन के रूप में नेवा को एनआईसीएसआई की सहायता से सीपीएमयू द्वारा विकसित किया गया है।

ii) कोर एप्लिकेशन के विकास, ई-लर्निंग सामग्री, जरूरी अतिरिक्त साफ्टवेयर (ए.एस.)/ऑपरेटिंग प्रणाली (ओ.एस.)/प्रचालन और अनुरक्षण (ओ.एण्ड एम.) के लिए सीपीएमयू।

iii) नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

हार्डवेयर

i) सीपीएमयू के लिए ए.एस./ओ.एस. और कंप्यूटरों सहित क्लाउड होस्टिंग हेतु हार्डवेयर की खरीद सीपीएमयू द्वारा की जाएगी।

ii) राज्य विधानमंडलों के लिए ए.एस./ओ.एस./ओ.एण्ड एम. सहित हार्डवेयर की खरीद राज्य के निष्पादक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

iii) सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए जरूरी ए.एस./ओ.एस. सहित टच इनेबल्ड उपकरण।

iv) नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा/ई-लर्निंग केंद्र) की स्थापना।

v) राज्य सरकार/राज्य सरकार के नोडल विभाग द्वारा एसपीएमयू की स्थापना।

vi) राज्य विधानमंडल में वेबकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर।

vii) सीपीएमयू, राज्य विधानमंडल/एसपीएमयू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

क्षमता निर्माण

i) सीपीएमयू द्वारा ई-सुविधा केंद्र सहित नेवा के लिए राज्य विधानमंडलों द्वारा नियोजित स्टाफ का क्षमता निर्माण।

ii) सीपीएमयू द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

iii) सीपीएमयू द्वारा नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

iv) सीपीएमयू/एसपीएमयू द्वारा एक्सपोजर दौरा और केएमएस/डिजिटल लाईब्रेरी।

निधिकरण

i) राज्य की हिस्सेदारी सहित केंद्रीय प्रायोजित योजना के पैटर्न पर परियोजना के अनुमोदन के अधीन रहते हुए संसदीय कार्य मंत्रालय।

ii) दिशा-निर्देश, प्रक्रियाएं इत्यादि।

जनशक्ति

सीपीएमयू के लिए - एनआईसीएसआई/जेम के माध्यम से और एसपीएमयू के लिए राज्य सरकार अपनी स्थापित प्रक्रियाओं को अपना सकती हैं।

अध्याय - 13

सामान्य

<u>एक झलक</u>

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित नामांकन किए:-

- विभिन्न सरकारी निकायों, परिषदों, बोर्डों इत्यादि पर 184 संसद सदस्य (124 लोक सभा से और 60 राज्य सभा से); और
- विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर 15 संसद सदस्य (3 लोक सभा से और 12 राज्य सभा से)

सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.1 भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में गठित विभिन्न समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों इत्यादि पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद सदस्यों का नामांकन किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान 184 संसद सदस्यों (लोक सभा के 124 और राज्य सभा के 60) को विभिन्न सरकारी निकायों पर नामांकित किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-11** में दिखाया गया है।

हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

13.2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के अंतर्गत आने वाले सरकारी कार्य और संबद्ध कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी मामलों पर परामर्श देने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों के साथ संसद सदस्यों को सहयोजित किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इन प्रत्येक समितियों में चार संसद सदस्य (2 लोक सभा और 2 राज्य सभा) नामांकित किए जाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान **परिशिष्ट-12** में दर्शाए गए रूप में 15 संसद सदस्यों (लोक सभा के 3 और राज्य सभा के 12) को विभिन्न हिंदी सलाहकार समितियों पर नामित किया गया।

याचिकाओं संबंधी संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.3 संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, निम्नलिखित प्रतिवेदनों की जांच की गई और यह पाया गया कि समिति ने सामान्य प्रकृति की कोई ऐसी सिफारिश नहीं की है जिसे अपेक्षित कार्रवाई हेतु सभी मंत्रालयों को परिचालित करना आवश्यक हो:-

(i) सत्रहवीं लोक सभा की याचिका समिति का 35वां से 61वां प्रतिवेदन।

(ii) राज्य सभा की याचिका समिति का 160वां से 162वां प्रतिवेदन।

संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन

13.4 यह मंत्रालय संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है:-

(क) संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम, 1954;
(ख) संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953;
(ग) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977; और
(घ) संसद में मान्यताप्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998

13.5 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 की धारा 9 के अंतर्गत, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति, जिसमें क्रमश: अध्यक्ष, लोक सभा और सभापति, राज्य सभा द्वारा नामांकित लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 सदस्य शामिल होते हैं, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए गठित की जाती है। संयुक्त समिति की सिफारिशों पर लोक/राज्य सभा सचिवालयों एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस मंत्रालय में कार्रवाई की जाती है। जहां आवश्यक हो विधि-निर्माण के लिए कार्रवाई की जाती है।

13.6 सांसदों/पूर्व सांसदों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते, पेंशन और सुविधाएं इत्यादि दर्शाने वाला अद्यतन विवरण क्रमश: **परिशिष्ट-13** और **परिशिष्ट-14** पर दिया गया है।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई

13.7 लोक सभा और राज्य सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों की सामान्य प्रकृति की सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

नेताओं/मुख्य सचेतकों और सचेतकों की व्यवस्था

13.8 संसदीय प्रणाली का सुचारू कार्यचालन बहुत हद तक विधानमण्डलों में दलीय मशीनरी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। संसद में दलों तथा ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक दल के महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता होते हैं, जो विधानमंडलों में दलों और ग्रुपों के सुचारू कार्यचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक के रूप में, संसद में सभी दलों/ग्रुपों के नेताओं/मुख्य सचेतकों/सचेतकों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों में कार्य के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

13.9 सचेतकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा संसद और राज्य विधानमंडलों में सचेतकों के बीच विचारों के परस्पर आदान-प्रदान और आवधिक बैठकों के लिए एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। वर्ष 1952 से अब तक अठारह अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। अंतिम 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन राजस्थान सरकार के सहयोग से 8-9 जनवरी, 2018 को उदयपुर में आयोजित किया गया था।

लोक नीति पर संवादात्मक सत्र

13.10 इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के अनुरोध पर सचिव के साथ एक संवादात्मक सत्र "नीति ट्रेक - वरिष्ठ नीति निर्माताओं और प्रशासकों के साथ संवाद" आयोजित करने के संबंध में, मंत्रालय ने 5 अप्रैल, 2023 को आधे दिन का एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया। उपरोक्त संवादात्मक सत्र, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मिड-कैरियर पेशेवरों के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लोक नीति में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के भाग के रूप में आयोजित किया गया था। इसमें भा.प्र.से, भा.पु.से, भा.रा.से, भा.रे.या.से, भा.डा एवं दू.ले.वि.से, राज्य लोक सेवाओं के अधिकारी और निजी तथा गैर-लाभकारी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी और विधानसभा के सदस्य शामिल थे। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री गुडे श्रीनिवास, भा.प्र.से ने भारत की संसद के कार्यचालन के संबंध में प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस सत्र में कुल 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

[संविधान सदन के सामने आई.एस.बी. के प्रतिभागियों के साथ समूह फोटो]

13.11 इन तत्काल लोक महत्व के मामलों पर उत्तरों को सुव्यवस्थित करने और लंबित रहने की स्थिति में किसी भी विसंगति को दूर करने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो सभी हितधारकों अर्थात लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और सभी मंत्रालयों के लिए वास्तविक समय के आधार पर उत्तरों/स्थिति की सुगम निगरानी के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन के लिए दिनांक 18.07.2023 को सभी मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय के प्रतिनिधियों के लिए एक आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों के 141 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

[श्री गुडे श्रीनिवास, सचिव और डॉ. सत्य प्रकाश, अपर सचिव ने प्रतिभागियों से परस्पर संवाद किया]

संसद सदस्य - प्रदान की गई सेवाएं

1. संसद सदस्यों का कल्याण

13.12 ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं।

13.13 संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

13.14 किसी संसद सदस्य की दिल्ली में मृत्यु होने की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिवंगत सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए सदस्य के पार्थिव शरीर को उसके परिवार की पसंद के स्थान पर ले जाने के लिए शोक संतप्त परिवार को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करता है।

2. संसद सदस्यों के लिए परिवहन और रात्रि भोजन की व्यवस्था

13.15 संसदीय कार्य मंत्रालय सदन (सदनों) की देर तक चलने वाली बैठकों के दौरान, जब भी आवश्यक हो, देर रात्रि में अपने आवास तक जाने के लिए संसद सदस्यों/ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों हेतु विशेष किराए पर दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी.) की बसों की व्यवस्था करता है।

महत्वपूर्ण समारोहों पर अगवानी कार्य

13.16 यह मंत्रालय महत्वपूर्ण सार्वजनिक समारोहों पर, जिनमें संसद सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं, अगवानी कार्य करता है। ऐसी ड्यूटी गणतंत्र दिवस परेड, उसके समापन समारोह, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पद-ग्रहण समारोह आदि के अवसर पर की जानी अपेक्षित होती है।

संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

13.17 संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। प्रोटोकॉल और कल्याण अनुभाग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित बैठकें बुलाई गई:

क्र.सं.	**तारीख और आयोजन स्थल**	**विषय**	**जिनके द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई**	**संबंधित मंत्रालय**
1.	30.1.2023 जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय
2.	19.07.2023 जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	मानसून सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय
3.	17.09.2023 जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	संसद सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय
4.	02.12.2023 जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	शीतकालीन सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय
5.	30.01.2024 जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली	अंतरिम बजट सत्र का सुचारू कार्यचालन	संसदीय कार्य मंत्री	संसदीय कार्य मंत्रालय

संसद के शीतकालीन सत्र, 2022 से पहले 06 दिसंबर, 2022 को कक्ष सं.जी-074, संसद ग्रंथालय, नई दिल्ली में आयोजित सर्वदलीय बैठक।

अनुसंधान कार्य

13.18 अनुसंधान प्रकोष्ठ भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका की समीक्षा करता है/उन्हें अद्यतन करता है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, जब भी पूछा जाए, संसदीय प्रक्रियाओं और परिपाटियों संबंधी मामलों पर सलाह/मार्गदर्शन प्रदान करता है। समय-समय पर विभिन्न संसदीय और संवैधानिक मामलों पर टिप्पणियां और संक्षिप्त विवरण तैयार किए जाते हैं।

अनुसंधान प्रकोष्ठ संसदीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक सांख्यिकीय पुस्तिका भी तैयार करता है, मंत्रालय के नागरिक चार्टर को अद्यतन करता है और प्रशासनिक सुधार आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित सभी प्रासंगिक सिफारिशों पर कार्रवाई करता है। अनुसंधान प्रकोष्ठ लाभ के पद, संसद सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित मामलों और संसदीय सचिवालयों के कार्यचालन से संबंधित मामलों को देखता है। अनुसंधान प्रकोष्ठ के कार्यों में नीति-संबंधी कार्य तथा इस मंत्रालय की टिप्पणियों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इस मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न मामलों पर अनुसंधान कार्य भी शामिल हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, अनुसंधान प्रकोष्ठ द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए:-

- सांख्यिकी पुस्तिका का संशोधन/अद्यतनीकरण।
- वार्षिक संदर्भ-ग्रंथ भारत 2025 तैयार करना।

बजट की स्थिति

13.19 संसदीय कार्य मंत्रालय के बजट की स्थिति निम्न प्रकार है:-

(धनराशि हजार रूपयों में)

मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट अनुमान 2023-24		संशोधित अनुमान 2023-24		बजट अनुमान 2024-25		वास्तविक व्यय 2023-24	
		पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राजस्व खंड	13.00 - स्थापना								
	13.00.01 - वेतन	--	85000	--	85000	--	87600	--	86200
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय सामान्य सेवाएं, 00.090 सचिवालय 13- संसदीय कार्य मंत्रालय	13.00.05 - पुरस्कार	--	700	--	700	--	750	--	700
	13.00.06 - चिकित्सा उपचार	--	4000	--	4700	--	4250	--	4200
	13.00.07 - भत्ते	--	65300	--	65200	--	69800	--	65254
	13.00.08 - छुट्टी यात्रा रियायत	--	900	--	1800	--	1100	--	1800
	13.00.09 - प्रशिक्षण व्यय	--	200	--	--	--	200	--	--
	13.00.11 - घरेलू यात्रा व्यय	--	5000	--	5000	--	5000	--	5000
	13.00.12 - विदेश यात्रा व्यय	--	17000	--	18700	--	24000	-	17000
	13.00.13 - कार्यालय व्यय	--	13900	--	34000	--	36000	--	33998
	13.00.16 - मुद्रण और प्रकाशन	--	1000	--	1000	--	1000	--	1000
	13.00.18 -अन्य के लिए किराया	--	500	--	1100	--	1000	--	1100
	13.00.19 - डिजिटल उपकरण	--	3000	--	3000	--	3000	--	3000
	13.00.24 - ईंधन और स्नेहक	--	1200	--	1000	--	1000	--	800
	13.00.26 - विज्ञापन और प्रचार	--	200	--	--	--	200	--	--
	13.00.28 - वृत्तिक सेवाएं	--	1500	--	3500	--	3000	--	3500
	13.00.29-मरम्मत और अनुरक्षण	--	1800	--	1800	--	1800	--	1800
	13.00.40 - अवार्ड और पुरस्कार	--	6000	--	14000	--	--	--	14000
	13.00.49 - अन्य राजस्व व्यय	--	300	--	300	--	300	--	299
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.09 प्रशिक्षण व्यय	--	--	--	--	--	5000	--	--
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.13 कार्यालय व्यय	--	--	--	--	--	7500	--	--
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.26 विज्ञापन और प्रचार	--	1000	--	1000	--	1000	--	1000
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.28 वृत्तिक सेवाएं	--	500	--	500	--	500	--	500
	13.02 - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन 13.02.31 सहायतानुदान - सामान्य	--	380000	--	326000	--	330000	--	284154
	13.03 - राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम 13.03.40 अवार्ड और पुरस्कार	--	--	--	--	--	12000	--	--
	13.96.40 अवार्ड और पुरस्कार	--	1000	--	1000	--	1000	--	1000
	कुल मुख्य शीर्ष '2052'	**--**	**590000**		**569300**		**597000**		**526305**

<u>पूंजीगत खंड</u> मुख्य शीर्ष "4070" अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय, लघु शीर्ष "00.001" दिशा और प्रशासन 31-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 13.21 - संसदीय कार्य मंत्रालय	31.21.19 - डिजिटल उपकरण	28000	--	28000	--	-	--	28000	
	31.21.51 - मोटर वाहन	1500	--	900	--	1000	--	900	
	31.21.52 - मशीनरी और उपकरण	1500	--	1500	--	1500	--	1500	
	31.21.71 - सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) और उपकरण	8500	--	30200	--	40000	--	30200	
	31.21.74 - फर्निचर और फिक्सचर्स	300	--	--	--	300	--	--	
	31.21.77 - अन्य अचल संपत्ति	200	--	100	--	200	--	100	--
	कुल मुख्य शीर्ष '4070'	**40000**		**60700**		**43000**		**60700**	
	कुल जोड़ - संसदीय कार्य मंत्रालय	**40000**	**590000**	**60700**	**569300**	**43000**	**597000**	**60700**	**526305**

लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति

13.20 वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर ए.टी.एन. की स्थिति निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात पी.ए.सी. को ए.टी.एन. प्रस्तुत की गई है	उन पैराग्राफों/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिन पर ए.टी.एन. लंबित है		
			मंत्रालय द्वारा प्रथम बार भी नहीं भेजी गई ए.टी.एन. की संख्या	भेजी गई परंतु टिप्पणी के साथ लौटाई गई ए.टी.एन. की संख्या और मंत्रालय द्वारा जिनके पुन: प्रस्तुतीकरण की लेखापरीक्षा प्रतीक्षा कर रही है	उन ए.टी.एन. की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया है परंतु जिन्हें मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किया गया है
	2023-24 तक	01	शून्य	शून्य	शून्य

दिव्यांजनों के लाभार्थ किए गए क्रियाकलाप

13.21 यह मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियुक्तियों इत्यादि में दिव्यांगजनों के लाभ के मामलें में जारी नियमों, विनियमों और अनुदेशों का पालन करता है। इस विषय पर नीति निर्माण का कार्य मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।

स्वच्छता पखवाड़ा -2023

13.22 मंत्रालय में 16 अप्रैल, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2023 मनाया गया। मंत्रालय द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सफाई अभियान चलाया गया और मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा पुरानी भौतिक फाइलों की समीक्षा/रिकॉर्डिंग/छटाई की गई। कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने के लिए पुराने अनुपयोगी सामान की नीलामी के लिए पहचान की गई, विद्युत स्विच बोर्ड/पंखे/एसी की सफाई की गई और मंत्रालय के सभी कमरों में पुताई कार्य कराया गया। स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 के दौरान, 92 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 32 फाइलों को नष्ट किया गया और पखवाड़े के दौरान चुने गए पुराने अनुपयोगी सामान की नीलामी से 67,900/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का समापन मंत्रालय के शीर्ष तीन अनुभागों को पुरस्कार वितरण के साथ हुआ, जो पखवाड़े के दौरान स्वच्छता मानदंडों पर सर्वश्रेष्ठ रहे।

[श्री गुडे श्रीनिवास, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय स्वच्छता पुरस्कार वितरित करते हुए]

13.23 **स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023**: संसदीय कार्य मंत्रालय ने 15 सितंबर, 2023 से 02 अक्टूबर, 2023 के दौरान स्वच्छता ही सेवा- 2023 अभियान मनाया, जिसमें श्रमदान गतिविधियाँ की गईं, जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन पैदा करना और स्वच्छता को सभी का कर्तव्य मानने की अवधारणा को सुदृढ़ करना था। 2 अक्टूबर, 2023 को महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 01.10.2023 को सुबह 10:00 बजे नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पेशवा रोड, नई दिल्ली और उसके परिसर के आसपास कचरा मुक्त भारत के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन के समापन के रूप में स्वच्छता के लिए एक तारीख-एक घंटा-एक साथ श्रमदान का आयोजन किया।

[श्री उमंग नरूला, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय स्वच्छता के महत्व के बारे में बताते हुए]

[कचरा मुक्त भारत के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पेशवा रोड, नई दिल्ली में स्वच्छता के लिए श्रमदान]

लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान

13.24 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान 3.0 (एससीपीडीएम) लोक शिकायतों के निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, संसद आश्वासन, सफाई अभियान, स्क्रैप निपटान और फाइलों की छंटाई/रिकॉर्ड प्रबंधन आदि पर केंद्रित रहा। अभियान 3.0 के दौरान, 263 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 47 फाइलें नष्ट की गई; समीक्षा के लिए पहचानी गई 145 ई-फाइलें बंद की गईं। मंत्रालय में विशेष अभियान 3.0 के परिणामस्वरूप 60 वर्ग फुट जगह खाली हुई और स्क्रैप के

निपटान के बाद 3,45,000/- रुपये का राजस्व अर्जित हुआ। संसदीय कार्य मंत्रालय लोक शिकायतों और प्रधान मंत्री कार्यालय संदर्भों को प्राथमिकता के आधार पर देखता है और त्वरित एवं तत्काल कार्रवाई के कारण, अभियान के दौरान लंबित मामलें शून्य रहे।

संविधान दिवस - 2023

13.25 26 नवंबर 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था, जब संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. बी.आर. अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। तब से, हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने और संविधान के संस्थापकों के योगदान को सम्मानित और अभिस्वीकृत करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने व्यापक जन भागीदारी के लिए दो वेब-पोर्टल शुरू किए:

- 22 आधिकारिक भाषाओं और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन (readpreamble.nic.in)
- "भारत : लोकतंत्र की जननी" पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी (constitutionquiz.nic.in)

13.26 **संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए पोर्टल**: पिछले कुछ समय से संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए पोर्टल पर भागीदारी काफी बढ़ी है और यह देखना काफी उत्साहजनक है कि अधिक से अधिक लोग भारत के संविधान के मूल सिद्धांतों को जानने में रुचि रखते हैं।

विशेषताएँ:

- वेबसाइट https://readpreamble.nic.in/
- कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संविधान की प्रस्तावना को अंग्रेजी तथा 22 आधिकारिक भाषाओं में पढ़ सकता है।
- प्रस्तावना पढ़ने के बाद, प्रतिभागी स्व-हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

[संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए पोर्टल का स्क्रीन शॉट]

13.27 **भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी के लिए पोर्टल:** सभी लोगों ने बेहद उत्साह के साथ बड़े पैमाने पर प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। प्रश्नोत्तरी में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी इस तथ्य को दर्शाती है कि हम अधिकतम जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

विशेषताएँ:

- वेबसाइट (https://constitutionquiz.nic.in/)।
- इसमें भारतीय संविधान, इतिहास, लोकतंत्र आदि पर बहुत सरल और बुनियादी प्रश्न हैं।
- कोई भी इसमें भाग ले सकता है और भागीदारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
- इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल आदर्शों/आचारों को लोकप्रिय बनाना है न कि उनके ज्ञान को परखना।
- यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

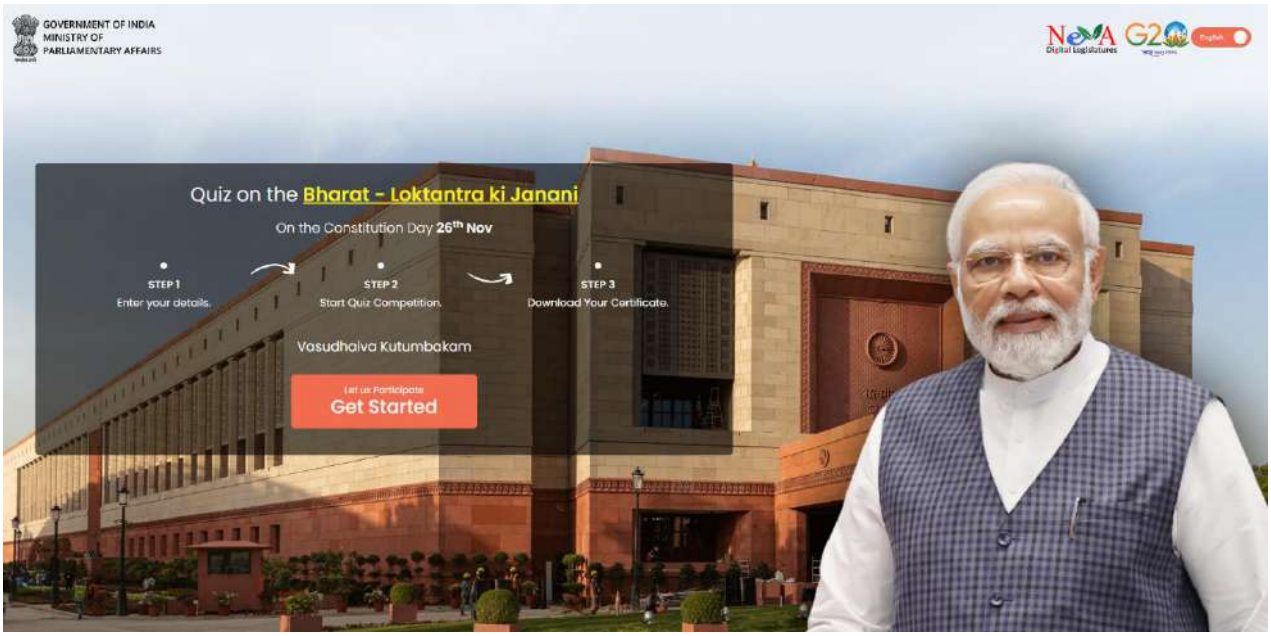

['भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी' पोर्टल का स्क्रीन शॉट]

13.28 MyGov के माध्यम से ई-मेल: प्रत्येक नागरिक को संविधान दिवस समारोह में भागीदार बनाया जाए यह सुनिश्चित करने का ईमानदार प्रयास किया गया और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, MyGov से अपने सभी खाताधारकों को निम्नलिखित ई-मेल भेजने का अनुरोध किया गया था।

13.29 **सोशल मीडिया**: समारोह को अखिल भारतीय स्तर तक ले जाने के लिए मंत्रालय ने #SamvidhanDiwas का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स (विगत में ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक का व्यापक और सक्रिय उपयोग किया। मंत्रालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के अलावा, विभिन्न मंत्रालयों और दूतावासों से भी समारोह में भाग लेने और #SamvidhanDiwas को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया।

13.30 दो प्रेस विज्ञप्तियाँ, एक संविधान दिवस समारोह से पहले और दूसरा संविधान दिवस समारोह के बाद जारी की गईं।

13.31 वर्ष 2015 में शुरू की गई 'जन भागीदारी' में लोगों की सहभागिता में वृद्धि हुई है। संविधान की प्रस्तावना पढ़ने और भारत-लोकतंत्र की जननी प्रश्नोत्तरी के पोर्टल पर साल दर साल प्रभावशाली जनभागीदारी देखी गई है। तीन संविधान दिवस वर्षों अर्थात 2021, 2022 और 2023 के दौरान पोर्टल, https://readpreamble.nic.in/ और https://constitutionquiz.nic.in/ आरंभ किए गए थे। तदनुसार, इस पोर्टल में भागीदारी का वर्ष दर वर्ष विश्लेषण नीचे दिया गया है। संविधान दिवस वर्ष अर्थात 2021, 2022 और 2023 के दौरान दोनों पोर्टलों पर वर्ष दर वर्ष संयुक्त भागीदारी इस प्रकार है:-

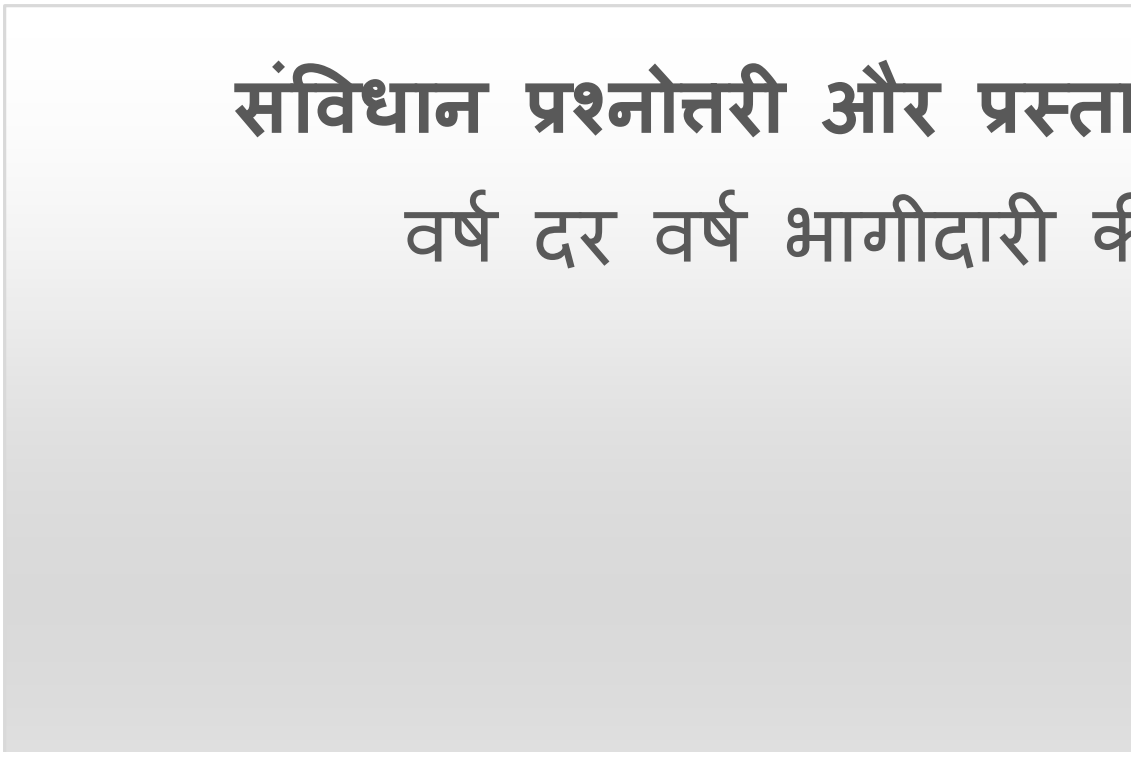

13.32 संविधान की प्रस्तावना पढ़ें: तीन संविधान दिवस वर्षों अर्थात **2021, 2022** और **2023** के दौरान पोर्टल **https://readpreamble.nic.in/** पर वर्ष दर वर्ष भागीदारी निम्नानुसार है:-

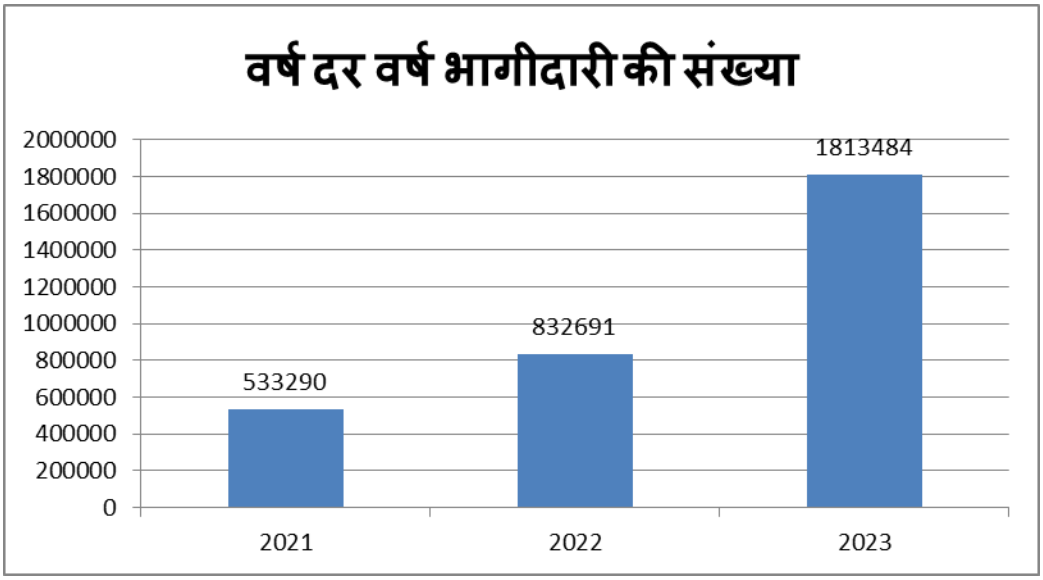

13.33 **भारत के संविधान पर प्रश्नोत्तरी**: इसी प्रकार, तीन संविधान दिवस वर्षों अर्थात 2021, 2022 और 2023 के दौरान पोर्टल **https://constitutionquiz.nic.in/** पर वर्ष दर वर्ष भागीदारी निम्नानुसार हैं:-

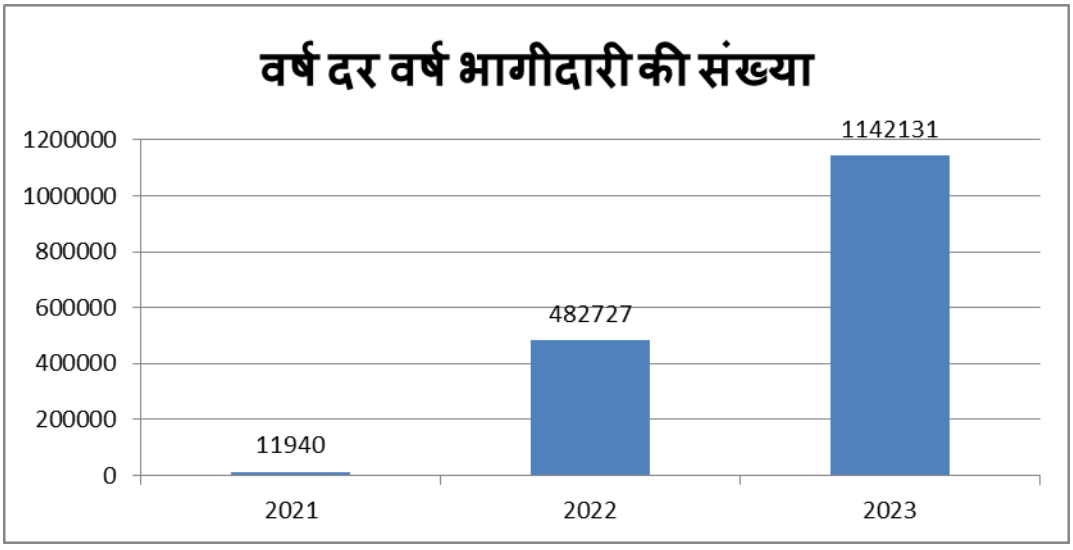

13.34 संसदीय कार्य मंत्रालय ने पिछले वर्षों की तर्ज पर इस वर्ष भी संविधान दिवस मनाने में महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संगठनों से अनुरोध किया गया कि वे इस दिवस को पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाएं। इस वर्ष संसदीय कार्य मंत्रालय 29.55 लाख लोगों की प्रतिभागिता का साक्षी बना, जो पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 (जिसमें 13.15 लाख लोग शामिल हुए) की तुलना में लगभग दो गुना से भी अधिक है। बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि अधिक से अधिक लोग इस धर्मनिष्ठ उत्सव में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। प्रस्तावना हमारे पवित्र संविधान की सभी मौलिक विशेषताओं का संकलन है और संविधान दिवस के आयोजन के माध्यम से जन साधारण को इस स्थापित तथ्य के बारे में ज्ञात हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्रालय
MINISTRY OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS
Government of India

NeVA Digital Legislatures | G20 भारत 2023 INDIA | mygov मेरी सरकार

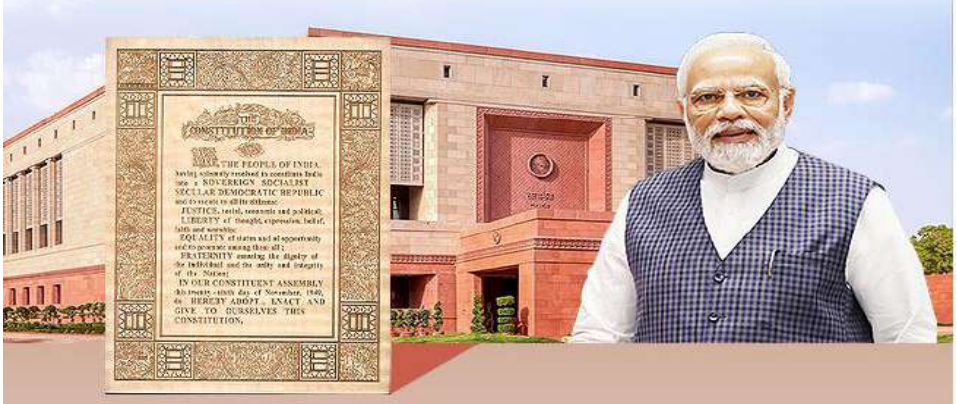

Dear Citizens,

As part of Samvidhan Diwas (Constitution Day) celebration:

Read the Preamble to the Constitution in 22 Official Languages and English and get a certificate

Read the Preamble

Participate in the Quiz on **"Bharat: Loktantra ki Janani"** and get a certificate

Take the Quiz

Together, let us celebrate this historic occasion and share our certificates on our social media account with **'#SamvidhanDiwas"**

Ministry of Parliamentary Affairs
Government of India

PMINDIA | mygov मेरी सरकार | Transforming India | eGreetings | eSampark

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1
(देखें पैरा 1.2)

संसदीय कार्य मंत्रालय को आबंटित कार्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए भारत सरकार (कार्य का आबंटन) नियम, 1961 के अधीन मंत्रालय को सौंपे गए कार्य:-

1. संसद की दोनों सभाओं को बुलाने और उनका सत्रावसान करने की तिथियां, लोक सभा का विघटन, संसद के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण।
2. दोनों सभाओं में विधायी और अन्य सरकारी कार्य का आयोजन तथा समन्वय।
3. सदस्यों द्वारा सूचित किए गए प्रस्तावों पर चर्चा के लिए संसद में सरकारी समय का नियतन।
4. संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न दलों और ग्रुपों के नेताओं और सचतेकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों संबंधी प्रवर और संयुक्त समितियों के सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा गठित समितियों और अन्य निकायों पर संसद सदस्यों की नियुक्ति।
7. विभिन्न मंत्रालयों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन।
8. संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का कार्यान्वयन।
9. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार का रूख।
10. संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालयिक सहायता।
11. प्रक्रिया और अन्य संसदीय मामलों में मंत्रालयों को सलाह।
12. संसदीय समितियों द्वारा की गई सामान्य रूप से लागू होने वाली सिफारिशों पर मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित रोचक स्थानों के दौरे।
14. संसद सदस्यों के स्वत्वों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों संबंधी मामले।
15. संसदीय सचिव- कार्य।
16. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/कालेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।
17. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।
18. संसद सदस्यों के सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों का दूसरे देशों के साथ आदान-प्रदान।
19. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।
20. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निदेशिका।
21. संसद अधिकारी वेतन और भत्ता अधिनियम, 1953 (1953 का 20)।
22. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30)।
23. संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33)।
24. संसद में मान्यताप्राप्त दलों और ग्रुपों के नेता और मुख्य सचेतक (सुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5)।

परिशिष्ट-2

(देखें पैरा 4.7)

दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक					
					लो.स.= लोक सभा, रा.स. = राज्य सभा
क्र.सं.	अधिनियम का नाम	विधेयक के पुर:स्थापन की तारीख (तारीखें)	विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने की तारीख		अधिनियम संख्या एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति
			लो.स.	रा.स.	
1.	2	3	4	5	6
सत्रहवीं लोक सभा का 11वां सत्र और राज्य सभा का 259वां सत्र					
कारपोरेट कार्य मंत्रालय					
1	प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023	05.08.2022 (लो.स.)	29.03.2023	03.04.2023	2023 का 9 11.04.2023
वित्त मंत्रालय					
2	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023	21.03.2023 (लो.स.)	21.03.2023	27.03.2023	2023 का 6 29.03.2023
3	जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023	21.03.2023 (लो.स.)	21.03.2023	27.03.2023	2023 का 7 29.03.2023
4	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023	21.03.2023 (लो.स.)	21.03.2023	27.03.2023	2023 का 5 29.03.2023
5	विनियोग विधेयक, 2023	23.03.2023 (लो.स.)	23.03.2023	27.03.2023	2023 का 4 29.03.2023
6	वित्त विधेयक, 2023	01.02.2023 (लो.स.)	24.03.2023 *27.03.2023	27.03.2023	2023 का 8 31.03.2023
सत्रहवीं लोक सभा का 12वां सत्र और राज्य सभा का 260वां सत्र					
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय					
1	जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023	22.12.2022 (लो.स.)	27.07.2023	02.08.2023	2023 का 18 11.08.2023
सहकारिता मंत्रालय					
2	बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023	07.12.2022 (लो.स.)	25.07.2023	01.08.2023	2023 का 11 03.08.2023
रक्षा मंत्रालय					
3	अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023	15.03.2023 (लो.स.)	04.08.2023	08.08.2023	2023 का 28 15.08.2023
शिक्षा मंत्रालय					
4	भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023	28.07.2023 (लो.स.)	04.08.2023	08.08.2023	2023 का 23 11.08.2023
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
5	डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023	03.08.2023 (लो.स.)	07.08.2023	09.08.2023	2023 का 22 11.08.2023
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
6	जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023	16.12.2021 (लो.स.)	25.07.2023	01.08.2023	2023 का 10 03.08.2023

7	वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023	29.03.2023 (लो.स.)	26.07.2023	02.08.2023	2023 का 15 04.08.2023
	वित्त मंत्रालय				
8	केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023	11.08.2023 (लो.स.)	11.08.2023	11.08.2023	2023 का 30 18.08.2023
9	एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023	11.08.2023 (लो.स.)	11.08.2023	11.08.2023	2023 का 31 18.08.2023
	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय				
10	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023	05.04.2023 (लो.स.)	07.08.2023	09.08.2023	2023 का 27 12.08.2023
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
11	राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023	24.07.2023 (लो.स.)	28.07.2023	08.08.2023	21 of 2023 का 21 11.08.2023
12	राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023	24.07.2023 (लो.स.)	28.07.2023	08.08.2023	2023 का 26 12.08.2023
13	भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023	03.08.2023 (लो.स.)	07.08.2023	10.08.2023	2023 का 29 15.08.2023
	गृह मंत्रालय				
14	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023	01.08.2023 (लो.स.)	03.08.2023	07.08.2023	2023 का 19 11.08.2023
15	जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023	26.07.2023 (लो.स.)	01.08.2023	07.08.2023	2023 का 20 11.08.2023
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
16	चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023	20.07.2023 (रा.स.)	31.07.2023	27.07.2023	2023 का 12 04.08.2023
	विधि और न्याय मंत्रालय				
17	मध्यकता विधेयक, 2023	20.12.2021 (रा.स.)	07.08.2023	01.08.2023	2023 का 32 14.09.2023
	खान मंत्रालय				
18	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023	26.07.2023 (लो.स.)	28.07.2023	02.08.2023	2023 का 16 09.08.2023
19	अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023	27.07.2023 (लो.स.)	01.08.2023	03.08.2023	2023 का 17 10.08.2023
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
20	अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023	04.08.2023 (लो.स.)	07.08.2023	09.08.2023	2023 का 25 12.08.2023
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				
21	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023	24.07.2023 (लो.स.)	01.08.2023	09.08.2023	2023 का 24 12.08.2023

जनजातीय कार्य मंत्रालय					
22	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2023	09.12.2022 (लो.स.)	21.12.2022 *31.07.2023	25.07.2023	2023 का 13 04.08.2023
23	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2023	09.12.2022 (लो.स.)	16.12.2022 *31.07.2023	26.07.2023	2023 का 14 04.08.2023
सत्रहवीं लोक सभा का 13वां सत्र और राज्य सभा का 261वां सत्र					
विधि और न्याय मंत्रालय					
1	संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023	19.09.2023 (लो.स.)	20.09.2023	21.09.2023	28.09.2023 को सहमति दी गई
सत्रहवीं लोक सभा का 14वां सत्र और राज्य सभा का 262वां सत्र					
संचार मंत्रालय					
1	डाकघर विधेयक, 2023	10.08.2023 (रा.स.)	18.12.2023	04.12.2023	2023 का 43 24.12.2023
2	दूर संचार विधेयक, 2023	18.12.2023 (लो.स.)	20.12.2023	21.12.2023	2023 का 44 24.12.2023
शिक्षा मंत्रालय					
3	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023	04.12.2023 (लो.स.)	07.12.2023	13.12.2023	2023 का 36 17.12.2023
वित्त मंत्रालय					
4	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2023	12.12.2023 (लो.स.)	12.12.2023	19.12.2023	2023 का 40 24.12.2023
5	विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2023	12.12.2023 (लो.स.)	12.12.2023	19.12.2023	2023 का 41 24.12.2023
6	केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023	13.12.2023 (लो.स.)	19.12.2023	20.12.2023	2023 का 48 28.12.2023
7	अनंतिम कर संग्रहण विधेयक, 2023	13.12.2023 (लो.स.)	19.12.2023	20.12.2023	2023 का 50 28.12.2023
गृह मंत्रालय					
8	जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023	26.07.2023 (लो.स.)	06.12.2023	11.12.2023	2023 का 34 15.12.2023
9	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023	26.07.2023 (लो.स.)	06.12.2023	11.12.2023	2023 का 35 15.12.2023
10	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023	12.12.2023 (लो.स.)	12.12.2023	18.12.2023	2023 का 38 20.12.2023
11	संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023	12.12.2023 (लो.स.)	12.12.2023	18.12.2023	2023 का 39 20.12.2023
12	भारतीय न्याय संहिता, 2023	12.12.2023 (लो.स.)	20.12.2023	21.12.2023	2023 का 45 25.12.2023
13	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023	12.12.2023 (लो.स.)	20.12.2023	21.12.2023	2023 का 46 25.12.2023

14	भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023	12.12.2023 (लो.स.)	20.12.2023	21.12.2023	2023 का 47 25.12.2023
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय				
15	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023	13.12.2023 (लो.स.)	19.12.2023	19.12.2023	2023 का 42 24.12.2023
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय				
16	प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023	01.08.2023 (रा.स.)	21.12.2023	03.08.2023	2023 का 51 28.12.2023
	विधि और न्याय मंत्रालय				
17	अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023	01.08.2023 (रा.स.)	04.12.2023	03.08.2023	2023 का 33 08.12.2023
18	निरसन और संशोधन विधेयक, 2023	19.12.2022 (लो.स.)	27.07.2023	13.12.2023	2023 का 37 17.12.2023
19	मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023	10.08.2023 (रा.स.)	21.12.2023	12.12.2023	2023 का 49 28.12.2023
	सत्रहवीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 263वां सत्र				
	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय				
1	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024	05.02.2024 (रा.स.)	08.02.2024	06.02.2024	2024 का 5 15.02.2024
	वित्त मंत्रालय				
2	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 9 15.02.2024
3	विनियोग विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 10 15.02.2024
4	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 11 15.02.2024
5	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024	07.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 12 15.02.2024
6	वित्त विधेयक, 2024	01.02.2024 (लो.स.)	07.02.2024	08.02.2024	2024 का 8 15.02.2024
	गृह मंत्रालय				
7	जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024	05.02.2024 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 2 12.02.2024
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
8	लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024	05.02.2024 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 1 12.02.2024
	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय				
9	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	26.07.2023 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 4 12.02.2024

जनजातीय कार्य मंत्रालय					
10	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	05.02.2024 (रा.स.)	08.02.2024	06.02.2024	2024 का 7 15.02.2024
11	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	05.02.2024 (रा.स.)	08.02.2024	06.02.2024	2024 का 6 15.02.2024
12	संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024	26.07.2023 (लो.स.)	06.02.2024	09.02.2024	2024 का 3 12.02.2024

परिशिष्ट-3
(देखें पैरा 4.7)

17वीं लोक सभा के 15वें सत्र और राज्य सभा के 263वें सत्र की समाप्ति पर लोक सभा और राज्य सभा में लंबित विधेयकों की सूची

<u>लोक सभा</u>

I. स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक

1. बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
2. विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022

II. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

3. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019

<u>राज्य सभा</u>

I. लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

1. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019

II. स्थायी समिति को नहीं भेजे गए विधेयक

2. तमिलनाडु विधान परिषद (निरसन) विधेयक, 2012
3. संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन (तीसरा) विधेयक, 2013
4. दिल्ली किराया (निरसन) विधेयक, 2013
5. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2019

III. विधेयक जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई

6. संविधान (79वां संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानक)
7. दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997
8. नगरपालिकाओं का उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001
9. बीज विधेयक, 2004
10. भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी विधेयक, 2005
11. खान (संशोधन) विधेयक, 2011
12. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 2011
13. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार संबंधित विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013
14. रोजगार नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) विधेयक, 2013
15. राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013
16. असम विधान परिषद विधेयक, 2013
17. रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

18. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014
19. अनिवासी भारतीय विवाह रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2019
20. संविधान (एक सौ पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
21. नाशकजीवमार प्रबंधन विधेयक, 2020

परिशिष्ट - 4क

(देखें पैरा 4.10)

दिनांक 01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान केंद्रीय बजट पर विचार करने की तारीख (तारीखें) दर्शाने वाला विवरण							
केंद्रीय बजट							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		**तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण	01.02.2023	01	26	01.02.2023	-	-
2.	वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा	08.02.2023 09.02.2023 10.02.2023	14	45	09.02.2023 10.02.2023	02	21
3.	वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट का प्रस्तुतिकरण	13.03.2023	-	-	-	-	-
4.	वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के बजट पर सामान्य चर्चा	21.03.2023	00	15	#	#	#
5.	निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के संबंध में वर्ष 2023-24 के बजट (सामान्य) से संबंधित अनुदान मांगों को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया और उन पर पूर्ण मतदान हुआ: (1) कृषि और किसान कल्याण (2) परमाणु ऊर्जा (3) आयुष (4) रसायन और उर्वरक (5) नागर विमानन (6) कोयला (7) वाणिज्य और उद्योग (8) संचार (9) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (10) सहकारिता (11) कारपोरेट कार्य (12) संस्कृति (13) रक्षा (14) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (15) पृथ्वी-विज्ञान (16) शिक्षा (17) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (18) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (19) विदेश (20) वित्त (21) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी (22) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (23) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (24) भारी उद्योग और लोक उद्यम (25) गृह (26) आवासन और शहरी कार्य (27) सूचना और प्रसारण (28) जल शक्ति (29) श्रम और रोजगार (30) विधि और न्याय (31) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	23.03.2023	00	10	#	#	#

	(32) खान (33) अल्पसंख्यक कार्य (34) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (35) पंचायती राज (36) संसदीय कार्य (37) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (38) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (39) योजना (40) पत्तन, पोत परिवहन और जनमार्ग (41) विद्युत (42) लोक सभा (43) राज्य सभा (44) उप राष्ट्रपति सचिवालय (45) रेल (46) सड़क परिवहन और राजमार्ग (47) ग्रामीण विकास (48) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (49) कौशल विकास और उद्यमशीलता (50) सामाजिक न्याय और अधिकारिता (51) अंतरिक्ष विभाग (52) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (53) इस्पात (54) वस्त्र (55) पर्यटन (56) जनजातीय कार्य (57) महिला और बाल विकास (58) युवा कार्यक्रम और खेल।						
6.	(i) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान मांगें; (ii) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें; (iii) वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें - दूसरा बैच। *मद (i), (ii) और (iii) पर एक साथ चर्चा की गई।*	21.03.2023	00	15	#	#	#
7.	(i) वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें - पहला बैच (ii) वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें। *मद (i) और (ii) पर एक साथ चर्चा की गई।*	11.12.2023 12.12.2023	05	39	#	#	#

टिप्पणी: #राज्य सभा में विभिन्न मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयकों के माध्यम से चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट - 4ख

अंतरिम बजट - 2024							
क्र.सं.	**विषय**	**लोक सभा**			**राज्य सभा**		
		तारीख (तारीखें)	**लिया गया समय**		**तारीख (तारीखें)**	**लिया गया समय**	
			घंटे	**मिनट**		**घंटे**	**मिनट**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट का प्रस्तुतिकरण	01.02.2024	00	59	01.02.2024	-	-
2.	वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अंतरिम बजट का प्रस्तुतिकरण	05.02.2024	-	-			
3.	(i) वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा (ii) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा (iii) वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान मांगें। (iv) वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें - दूसरा बैच (v) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित लेखानुदान मांगें (vi) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुपूरक अनुदान मांगें। *मद सं.(i) से (vi) पर एक साथ चर्चा हुई।*	07.02.2024	07	06	-	-	-

टिप्पणी: #राज्य सभा में विभिन्न मांगों पर संबंधित विनियोग विधेयकों के माध्यम से चर्चा की जाती है।

परिशिष्ट-5

(देखें पैरा 4.15)

मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा की तारीखें और उन पर लिया गया समय इत्यादि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावक सहित प्रस्ताव का रूप	चर्चा की तारीख	परिणाम	लिया गया समय	
				घंटे	मिनट
1	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.12.89	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	05	15
2	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री वी.पी. सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	07.11.90	अस्वीकृत हां - 151 नहीं - 356	11	10
3	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री चंद्रशेखर, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	16.11.90	स्वीकृत हां - 280 नहीं - 214	06	34
4	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री पी.वी. नरसिंह राव, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	12 और 15 जुलाई, 1991	स्वीकृत हां - 240 नहीं - 109 अनुपस्थित - 112	07	35
5	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.05.96 28.05.96	मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते समय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने जा रहे हैं। तत्पश्चात अध्यक्ष ने कहा कि सदन में प्रधान मंत्री द्वारा त्यागपत्र देने की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सदन का विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर मतदान की आवश्यकता नहीं है।	10	51
6	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.06.96 12.06.96	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	12	20

7	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री एच.डी. देवेगौडा, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	11.04.97	अस्वीकृत हां - 190 नहीं - 338 अनुपस्थित - 5	12	50
8	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री आई.के. गुजराल, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	22.04.97	स्वीकृत (ध्वनि मत से)	09	02
9	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	27.03.1998 28.03.1998	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 260	17	56
10	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	15.4.1999 16.4.1999 17.4.1999	अस्वीकृत हां - 269 नहीं - 270	24	58
11	कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास व्यक्त करता है - डा. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री द्वारा पेश किया गया	21.07.2008 22.07.2008	स्वीकृत हां - 275 नहीं - 256	15	11

परिशिष्ट-6

(देखें पैरा 5.5)

01.01.2023 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान लोक/राज्य सभा में पुरःस्थापित गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

लोक सभा

1. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा केरल उच्च न्यायालय (तिरुवनन्तपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2023
2. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य देखरेख कार्मिक और स्वास्थ्य देखरेख संस्थान (हिंसा और संपत्ति की क्षति का प्रतिषेध) विधेयक, 2023
3. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा पत्रकार (हिंसा तथा संपति को क्षति अथवा हानि की रोकथाम) विधेयक, 2022
4. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा अधिवक्ता (संरक्षण) विधेयक, 2022
5. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 201 का संशोधन)
6. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा जनगणना (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
7. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
8. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 23 का संशोधन)
9. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा महिलाओं का ऋतुस्त्राव अवकाश तथा ऋतुस्त्राव स्वास्थ्य उत्पादों तक निशुल्क पहुंच का अधिकार विधेयक, 2022
10. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा पोक्कली कृषि (संरक्षण, संवर्धन और कल्याण) विधेयक, 2023
11. श्री हैबी ईडन, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिक (हिंसा और उत्पीडन से संरक्षण) विधेयक, 2023
12. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
13. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवता प्रबंध आयोग (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
14. श्री गौरव गोगोई, संसद सदस्य द्वारा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
15. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 20क का संशोधन)
16. श्री राजू बिष्ट, संसद सदस्य द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3 छ का अंतःस्थापन, आदि)
17. एडवोकेट ए.एम. आरिफ, संसद सदस्य द्वारा कृषि उपज मूल्य नियतन बोर्ड विधेयक, 2022
18. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा नौकरी से निकाले गए कर्मचारी (अस्थायी प्रसुविधा) विधेयक, 2022

19. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा मिर्च (संवर्धन एवं विकास) विधेयक, 2022

20. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2022
21. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 58 का संशोधन)
22. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
23. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
24. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
25. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
26. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य द्वारा सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
27. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा दंड विधियां (संशोधन) विधेयक, 2023 (नई धारा 52ख का अंतःस्थापन, आदि)
28. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा महामारी (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 1क का संशोधन, आदि)
29. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य द्वारा केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
30. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 23 का संशोधन, आदि)
31. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 17 का संशोधन, आदि)
32. श्री कोडीकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 31 का संशोधन)
33. श्री मारगनी भरत, संसद सदस्य द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 (नए भाग दस क का अंतःस्थापन)
34. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
35. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 22 का संशोधन, आदि)
36. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
37. डॉ. गदम रणजीत रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा भारत का उच्चतम न्यायालय (हैदराबाद में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2023
38. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

39. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)
40. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 21 का संशोधन, आदि)
41. श्रीमती लॉकेट चटर्जी, संसद सदस्य द्वारा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां उप-योजनाएँ (बजटीय आबंटन और विशेष योजनाएं) विधेयक, 2020
42. श्रीमती लॉकेट चटर्जी, संसद सदस्य द्वारा वाहन प्रदूषण में कमी लाने संबंधी विधेयक, 2019
43. श्री सु. थिरुनवुक्करासर, संसद सदस्य द्वारा बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2019
44. श्री सु. थिरुनवुक्करासर, संसद सदस्य द्वारा कृषि कामगार कल्याण कोष विधेयक, 2019
45. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
46. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 440क का अंतःस्थापन)
47. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा बाल विवाह उत्सादन विधेयक, 2022
48. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य द्वारा नमक कर्मकार कल्याण विधेयक, 2023
49. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य द्वारा चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 और 4 का संशोधन)
50. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य योग अभ्यास विधेयक, 2023
51. श्री थोमस चाज़िकाडन, संसद सदस्य का दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
52. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 312 का संशोधन)
53. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
54. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी, संसद सदस्य द्वारा हथकरघा बुनकर और कामगार (कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2023
55. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य देख-रेख सेवाप्रदाता और सुविधाएं (हिंसा तथा संपत्ति की क्षति का निवारण) विधेयक, 2023
56. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य द्वारा शहरी क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023
57. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य द्वारा सोशल मीडिया पर मिथ्या समाचार का प्रतिषेध विधेयक, 2023
58. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य द्वारा अपशिष्ट (निपटान और प्रबंधन) विधेयक, 2023
59. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 19 का संशोधन, आदि)
60. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 214 का संशोधन)
61. डॉ. संजय जायसवाल, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 2 का संशोधन)

62. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा टूर ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट (विनियमन) विधेयक, 2022
63. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा दलित, पिछड़े और दमित युवा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2022
64. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में सामाजिक और भावनात्मक अधिगम संवर्धन विधेयक, 2022
65. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम, संसद सदस्य द्वारा पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा अपशिष्ट (प्रबंधन, निस्तारण एवं पुनर्चक्रण) विधेयक, 2022
66. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 15 का संशोधन, आदि)
67. श्री प्रद्युत बोरदोलोई, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
68. डॉ. गौतम सिगामणि पोन, संसद सदस्य द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 2 का संशोधन)
69. डॉ. गौतम सिगामणि पोन, संसद सदस्य द्वारा कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) संशोधन विधेयक, 2023 (नई धारा 4 क का अंतःस्थापन)
70. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा भारतीय दूरसंचार (गोपनीयता और सुरक्षा) विधेयक, 2023
71. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन)
72. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य द्वारा उत्प्रवास (संशोधन) विधेयक, 2023 (नए अध्याय 2क का अंतःस्थापन, आदि)
73. डॉ. तालारी रंगैय्या, संसद सदस्य द्वारा पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी विधेयक, 2023
74. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 8 का संशोधन)
75. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 15 का संशोधन, आदि)
76. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा क्षयरोग (उपचार और उन्मूलन) विधेयक, 2022
77. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य द्वारा पर्यटन विकास बोर्ड विधेयक, 2022
78. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का ग्रामीण क्षेत्र मूर्तिकार, कलाकार और कारीगर उत्थान परिषद विधेयक, 2022
79. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा खिलाड़ी (खेल निकायों में आरक्षण) विधेयक, 2022
80. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 267 और 273 का संशोधन)
81. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य द्वारा सोशल मीडिया और ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म विनियामक बोर्ड विधेयक, 2022
82. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 72 का संशोधन)
83. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा मानव-पशु संघर्ष निवारण बोर्ड विधेयक, 2023
84. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 15 और 16 का संशोधन)

85. श्री वी. के. श्रीकंदन, संसद सदस्य द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 18 का संशोधन)
86. श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 124क का संशोधन, आदि)
87. श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य द्वारा सरकारी विधायी प्रस्ताव और योजनाएं (प्रभाव विश्लेषण और कार्यान्वयन पश्चात मूल्यांकन) विधेयक, 2022
88. श्री श्रीनिवास केसिनेनी, संसद सदस्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 125 का संशोधन)
89. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य द्वारा स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 31क का संशोधन)
90. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य द्वारा न्यायिक उत्तरदायित्व विधेयक, 2023
91. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2023 (नई धारा 19क और 19ख का अंतःस्थापन)
92. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य द्वारा पर्यावरण के लिए जीवनशैली का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2023
93. श्री संजय भाटिया, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 15 तथा 16 का संशोधन)
94. श्री संजय भाटिया, संसद सदस्य द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 41 का संशोधन)
95. श्री जसबीर सिंह गिल, संसद सदस्य द्वारा प्लास्टिक विनिर्माण (विनियमन) विधेयक, 2019
96. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में नैतिक आचारों का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2023
97. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पहली अनुसूची का संशोधन)
98. श्री रवि किशन, संसद सदस्य द्वारा परंपरागत मछुआरे (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2023
99. श्रीमती सुनीता दुग्गल, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (नए अनुच्छेद 48ख का अंतःस्थापन, आदि)
100. श्री जसबीर सिंह गिल, संसद सदस्य द्वारा विशेष अवसरों पर व्यर्थ व्यय का निवारण विधेयक, 2020
101. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस., संसद सदस्य द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
102. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति (समान प्रतिकर) विधेयक, 2022
103. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य द्वारा उच्च न्यायालय (राजभाषा का प्रयोग) विधेयक, 2022
104. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा रेल (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन)
105. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस., संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची का संशोधन)
106. श्री रितेश पाण्डेय, संसद सदस्य द्वारा परिचर्या सेवाएं (सेवा का नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2022
107. श्री दिलेश्वर कामैत, संसद सदस्य द्वारा एसिड हमलों के पीड़ित व्यक्ति, उनका पुनर्वास, सहायता और स्वास्थ्य देखरेख विधेयक, 2022

108. श्री दिलेश्वर कामैत, संसद सदस्य द्वारा पदच्युत कर्मचारी (कल्याण) विधेयक, 2022
109. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस. संसद सदस्य द्वारा स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों और नैदानिक स्थापनों के विरुद्ध हिंसा निवारण विधेयक, 2022
110. श्री दिलीप शड़कीया, संसद सदस्य द्वारा पथरुघाट राष्ट्रीय किसान स्मारक विधेयक, 2022
111. श्री दिलीप शड़कीया, संसद सदस्य द्वारा प्राइवेट कोचिंग केन्द्र विनियामक बोर्ड विधेयक, 2023
112. श्री दिलीप शइकीया, संसद सदस्य द्वारा विद्यालयों में मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2023
113. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में भगवद्गीता का अनिवार्य शिक्षण एवं अभ्यास विधेयक, 2022
114. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 304ग का अंतःस्थापन, आदि)
115. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 135 का संशोधन)
116. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 343 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
117. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 और 53 का संशोधन)
118. श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) विधेयक, 2021
119. श्री जुगल किशोर शर्मा, संसद सदस्य द्वारा बालक कल्याण विधेयक, 2021
120. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अध्याय 4क का अंतःस्थापन)
121. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (पैरा 3 का लोप)
122. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 99 का संशोधन, आदि)
123. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 85 का संशोधन)
124. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य द्वारा मानव दुर्व्यापार (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2023
125. श्री सी. एन. अन्नादुरई, संसद सदस्य द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुसूची का संशोधन)
126. श्री गणेश सेल्वम, संसद सदस्य द्वारा छोटी जोत वाले किसान (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2023
127. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (स्वास्थ्य का अधिकार) विधेयक, 2023
128. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दुकानदारों का कल्याण विधेयक, 2023
129. श्री कुलदीप राय शर्मा, संसद सदस्य द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (सेवा नियमितीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023
130. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कल्याण विधेयक, 2022

131. श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023 (पूरे नाम का संशोधन आदि)

132. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य द्वारा दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 353 का संशोधन आदि)

133. श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य द्वारा माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 20 का संशोधन)

134. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह राजेनिंबालकर, संसद सदस्य द्वारा सरकारी सेवक (सेवाओं का विनियमन) विधेयक, 2023

राज्य सभा

1. श्री हरनाथ सिंह यादव द्वारा वक्फ निरसन विधेयक, 2022
2. श्री हरनाथ सिंह यादव द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 348 का संशोधन)
3. श्री राजीव शुक्ला द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
4. श्री पी. विल्सन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)
5. श्री पी. विल्सन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
6. श्री पी. विल्सन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (सुधार) विधेयक, 2023
7. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 102, 191 और दसवीं अनुसूची का संशोधन)
8. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (पुलिस शक्तियों का विनियमन) विधेयक, 2023
9. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 44क का अंतःस्थापन और अनुच्छेद 51क का संशोधन)
10. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे द्वारा विवाह ब्यूरो (विनियमन) विधेयक, 2022
11. डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे द्वारा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन द्वारा अंतरधर्म विवाह (प्रतिषेध) विधेयक, 2023
12. डा. सस्मित पात्रा द्वारा अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2022
13. डा. सस्मित पात्रा द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धाराओं 124क और 309 का प्रतिस्थापन तथा धारा 375 का संशोधन)
14. डा. सस्मित पात्रा द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 331 और 333 का प्रतिस्थापन)
15. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2022
16. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2022
17. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा तमिलनाडु राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
18. श्री के. आर. सुरेश रेड्डी द्वारा घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (निवारण) विधेयक, 2022
19. श्री के.आर. सुरेश रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023
20. श्री राघव चड्डा द्वारा धन शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2022
21. श्री राघव चड्डा द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153,154 इत्यादि का प्रतिस्थापन)
22. श्री राघव चड्डा द्वारा मानहानि निरपराधीकरण विधेयक, 2023

23. डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए भाग XVIक का अंतःस्थापन और अनुच्छेद 366 का संशोधन)
24. डा. अशोक कुमार मित्तल द्वारा दुकानदार कल्याण विधेयक, 2022
25. श्री अनिल प्रसाद हेगडे द्वारा खादी कतिन, बुनकर और खादी संस्थान (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022
26. श्री अनिल प्रसाद हेगडे द्वारा संधारणीय कृषि (अपहानिकर रसायनी पदार्थों पर पाबंदी) विधेयक, 2023
27. श्री इलामारम करीम द्वारा मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2022
28. डा. फौजिया खान द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) संशोधन विधेयक, 2022
29. डा. फौजिया खान द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (नए अनुच्छेद 330क, 330ख आदि का अंतःस्थापन)
30. डा. फौजिया खान द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
31. डा. वी. शिवादासन द्वारा निःशुल्क इंटरनेट का अधिकार विधेयक, 2023
32. डा. वी. शिवादासन द्वारा सार्वजनिक स्थल का अधिकार विधेयक,
33. डा. वी. शिवादासन द्वारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का अधिकार विधेयक, 2023
34. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 326 का संशोधन)
35. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2023
36. डा. जॉन ब्रिटास द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 2023
37. श्री सुजीत कुमार द्वारा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति (संशोधन) विधेयक, 2023
38. श्री सुजीत कुमार द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 24क, 300क और 302क का अंतःस्थापन)
39. श्री सुजीत कुमार द्वारा केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
40. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2023
41. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा राष्ट्रीय युवा कल्याण आयोग विधेयक, 2023
42. श्री संदोष कुमार पी. द्वारा प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी विधेयक, 2023
43. श्री आर. गिरिराजन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 343, 344 और 348 इत्यादि का संशोधन)
44. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा कालाधन वसूली विधेयक, 2023
45. श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा विवाह और साहचर्य की स्वतंत्रता और सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराधों का निषेध विधेयक, 2023
46. श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन)
47. श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
48. श्री वि. विजयसाई रेड्डी द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023
49. प्रो. मनोज कुमार झा द्वारा अभिरक्षा में यातना का निवारण विधेयक, 2023
50. प्रो. मनोज कुमार झा द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
51. डा. अमर पटनायक द्वारा संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2023
52. डा. अमर पटनायक द्वारा भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (धारा 305 का प्रतिस्थापन और धारा 375 का संशोधन)

53. श्रीमती वंदना चव्हाण द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन (प्रतिरोधक्षमता, पुनर्वास और पुनःस्थापन) विधेयक, 2023
54. श्री एम. शनमुगम द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023. (अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)
55. श्री एम. शनमुगम द्वारा मोटर वाहन चालक और अन्य कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 2023
56. श्री जावेद अली खान द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2023
57. श्री ए.डी. सिंह द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 111, 200 और 201 का संशोधन)
58. श्री ए.डी. सिंह द्वारा बिहार राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2023
59. श्री ए.डी. सिंह द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2023 (नई धारा 377क का अंतःस्थापन)
60. श्री बिप्लब कुमार देब द्वारा विद्यालयों में पर्यावरण के लिए जीवनशैली (एलआईएफई) का अनिवार्य शिक्षण विधयेक, 2023
61. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (संशोधन) विधेयक, 2023
62. श्री तिरुची शिवा द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023
63. श्री ए.ए. रहीम द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022
64. श्री ए.ए. रहीम द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 371 क का संशोधन)
65. श्री ए.ए. रहीम द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संशोधन) विधेयक, 2023
66. श्री विवेक के. तन्खा द्वारा कश्मीरी पंडित (आश्रय, प्रत्यास्थापन, पुनर्वास और पुनःस्थापन) विधेयक, 2022
67. श्री एस. निरंजन रेड्डी द्वारा साक्षी संरक्षण विधेयक, 2023
68. श्री केसुरेश रेड्डी. आर. द्वारा असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा विधेयक, 2023
69. श्री साकेत गोखले द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023
70. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2023
71. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा लोक सेवा सत्यनिष्ठा विधेयक, 2023
72. श्री देरेक ओब्राईन द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति (देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2024
73. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2023 (अनुच्छेद 155 का प्रतिस्थापन तथा नए अनुच्छेद 156क का अंतःस्थापन और अनुच्छेद 200 तथा 201 का प्रतिस्थापन)
74. डा. सस्मित पात्रा द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) संशोधन विधेयक, 2024
75. डा. सस्मित पात्रा द्वारा भारतीय संविदा (संशोधन) विधेयक, 2024
76. डा. सस्मित पात्रा द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धाराएं 127 ख से 127घ तक का अंतःस्थापन)
77. डा. वी. शिवादासन द्वारा भारतीय मीडिया सेवा (विनियमन और अनुज्ञापन) विधेयक, 2024
78. डा. वी. शिवादासन द्वारा राष्ट्रीय सम्मान के नाम पर किए जाने वाले अपराध से रक्षा आयोग विधेयक, 2024
79. श्री पी. विल्सन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 361 का संशोधन)
80. श्री पी. विल्सन द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
81. डा. फौजिया खान द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2024
82. डा. फौजिया खान द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024

83. डा. फौजिया खान द्वारा फर्जी कॉल निवारण विधेयक, 2024

84. श्री ए.डी. सिंह द्वारा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 86 और 116क का संशोधन)

परिशिष्ट - 7
(देखें पैरा 8.2)

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए सितम्बर, 2005 में बनाए गए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

वर्ष, 1954 में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति प्रणाली स्थापित की गई थी। इसे अप्रैल, 1969 में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ परामर्श करके, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के गठन और कार्यचालन को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करके एक औपचारिक रूप दे दिया गया था।

2. उद्देश्य

- सरकार के कार्यचालन के बारे में संसद सदस्यों में जागरूकता पैदा करना।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा उनके कार्यान्वयन की रीति पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच अनौपचारिक परामर्श को बढ़ावा देना।
- नीतिगत मामलों तथा कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में संसद सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन से सरकार को लाभ के अवसर उपलब्ध कराना।

3. गठन और भंग करना

3.1 भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए यथासंभव परामर्शदात्री समितियाँ गठित की जाएंगी। संसद में विभिन्न दलों की अपनी-अपनी सदस्य संख्या के अनुसार इन समितियों का संगठन सरकार निश्चित करेगी।

3.2 एक परामर्शदात्री समिति की **न्यूनतम सदस्य संख्या 10 होगी और अधिकतम सदस्य संख्या 30** होगी।

3.3 परामर्शदात्री समितियों की सदस्यता स्वैच्छिक है। यदि संसद सदस्य किसी परामर्शदात्री समिति पर नियमित सदस्य के रूप में कार्य करना चाहती/चाहता है तो वह अपना अनुरोध (संलग्न प्रोफार्मा में) लोक सभा/राज्य सभा में अपने दलों/ग्रुपों के नेता को तीन मंत्रालयों/विभागों के लिए परामर्शदात्री समितियों के विकल्प प्राथमिकता के क्रम पर उपलब्ध कराएगा, जबकि मनोनीत सदस्य तथा छोटे दलों/ग्रुपों के सदस्य (5 सदस्यों से कम) अपनी प्राथमिकता सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज सकते हैं। दल/ग्रुप के नेता इस पर विचार के पश्चात उनकी सिफारिश को संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजेंगे। एक संसद सदस्य किसी भी समय में केवल किसी एक परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य बन सकता है।

3.4 यदि संसद सदस्य किसी विशेष मंत्रालय/विभाग के विषयों में विशेष रूचि रखते हैं तो उन्हें उस परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य को केवल एक ही परामर्शदात्री समिति पर स्थायी विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया जा सकता है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा। **प्रत्येक परामर्शदात्री समिति पर अधिकतम 5 स्थायी विशेष आमंत्रित अनुमत होंगे।**

3.5 संसदीय कार्य मंत्रालय रिक्ति की स्थिति और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्य की प्राथमिकता को देखते हुए किसी परामर्शदात्री समिति पर संसद सदस्य की सदस्यता को अधिसूचित करेगा।

3.6 एक सदस्य, जो न तो एक नियमित सदस्य है और न ही स्थायी विशेष आमंत्रित है, को परामर्शदात्री समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, यदि उसने चर्चा के लिए किसी विषय का नोटिस दिया है और उस विषय को कार्यसूची में शामिल कर लिया गया है अथवा यदि उसने परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए अधिसूचित कार्यसूची मद (मदों) पर चर्चा में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है और उनके इस अनुरोध को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तथापि, ऐसा सदस्य परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने के लिए किसी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

3.7 परामर्शदात्री समिति का नियमित सदस्य उसकी हकदारी के अनुसार अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

3.8 मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री अपने मंत्रालय/विभाग से संबद्ध परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब भी आपवादिक कारणों से, प्रभारी मंत्री पहले से बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर पाने में असमर्थ होते हैं, तो या तो बैठक की अध्यक्षता उस मंत्रालय/विभाग के राज्य मंत्री करेंगे अथवा बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

3.9 परामर्शदात्री समिति उस स्थिति में भंग हो जाएगी, यदि उसकी सदस्य संख्या सदस्य (सदस्यों) की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र देने के कारण दस से कम हो जाती है। ऐसी भंग समिति के शेष सदस्यों से अनुरोध किया जाएगा कि उपरोक्त पैरा 3.3 में निर्धारित मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं दर्शाएं ताकि उन्हें जहां भी रिक्तियां उपलब्ध हैं उस परामर्शदात्री समिति पर नामित किया जा सके।

3.10 प्रत्येक लोक सभा के भंग होने पर परामर्शदात्री समितियां भी भंग हो जाएंगी और प्रत्येक लोक सभा का गठन होने पर पुनर्गठित की जाएंगी।

3.11 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों के गठन को अधिसूचित करेगा।

4. कार्य और सीमाएं

4.1 परामर्शदात्री समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं पर अनौपचारिक वातावरण में मुक्त और खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।

4.2 संसद सदस्य किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर संसद में समुचित रूप में चर्चा की जा सकती है। तथापि, परामर्शदात्री समिति की बैठक में उठाए गए किसी भी विषय का संसद के किसी भी सदन में हवाला देना वांछनीय नहीं होगा। यह सरकार और सदस्यों दोनों के लिए बाध्य होगा।

4.3 परामर्शदात्री समितियों को किसी गवाह को बुलाने, किसी मिसिल को मंगवाने अथवा प्रस्तुत कराने अथवा किसी सरकारी रिकार्ड की जांच करने का अधिकार नहीं होगा।

5. बैठकें

बैठकों की संख्या

5.1 सामान्यतया परामर्शदात्री समितियों की 6 बैठकें सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जाएंगी। परामर्शदात्री समितियों की एक वर्ष में 6 बैठकों में से, 4 बैठकें होनी अनिवार्य हैं। इनमें से, समिति के अध्यक्ष की सुविधानुसार, 3 बैठकें अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए तथा एक बैठक सत्रावधि अथवा अंत:सत्रावधि के दौरान आयोजित की जानी चाहिए।

दिल्ली से बाहर बैठकें

5.2 समिति के अध्यक्ष यदि चाहें तो, एक कलैंडर वर्ष में अंत:सत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की एक बैठक दिल्ली से बाहर भारत में कहीं भी आयोजित की जा सकती है।

बैठक की तारीख

5.3 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक की तारीख का निर्णय समिति की पिछली बैठक में कर लिया जाए।

अवधि

5.4 बैठक की अवधि का निर्णय निष्पादित किए जाने वाले कार्य को देखते हुए अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

बैठक के लिए सूचना

5.5 परामर्शदात्री समितियों की बैठकों के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी बैठकों के एक साथ होने से बचने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों, को जहाँ तक संभव हो, बैठक आयोजित करने के निर्णय की सूचना संसदीय कार्य मंत्रालय को बैठक की तारीख से कम से कम चार सप्ताह पूर्व भेज देनी चाहिए।

5.6 परामर्शदात्री समिति की बैठक की सूचना सदस्यों और आमंत्रितों को संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्रावधि के दौरान कम से कम 10 दिन पहले और अंत:सत्रावधि के दौरान कम से कम दो सप्ताह पूर्व भेजी जाएगी।

5.7 सदस्यों को बैठक की सूचना सत्रावधि के दौरान दिल्ली में उनके आवास के पते पर भेजी जाएंगी और अंत:सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पते के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजी जाएंगी।

<u>गणपूर्ति (कोरम)</u>

5.8 परामर्शदात्री समिति की बैठक के संचालन के लिए कोई गणपूर्ति (कोरम) नियत नहीं की गई है।

6. कार्यसूची

6.1 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची का निर्णय अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के परामर्श से किया जाए। सदस्यगण भी अध्यक्ष के विचार हेतु कार्यसूची में शामिल करने के लिए मद (मदों) का सुझाव दे सकते हैं।

6.2 जहां तक संभव हो, परामर्शदात्री समिति की उत्तरवर्ती बैठक की कार्यसूची का निर्णय समिति की पिछली बैठक के दौरान कर लिया जाए।

6.3 परामर्शदात्री समिति की बैठक के लिए कार्यसूची कागजात (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर दोनो) (पिछली बैठक का कार्यवृत्त, पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट और आगामी बैठक के लिए कार्यसूची मद (मदों) पर ब्रीफ/टिप्पणियों सहित) संबंधित मंत्रालय द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कम से कम दस दिन पूर्व भेज दिए जाएं ताकि उन्हें बैठक के दौरान चर्चा में सुविधा हेतु पर्याप्त समय पहले सदस्यों को परिचालित किया जा सके।

6.4 संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को कार्यसूची कागजात की प्रतियां (अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर) पर्याप्त संख्या में भेजी जाएं (सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या जमा दस और अंत:सत्रावधि के दौरान सदस्यों की संख्या से दोगुनी जमा दस)।

6.5 सदस्यगण संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से संबंधित मंत्रालय/विभाग से कार्यसूची की मदों/अतिरिक्त मदों पर विवरण अथवा अतिरिक्त जानकारी मांग सकते हैं।

7. सिफारिशें

7.1 बैठक की अनुमोदित कार्यसूची मदों पर हुई चर्चा का संक्षिप्त रिकार्ड रखा जाए और उसे सदस्यों को परिचालित किया जाए।

7.2 निम्न अपवादों को छोड़कर समिति के दृष्टिकोण में जहां कहीं भी एकमतता होगी, सरकार सामान्यत: उस सिफारिश को मान लेगी अर्थात:-

(i) वित्तीय निहितार्थ सहित कोई सिफारिश;
(ii) सुरक्षा, रक्षा, विदेश और परमाणु ऊर्जा से संबंधित कोई सिफारिश; और
(iii) स्वायत्त संस्थान के कार्यक्षेत्र में आने वाला कोई मामला।

8. प्रशासनिक मामले

8.1 संसदीय कार्य मंत्रालय परामर्शदात्री समितियों से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

8.2 संबंधित मंत्रालय/विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण परामर्शदात्री समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे और कार्यसूची मदों के प्रस्तुतीकरण में मंत्री को जानकारी और स्पष्टीकरण इत्यादि उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेंगे।

8.3 सभी सूचनाएं, कार्यसूची कागजात, कार्यवृत्त इत्यादि सत्रावधि के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास के पतों पर भेजे जाएंगे और अन्त: सत्रावधि के दौरान उनके दिल्ली के पतों के साथ-साथ स्थायी पतों पर भी भेजे जाएंगे।

9. उप-समिति

परामर्शदात्री समिति की उप-समितियां गठित नहीं की जाएंगी।

(दिशा -निर्देशों के पैरा 3.3 में उल्लिखित प्रोफार्मा)

संसदीय कार्य मंत्रालय

परामर्शदात्री समिति पर नामांकन

मुझे निम्नलिखित परामर्शदात्री समितियों में से किसी एक पर प्राथमिकता क्रम में नामांकित कर दिया जाए:-

क्र.सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर .....

नाम .....

(स्वच्छ अक्षरों में)

सदस्य: लोक/राज्य सभा

दल जिससे संबद्ध हैं:

निम्नलिखित स्थानों पर मोबाइल/टेलीफोन तथा फैक्स नंबर

(क) दिल्ली का पता:.....

.....

(ख) स्थायी पता:.....

.....

(ग) ईमेल आईडी:

सेवा में

अवर सचिव,
संसदीय कार्य मंत्रालय,
90, संसद भवन,
नई दिल्ली।
टेलीफोन नंबर : 011-23034728
फैक्स नंबर : 011-23034744
011-23017557
ई-मेल आईडी : anil.kumar.mopa@nic.in

परिशिष्ट - 8
(देखें पैरा 8.4)

17वीं लोक सभा के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के लिए गठित परामर्शदात्री समितियों की सूची

क्रम सं.	परामर्शदात्री समिति का नाम
1.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
2.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय
3.	नागर विमानन मंत्रालय
4.	कोयला और खान मंत्रालय
5.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
6.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
7.	सहकारिता मंत्रालय
8.	संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय
9.	रक्षा मंत्रालय
10.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
11.	शिक्षा मंत्रालय
12.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा संचार मंत्रालय
13.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
14.	विदेश मंत्रालय
15.	वित्त मंत्रालय
16.	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
18.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
19.	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
20.	गृह मंत्रालय
21.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
22.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
23.	जल शक्ति मंत्रालय
24.	श्रम और रोजगार मंत्रालय
25.	विधि और न्याय मंत्रालय
26.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
27.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
28.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
29.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

30.	विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
31.	रेल मंत्रालय
32.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
33.	ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय
34.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
35.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
36.	इस्पात मंत्रालय
37.	वस्त्र मंत्रालय
38.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
39	महिला और बाल विकास मंत्रालय
40	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

परिशिष्ट - 9

(देखें पैरा 8.5)

वर्ष 2023 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों की तारीखें और उनमें चर्चा किए गए महत्वपूर्ण विषय

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	17.05.2023, 03.01.2024
चर्चा किए गए विषय	कर्षि विज्ञान केंद्र, पौध संरक्षण एवं केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	15.03.2023
चर्चा किए गए विषय	रसायन और पेट्रोरसायन-आत्मनिर्भर भारत
नागर विमानन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	13.03.2023, 28.04.2023, 13.10.2023, 14.12.2023
चर्चा किए गए विषय	हवाई अड्डों को हरा-भरा करना, सतत विमानन ईंधन, कोहरे की योजना, हवाई अड्डे पर भीड़भाड़
कोयला और खान मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	19.09.2023, 21.12.2023
चर्चा किए गए विषय	एनएमईटी का प्रदर्शन, देश में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने में इसकी भूमिका और जिम्मेदारी, वाणिज्यिक और कैप्टिव कोयला उत्पादन, कोयला उपलब्धता बढ़ाने की रणनीति।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	06.02.2023, 05.04.2023, 06.07.2023, 14.12.2023
चर्चा किए गए विषय	वर्तमान परिदृश्य में विनिर्माण और निवेश के विकास को बढ़ावा देना, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), सुशासन, पारदर्शिता और निवेश के लिए राष्ट्रीय एकल विंडो, नई विदेश व्यापार नीति 2023
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	16.03.2023, 07.07.2023, 07.08.2023
चर्चा किए गए विषय	गुणवत्ता मानकों में सुधार, धान की खरीद, एफसीआई के गोदामों का उन्नयन
रक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	16.06.2023
चर्चा किए गए विषय	रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	19.11.2023
चर्चा किए गए विषय	पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संचालित परियोजनाओं को बढ़ावा देना
शिक्षा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	03.08.2023
चर्चा किए गए विषय	नई शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	04
बैठकों की तारीखें	24.03.2023, 02.08.2023, 12.08.2023, 15.12.2023
चर्चा किए गए विषय	प्रोजेक्ट चीता, 75@75 रामसर साइटें, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम
विदेश मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	18.05.2023, 05.08.2023, 07.10.2023
चर्चा किए गए विषय	भारत की G-20 अध्यक्षता; भारत-अमेरिका संबंध; जी-20 शिखर सम्मेलन
वित्त मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	19.06.2023, 21.12.2023
चर्चा किए गए विषय	वित्तीय समावेशन-प्रगति एवं संभावनाएँ, सार्वजनिक उद्यमों का प्रदर्शन
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	05
बैठकों की तारीखें	06.02.2023, 02.06.2023, 03.08.2023, 29.11.2023, 07.02.2024
चर्चा किए गए विषय	अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलकृषि का विकास; देश में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और टीकाकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना; पशुधन बीमा, पीएमएमएसवाई और समुद्री मत्स्य पालन विकास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	09.02.2023
चर्चा किए गए विषय	ऑपरेशन ग्रीन्स
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	29.03.2023, 14.07.2023
चर्चा किए गए विषय	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस); पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर (पीएम+एबीएचआईएम)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	31.03.2023, 07.02.2024
चर्चा किए गए विषय	आने वाले दशकों में थर्मल पावर की भूमिका;
गृह मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	07.02.2023, 26.02.2024
चर्चा किए गए विषय	वामपंथी उग्रवाद; केंद्रीय सशस्त्र बलों से जुड़े मामले और जम्मू और कश्मीर का विकास
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	27.03.2023, 22.05.2023, 12.10.2023
चर्चा किए गए विषय	स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत मिशन 2.O; स्मार्ट सिटी मिशन; शहरी परिवहन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	29.03.2023, 21.12.2023, 06.02.2024
चर्चा किए गए विषय	केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन अधिनियम, 1995 और भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कामकाज); एफएम रेडियो- आगे का रोडमैप; भारत में सामुदायिक रेडियो का विकास।
जल शक्ति मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	08.02.2023, 06.07.2023, 07.08.2023
चर्चा किए गए विषय	जल शक्ति अभियान; उत्तर-पूर्वी राज्यों में जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन; डीआरआईपी II और III का कार्यान्वयन और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन के बाद भारत में बांध सुरक्षा प्रतिमान पर चर्चा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	27.03.2023, 10.08.2023, 14.12.2023
चर्चा किए गए विषय	भवन और अन्य निर्माण श्रमिक; वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की कार्यप्रणाली; खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की कार्यप्रणाली
सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	01.03.2023, 07.06.2023, 07.11.2023
चर्चा किए गए विषय	पीएमईजीपी; एमएसई-सीडीपी; राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	03.11.2023
चर्चा किए गए विषय	जैव ईंधन और सीबीजी
विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	05
बैठकों की तारीखें	29.03.2023, 07.07.2023, 14.09.2023, 21.12.2023, 12.02.2024
चर्चा किए गए विषय	वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर जीवाश्म क्षमता के लिए ट्रांसमिशन योजना; मौजूदा पीपीए में थर्मल पावर प्लांटों द्वारा आरई बिजली का बंडलिंग; भारतीय कार्बन बाज़ार रूपरेखा; उपभोक्ताओं के अधिकार नियम; सोलर रूफ टॉप का कार्यान्वयन
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	21.02.2023, 21.12.2023
चर्चा किए गए विषय	हरित पत्तन और हरित पोत परिवहन; तटीय नौवहन नीति
रेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	01.06.2023
चर्चा किए गए विषय	(i) भारतीय रेल में खानपान सेवाएं (ii) भारतीय रेलवे में स्टेशनों का विकास-अमृत भारत स्टेशन योजना;
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	10.04.2023
चर्चा किए गए विषय	1. वाहन स्क्रैपिंग नीति का कार्यान्वयन 2. भारतमाला परियोजना की समीक्षा 3. नई बस पत्तन नीति की प्रस्तुति 4. कोई अन्य मामला जिसे बाद के चरण में जोड़ा जा सकता है
ग्रामीण विकास मंत्रालय; और पंचायती राज मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	23.03.2023, 02.02.2024
चर्चा किए गए विषय	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) 1.0 और 2.0 का वाटरशेड विकास घटक; प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएएमएवाई-जी)
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	04.03.2023, 13.08.2023, 05.02.2024
चर्चा किए गए विषय	यंत्रीकृत सफ़ाई और हाथ से मैला ढोने वाले; (i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित समग्र क्षेत्रीय केंद्र का कामकाज (ii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तपोषक एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी एवं विकास निगम का कामकाज; वरिष्ठ नागरिक।

इस्पात मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	05
बैठकों की तारीखें	06.03.2023, 28.04.2023, 24.07.2023, 23.11.2023, 16.01.2024
चर्चा किए गए विषय	माध्यमिक इस्पात क्लस्टर; लॉजिस्टिक्स इस्पात क्षेत्र; इस्पात सीपीएसई के भूमि पार्सल के उत्परिवर्तन, डिजिटलीकरण और अतिक्रमण पर स्थिति; भारतीय इस्पात की ब्रांडिंग; एनएमडीसी (नगरनार)
वस्त्र मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	02
बैठकों की तारीखें	24.02.2023, 05.04.2023
चर्चा किए गए विषय	तकनीकी कपड़ा-वर्तमान स्थिति और भविष्य का रोडमैप; कपास से संबंधित विकास और हाल की पहलें।
जनजातीय कार्य मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	10.08.2023
चर्चा किए गए विषय	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, एनएसटीएफडीसी योजनाएं और जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका
महिला और बाल विकास मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	01
बैठकों की तारीखें	12.12.2023
चर्चा किए गए विषय	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यप्रणाली
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	
बैठकों की संख्या	03
बैठकों की तारीखें	05.04.2023, 21.12.2023, 07.02.2024
चर्चा किए गए विषय	खेलो इंडिया योजना; मेरा युवा भारत (माय-भारत); खेलों में समावेषण, महिला लीग और पेराखेल।

परिशिष्ट - 10

(देखें पैरा 11.8)

मंत्रालय में 14 से 29 सितंबर, 2023 के दौरान मनाए गए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं का विवरण

क्र.सं	प्रतियोगिता	पुरस्कार विजेता		पुरस्कार
1	**हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता**	1	श्री अनुज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	पहला
		2	श्री जागवेंद्र निरंजन, अनुभाग अधिकारी	दूसरा
		3	श्री राहुल आर्या, कार्यालय सहायक	दूसरा
		4	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		5	श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		6	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
2(i).	**हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता [जी-20 शिखर सम्मेलन, 2023]**	1	श्री अरूण शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी	पहला
		2	श्रीमती अपर्णा यादव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	पहला
		3	श्री अनुज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	दूसरा
		4	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	दूसरा
		5	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		6	श्रीमती अंजु, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	विशेष
2(ii).	**हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता [भारत का चंद्रयान-3 मिशन]**	1	श्री अरूण शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी	पहला
		2	श्रीमती अपर्णा यादव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	दूसरा
		3	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		4	श्री अनुज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		5	श्रीमती अंजु, कनिष्ठ सचिवालयिक सहायक	विशेष
		6	श्री प्रविन्द्र खत्री, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	विशेष
2(iii).	**हिंदी निबंध लेखन प्रतियोगिता [भारत का मिशन आदित्य एल-1]**	1	श्रीमती अपर्णा यादव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	पहला
		2	श्री अरूण शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी	दूसरा
		3	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	दूसरा
		4	श्री अनुज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		5	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		6	श्री प्रविन्द्र खत्री, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	विशेष
3.	**हिंदी टंकण प्रतियोगिता**	1	श्री प्रविन्द्र खत्री, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	पहला
		2	श्री नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	दूसरा
		3	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		4	श्री अविनाश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष
4.	**गैर हिंदी भाषी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता**	1	श्री संजित कुमार दास, अनुभाग अधिकारी	पहला
		2	श्री पी.के. हलदर, अवर सचिव	दूसरा
		3	श्री जोगेंद्र नाथ नायक, निजी सचिव	तीसरा
		4	श्री एन. बालाचंद्रन नायर, कार्यालय सहायक	तीसरा

5.	**हिंदी श्रुतलेखन प्रतियोगिता**	1	श्री पवन कुमार, एम.टी.एस.	पहला
		2	श्री कमल किशोर, एम.टी.एस.	दूसरा
		3	श्री सुधांशु चौधरी एम.टी.एस.	दूसरा
		4	श्री नरेश कुमार, एम.टी.एस.	तीसरा
		5	श्री विष्णु, एम.टी.एस.	विशेष
6.	**हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता**	1	श्रीमती अपर्णा यादव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	पहला
		2	डा. प्रणव भारद्वाज, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	दूसरा
		3	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		4	मो. असदुल्लाह, अनुभाग अधिकारी	विशेष
7.	**हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता**	1	श्रीमती रेखा भारती, वैयक्तिक सहायक	पहला
		2	श्री संजित कुमार दास, अनुभाग अधिकारी	पहला
		3	श्री अनुज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	दूसरा
		4	मो. असदुल्लाह, अनुभाग अधिकारी	तीसरा
		5	श्री चंदन कुमार, अनुभाग अधिकारी	विशेष
		6	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	विशेष

मंत्रालय में हिंदी में मूल टिप्पण-आलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए हिंदी मूल टिप्पण-आलेखन नकद पुरस्कार योजना के पुरस्कार विजेता

क्र.सं	**पुरस्कार विजेता**	**पुरस्कार**
1	श्री भवान सिंह, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	प्रथम
2	श्री राहुल आर्य, कार्यालय सहायक	प्रथम
3	श्री बैजनाथ महतो, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
4	श्री अरूण शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
5	श्री राहुल कुमार अग्रवाल, अनुभाग अधिकारी	द्वितीय
6	श्री मंजेश कुमार कुशवाहा, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
7	श्री पंकज कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
8	श्री जय नारायण, वरिष्ठ सचिवालयिक सहायक	तृतीय
9	श्री अजीत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	तृतीय
10	श्री जागवेंद्र निरंजन, अनुभाग अधिकारी	तृतीय
11	श्री नवनीत भारती, अनुभाग अधिकारी	तृतीय

परिशिष्ट - 11

(देखें पैरा 13.1)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित समितियों, निकायों, परिषदों, बोर्डों आदि पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	समिति का नाम	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	नवोदय विद्यालय समिति		श्री ज्ञानेश तिवारी डा. एम. तंबी दुरै	12/04/2023
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (एनआरएलपीएस) पर सामान्य निकाय	श्री जगदंबिका पाल	श्रीमती रमिलाबेन बारा	12/04/2023
3.	मेट्रो रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (एमआरयूसीसी)	श्री सोमित्रा खान कुमारी देवश्री चौधरी	श्री पी. भट्टाचार्य	12/04/2023
4.	कोंकण रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (के.आर.यू.सी.सी.)	श्री श्रीरंग अप्पा बारने डा. उमेश जी. जाधव श्री फ्रांसिसको कोसमे सरदिन्हा श्री एन.के. प्रेमचंद्रन	श्री धनंजय भीमराव महादिक श्री ईरण्ण कडाडी श्री विनय दिमू तेंदुलकर श्री अब्दुल वहाब	12/04/2023
5.	भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद	 श्री भोला सिंह	डा. कल्पना सेनी	12/04/2023 30/01/2024
6.	शासी निकाय नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन.वाई.के.एस.)		श्री नीरज शेखर	12/04/2023
7.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए केंद्रीय निगरानी समिति	श्री भोला सिंह श्री सदाशिव किशन लोखंडे	श्री मिथलेश कुमार	30/08/2023
8.	मेरा युवा-भारत (MY BHARAT) का संचालक मंडल	श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या श्री पल्लभ लोचन दास	श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े	18/01/2024
9.	**क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति -** **मध्य रेलवे क्षेत्र**	 श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे श्री ज्ञानेश्वर पाटिल श्रीमती पूनम (महाजन) वाजेंदला राव डा. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी श्रीमती नवनीत रवि राणा श्री अरविंद गणपत सावंत	 श्रीमंत छ. उदयनराजे भोंसले श्री धनंजय भीमराव महादिक श्रीमती वंदना चव्हाण	 12.07.2023

	पूर्वी रेलवे क्षेत्र	श्री अर्जुन सिंह श्रीमती लॉकेट चटर्जी श्री शांतुनु ठाकुर श्री निशिकांत दुबे श्री विजय कुमार हांसदाक श्री अधीर रंजन चौधरी श्री गिरिधारी यादव	श्री सुखेंदु शेखर राय श्री पी. भट्टाचार्य श्रीमती मौसम नूर	12.07.2023
	मध्य-पूर्व रेलवे क्षेत्र	श्री अजय निषाद श्री छेदी पासवान श्री जयंत सिन्हा श्री पशुपति नाथ सिंह श्रीमती रमा देवी श्री प्रिंस राज श्री कौशलेंद्र कुमार	श्री विवेक ठाकुर श्री शंभू शरण पटेल राम नाथ ठाकुर	12.07.2023
	पूर्व तटीय रेलवे क्षेत्र	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्रीमती अपराजिता सारंगी श्री भर्तृहरि महताब श्री दीपक बैज श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण श्री पिनाकी मिश्रा श्री किंजरापु राम मोहन नायडू	श्री सुजीत कुमार श्री प्रसन्ना आचार्या श्री जी.वी.एल. नरसिम्ह राव	12.07.2023
	उत्तर रेलवे क्षेत्र	श्री जुगल किशोर शर्मा श्री तीरथ सिंह रावत श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) श्री रमेश बिधूड़ी श्री रमेश चंद्र कौशिक श्री मलूक नागर श्री रवनीत सिंह	श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी डा. अशोक वाजपेयी श्री कार्तिकेय शर्मा	12.07.2023
	उत्तर-पूर्वी रेलवे क्षेत्र	श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन शुक्ला श्री हरीश द्विवेदी श्री अजय टम्टा डा. संधमित्रा मौर्या श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल श्रीमती कविता सिंह श्री राजेश वर्मा	श्री सकलदीप राजभर श्रीमती संगीता यादव डा. राधा मोहन दास अग्रवाल	12.07.2023
	उत्तर-मध्य रेलवे क्षेत्र	श्री देवेंद्र (उर्फ) भोले सिंह श्रीमती संध्या राय श्री राजवीन दिलेर श्री सतीश कुमार गौतम श्री अनुराग शर्मा श्री विनोद कुमार सोनकर श्री पंखुड़ी लाल	श्री हरनाथ सिंह यादव श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा श्री रामगोपल यादव	12.07.2023

	उत्तर-पूर्व फ्रंट्रीयर रेलवे क्षेत्र	श्री तपन कुमार गोगोई श्री खगेन मुर्मु श्री तोखेहो येपथोमी श्री इंद्रा हांग सुब्बा कु. अगाथा के. संगमा श्री संतोष कुमार डा. लोरहो एस. फोज़	श्री नबाम रेबिआ श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा श्री बिरेंद्र प्रसाद वैश्य	12.07.2023
	उत्तर-पश्चिमी रेलवे क्षेत्र	श्री अर्जुन लाल मीना श्री धर्मबीर सिंह श्रीमती जसकौर मीना श्री निहाल चंद चौहान श्री रामचरण बोहरा श्री सुमेधानंद सरस्वती श्री हनुमान बेनीवाल	श्री राजेंद्र गहलोत श्री घनश्याम तिवारी डा. किरोडी लाल मीणा	12.07.2023
	दक्षिणी रेलवे क्षेत्र	डा. टी. सुमति तामिझाची थंगापंडियन श्री कोडिकुन्नील सुरेश श्री एन.के. प्रेमचंद्रन श्री पी.आर. नटराजन श्री रेड्डप्पा नल्लाकोंडा गरी श्री पी रविंद्रनाथ कुमार श्री मद्दिला गुरूमूर्ति	श्री जी.के. वासन श्री एन. चंद्रशेखरन श्री एस. सेल्वागनबेथी	12.07.2023
	दक्षिण-मध्य रेलवे क्षेत्र	श्री प्रतापराव गोविंदराव पाटिल चिखलीकर श्री राजा अमरेश्वर नाईक श्री सोयम बाबू राव डा. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे श्री बालाशोवरी वल्लभानेनी श्री मिधुन रेड्डी श्री नमा नागेश्वर राव	श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला श्री सी.एम. रमेश श्री कनकमेदला रविंद्र कुमार	12.07.2023
	दक्षिण-पूर्वी रेलवे क्षेत्र	श्री विद्युत बरन महतो श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो श्री खान सोमित्रा श्री दिलीप घोष श्री प्रताप चंद्र सारंगी श्री सुनील कुमार मण्डल श्री शिशिर कुमार अधिकारी	श्री आदित्य प्रसाद श्री दीपक प्रकाश श्री समीर उरांव	12.07.2023
	दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे क्षेत्र	श्री संतोष पांडे श्री अशोक महादेवराव नेते श्री अरूण साहू श्री राकेश सिंह श्री सुनील कुमार सोनी श्री नकुल के. नाथ श्री कृपाल बालाजी तुमाने	सुश्री सरोज पांडे डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे श्रीमती फूलो देवी नेताम	12.07.2023

	दक्षिण-पश्चिमी रेलवे क्षेत्र	श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या श्री पर्वतगौडा चंदनगौडा गद्दीगोडर श्री प्रताप सिम्हा श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी डा. डीएनवी सेंनथिलकुमार एस. श्री डोड्डालाहल्ली केंपेगौडा सुरेश श्री कुरूवा गोरांतला माधव	श्री ईरण्ण कडाडी श्री नारायण कोरागप्पा श्री लहर सिंह सिरोया	12.07.2023
	पश्चिमी रेलवे क्षेत्र	श्री विनोद छावडा श्री महेंद्र सिंह सोलंकी डा. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी डा. हीना विजय कुमार गावित श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया श्रीमती पूनमबेन हेमंतभाई माडम श्री अनिल फिरोज़िया	श्री महेश जेठमलानी श्री अमिन नरहरि हीराभाई श्री रामभाई हरजीभाई मोकरिया	12.07.2023
	पश्चिम-मध्य रेलवे क्षेत्र	श्री चंद्र प्रकाश जोशी श्री गणेश सिंह डा. कृष्ण पाल सिंह यादव श्री विवेक नारायण शिजवालकर श्रीमती रिति पाठक श्री सुभाष चंद्र बहेरिया श्री उदय प्रताप सिंह	श्री अजय प्रताप सिंह श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक श्री घनश्याम तिवारी	12.07.2023

परिशिष्ट - 12

(देखें पैरा 13.2)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों पर संसद सदस्यों का नामांकन

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग जिससे हिंदी सलाहकार समिति संबद्ध है	नामांकित संसद सदस्यों के नाम		नामांकन की तारीख
		लोक सभा	राज्य सभा	
1.	रेल मंत्रालय		डॉ. कल्पना सेनी	05/01/2023
2.	विधि और न्याय मंत्रालय		श्री अनिल सुखदेवराव बोंडे	12/04/2023
3.	इस्पात मंत्रालय		श्रीमती सुष्मिता देव	12/04/2023
4.	महिला और बाल विकास मंत्रालय		श्री संगीता यादव	12/04/2023
5.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	श्री सतीश कुमार गौतम	सुश्री कविता पाटीदार श्री जी.के. वासन श्री रवंगवरा नारजारी	24/04/2023 10.07.2023
6.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय		श्री धनंजय भीमराव महादिक	10/07/2023
7.	खान मंत्रालय		श्री किशन लाल पवार	06/07/2023
8.	सहकारिता मंत्रालय	श्री रमेश बिधूड़ी श्री कमलेश पासवान	श्री सुरेंद्र सिंह नागर श्री के. लक्ष्मण	05/07/2023
9.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		श्री बाबुभाई जीसंगभाई देसाई	05/09/2023

परिशिष्ट - 13

(देखें पैरा 13.6)

संसद सदस्यों को स्वीकार्य वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मद	वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं
1.	वेतन	रूपये *1,00,000/- प्रतिमाह (संसद सदस्यों के वेतन और दैनिक भत्ते में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
2.	दैनिक भत्ता	रूपये 2,000/- दिनांक 01/04/2010 से। संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान हर उस दिन, जिस दिन के लिए भत्ते का दावा करना है, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा हस्ताक्षर के उद्देश्य से रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं (बीच में पड़ने वाली छुट्टियों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसे हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है)।
3.	अन्य भत्ते	दिनांक 01/04/2018 से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रूपये *70,000/- प्रतिमाह की दर से और कार्यालय व्यय भत्ता रूपये 60,000/- प्रतिमाह की दर से, जिसमें से रूपये *20,000/- लेखन सामग्री इत्यादि और डाक संबंधी मदों पर व्यय के लिए होंगे; और लोक/राज्य सभा सचिवालय सदस्यों द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए रखे गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को रूपये 40,000/- प्रतिमाह तक का भुगतान करेगा और एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंम्प्यूटर प्रशिक्षित होगा। (इन भत्तों में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।)
4.	टेलीफोन	दिल्ली के आवास, निर्वाचन क्षेत्र के आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रयोजनार्थ सभी तीनों टेलीफोनों को मिलाकर प्रतिवर्ष 1,50,000 नि:शुल्क कॉल। ट्रंक कॉल के बिलों को प्रति वर्ष 1,50,000 स्थानीय कॉल की धनराशि की सीमा के अन्दर रहते हुए समायोजित किया जाएगा। इससे ज्यादा की गई कॉलों को, जो निर्धारित कोटा से अधिक होंगी, अगले वर्ष के कोटे में समायोजित करने की अनुमति दी जाएगी। जो सदस्य उनको उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग नहीं करते हैं तो जब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं, उनकी अप्रयुक्त शेष टेलीफोन कॉलों को आगे जोड़ दिया जाएगा। सदस्य उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों का उपयोग करने के लिए कितनी भी संख्या में, दिल्ली में अपने आवास तथा निर्वाचन क्षेत्र में, टेलीफोनों का प्रयोग करने के हकदार हैं बशर्ते कि टेलीफोन उनके अपने नाम पर होना

		चाहिए तथा उन्हें उपलब्ध तीन टेलीफोनों के अतिरिक्त अन्य टेलीफोनों को लगाने और उनका किराया सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सदस्य महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड, से राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित दो मोबाइल फोन (एक दिल्ली में और दूसरा निर्वाचन क्षेत्र में) अथवा जहां महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, किसी अन्य निजी मोबाईल आपरेटर द्वारा मोबाईल फोन का प्रयोग उन्हें उपलब्ध कुल नि:शुल्क स्थानीय कॉलों के लिए कर सकता है, बशर्ते कि निजी मोबाईल फोन के लिए पंजीकरण और किराया प्रभार सदस्य द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। एक सदस्य प्रति वर्ष वापिस की गई दस हजार कॉल के स्थान पर उपरोक्त तीन टेलीफ़ोन में से किसी एक पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड/भारत संचार निगम लिमिटेड से ब्रॉडबैंड सुविधा प्राप्त करने का भी हकदार है। इसके अतिरिक्त एक सदस्य दिल्ली निवास पर वाईफाई सेवाओं के साथ हाई स्पीड एफ.टी.टी.एच. का लाभ भी उठा सकता है बशर्ते कि इस सुविधा के प्रभार के लिए सरकार द्वारा सीधे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को केवल रू.2,200/- प्रतिमाह तक भुगतान किया जाएगा।
5	आवास	नि:शुल्क किराए वाले फ्लैट (होस्टल आवास सहित)। यदि कोई सदस्य बंगला आवास का हकदार है और यदि उसके अनुरोध पर उसे बंगला आबंटित किया जाता है, तो वह पूरे साधारण किराए का भुगतान करेगा। नव निर्वाचित संसद सदस्य यदि निर्वाचन आयोग द्वारा उसके निर्वाचन की अधिसूचना के प्रकाशन से पहले दिल्ली पहुंच जाता है तो वह पारगमन आवास का हकदार है। फर्नीचर की आर्थिक सीमा - रूपये 1,00,000/- (रूपये 80,000/- स्थायी फर्नीचर + रूपये 20,000/- गैर-स्थायी फर्नीचर के लिए)। (इसमें दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) प्रत्येक तीन महीने में सोफा कवर और पर्दों की नि:शुल्क धुलाई। संसद सदस्य द्वारा मांग किए जाने पर स्नानघर, रसोईघर में टाईल्स लगवाना।
6.	पानी और बिजली	प्रत्येक वर्ष जनवरी से बिजली की प्रतिवर्ष 50,000 यूनिटें (लाईट/पावर प्रत्येक मीटर पर 25,000 यूनिट अथवा दोनों को मिलाकर) और प्रतिवर्ष 4,000 किलो लीटर पानी। जिन संसद सदस्यों के आवास पर पावर मीटर नहीं लगा है उन्हें लाइट मीटर पर 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष की अनुमति।

		अप्रयुक्त बिजली और पानी की यूनिटों को अगले वर्षों में ले जाया जाएगा। अधिक उपयोग की गई यूनिटों को अगले वर्ष के कोटा में समायोजित किया जाएगा। यदि पति और पत्नी दोनों संसद सदस्य हैं और एक ही आवास में रहते हैं तो बिजली और पानी की यूनिटों के नि:शुल्क उपभोग की संयुक्त हकदारी। सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु होने पर सदस्य अथवा उसके परिवार को एक महीने के भीतर उस वर्ष में बिजली और पानी की शेष यूनिटों का उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
7.	चिकित्सा	केन्द्रीय सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्राप्त सुविधाओं के समकक्ष चिकित्सा सुविधाएं।
8.	वाहन अग्रिम	दिनांक 01/10/2010 से उस ब्याज दर पर जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है, रूपये 4,00,000/- जिसे अधिकतम 5 वर्ष या सदस्य के कार्यकाल की शेष अवधि के भीतर वापिस लिया जाएगा।
9.	यात्रा भत्ता	**रेल:** यात्रा भत्ते का भुगतान बंद कर दिया गया है। शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य उसी श्रेणी में, जिस श्रेणी में वह यात्रा करता है, एक सहयात्री का हकदार होगा। **वायुयान**: एक यात्री भाड़े के बराबर राशि। इसके अलावा नेत्रहीन/शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य के मामले में एक सहयात्री के लिए भी वायुयान भाड़ा। **स्टीमर** : स्टीमर की उच्चतम श्रेणी के लिए एक यात्री भाड़े के समान राशि (बिना भोजन के)। **सड़क** : (i) रूपये 16/- प्रति किलो मीटर (दिनांक 1.10.2010 से) (ii) दिल्ली के आवास से दिल्ली हवाई अड्डा जाने और हवाई अड्डा से आवास पर आने के लिए न्यूनतम रूपये 120/- (iii) जब स्थान मेल, एक्सप्रैस और सुपरफास्ट रेल से नहीं जुड़े हों तो सड़क यात्रा भत्ता। (iv) बजट सत्र के मध्यान्तर के दौरान विभागीय स्थायी समिति की दो बैठकों के बीच संक्षिप्त अन्तराल के दौरान वायुयान यात्रा (यात्राओं) के लिए यात्रा भत्ता, एक वायुयान भाड़े तक सीमित + अनुपस्थिति के दिनों के लिए दैनिक भत्ता। (v) पत्नी/पति द्वारा जब सदस्य के साथ यात्रा नहीं की जा रही हो, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा आने-जाने के लिए वर्ष में यथा अनुज्ञेय यात्राएं करने हेतु सड़क मील भत्ता (vi) दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रहने वाले सदस्य सडक द्वारा यात्रा कर सकते हैं और 16 रूपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क-मील भत्ते का दावा कर सकते हैं (vii) अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर-पूर्वी राज्यों के सदस्य/पति या पत्नी निर्वाचन क्षेत्र/राज्य में अपने आवास से निकटतम हवाई अड्डे तक सड़क द्वारा यात्रा कर सकते हैं (viii) शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को रेल/हवाई यात्रा के बदले सड़क द्वारा यात्रा की अनुमति है।

10.	यात्रा सुविधा	(i) संसद सदस्य को किसी भारतीय रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल पास। पति/पत्नी भी संसद सदस्य के साथ उसी श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। (ii) सहयात्री भी संसद सदस्य के साथ वातानुकूलित दो टीयर में यात्रा कर सकता है। (iii) जिस संसद सदस्य की पत्नी/पति नहीं है वे अपने साथ वातानुकूलित दो टीयर में अनुमत सहयात्री के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने साथ वातानुकूलित प्रथम श्रेणी/एक्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जा सकते हैं। (iv) संसद सदस्य और उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को लद्दाख से दिल्ली आने और जाने के लिए वायुयान यात्रा। (v) अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के संसद सदस्य को तथा उनकी पत्नी/पति अथवा एक सहयात्री को द्वीप और मूख्यभूमि के बीच आने जाने के लिए वायुयान यात्रा की सुविधा। (vi) नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अक्षम संसद सदस्य वातानुकूलित दो टीयर में सहयात्री के स्थान पर अपने साथ, जिसमें वह स्वयं यात्रा कर रहा हो, वायुयान यात्रा/रेल यात्रा में एक परिचर को ले जा सकता है। (vii) भारत में किसी एक स्थान से किसी अन्य स्थान की अकेले या पत्नी/पति या किसी भी संख्या में सहयात्री या रिश्तेदारों के साथ वर्ष में 34 एकल वायुयान यात्राएं उक्त सीमा के अन्दर। (viii) अगले वर्ष की हकदारी में 8 अतिरिक्त हवाई यात्राओं का समायोजन (ix) अप्रयुक्त हवाई यात्राओं को उत्तरवर्ती वर्ष में ले जाना (x) एक वर्ष में सदस्य को उपलब्ध 34 वायुयान यात्राओं के बदले संसद सदस्य की पत्नी/पति अथवा सहयात्री वर्ष में 8 बार सदस्य के पास जाने के लिए एकल यात्रा कर सकता है। (xi) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष्यद्वीप के संसद सदस्य और उसकी पत्नी/पति/सहयात्री के लिए स्टीमर का उच्चतम श्रेणी का स्टीमर पास (भोजन शामिल नहीं है) (xii) जहां आवास का प्रायिक स्थान रेल, सड़क या स्टीमर द्वारा अगम्य हो, उस निकटतम स्थान जहां रेल सेवा उपलब्ध है, के बीच आने-जाने के लिए हवाई यात्रा (xiii) संसद सदस्य के रूप में उन्हें उपलब्ध हवाई यात्राओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य किसी भी एयरलाइन्स से यात्रा कर सकते हैं।
11.	सदस्य की पत्नी/पति को यात्रा सुविधा	संसद सदस्य के पति/पत्नी को सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किसी भी रेल से कितनी भी बार यात्रा करने की अनुमति दी गई है। जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने और वापिस जाने के लिए वायुयान से या आंशिक रूप से वायुयान से और आंशिक रूप से रेल से यात्रा करने की अनुमति इस शर्त के अधीन रहते हुए दी गई है कि ऐसी हवाई यात्राओं की कुल संख्या एक वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी। जब संसद का सत्र चल रहा हो और सदस्य की पत्नी/पति द्वारा ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सड़क से तय किया जाता है तो रू.16/- प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ते की अनुमति दी जाती है।

		जब संसद का सत्र चल रहा हो और ऐसी यात्रा या उसका कोई भाग सदस्य के प्रायिक निवास के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से तय किया जाता है तो सदस्य की पत्नी/पति वास्तविक वायुयान भाड़े के बराबर धनराशि का अथवा प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली आने अथवा वापिस जाने के लिए वायुयान भाड़े की राशि, जो भी कम हो, के हकदार हैं।
12.	दिवंगत संसद सदस्य के परिवार को सुविधाएं	किसी दिवंगत सदस्य के परिवार को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं: (क) ऐसे सदस्य की मृत्यु की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए सरकारी आवास। (ख) सदस्य की मृत्यु की तारीख से दो माह से अनधिक अवधि तक टेलीफोन सुविधाएं।

परिशिष्ट - 14
(देखें पैरा 13.6)

पूर्व संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुविधाएं

क्र.सं.	मद	स्वीकार्यता
1.	पेंशन	(i) प्रत्येक व्यक्ति, जो अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में अथवा संसद के किसी भी सदन का कितनी भी अवधि के लिए सदस्य रहा हो, को रूपये 25,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और पांच वर्ष से अधिक संसद की सदस्यता के प्रत्येक वर्ष के लिए बिना किसी अधिकतम सीमा के रूपये 2,000/- प्रतिमाह अतिरिक्त पेंशन। (ii) अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के लिए नौ मास अथवा उससे अधिक की अवधि की गणना एक पूर्ण वर्ष के समतुल्य की जाती है। (पूर्व सांसदों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01.04.2023 से शुरू करते हुए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) के अंतर्गत उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी।) (iii) पूर्व संसद सदस्यों को पेंशन बिना किसी अधिकतम सीमा के कुल मिलाकर किसी भी अन्य पेंशन को देखे बिना अनुमत होगी।
2.	परिवार पेंशन	दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य की पत्नी/पति/आश्रित को उस पेंशन की आधी के बराबर परिवार पेंशन जो संसद सदस्य को उसकी मृत्यु के समय मिल रही होती - पत्नी/पति को आजीवन (केवल उस स्थिति को छोड़कर जब पत्नी/पति पूर्व सांसद हो) और आश्रित व्यक्ति को तब तक जब तक वह आश्रित बना रहता है।
3.	यात्रा सुविधा	(i) पूर्व संसद सदस्य, संसद के संबंधित सचिवालय द्वारा रेल यात्रा करने के संबंध में जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर, एक सहयात्री सहित भारत में एक स्थान से किसी भी दूसरे स्थान तक वातानुकूलित 2 टीयर में नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा के हकदार हैं। (ii) किसी भी रेलवे में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में किसी भी रेल से अकेले यात्रा करने के हकदार। (iii) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप से संबंधित सांसदों को द्वीप और भारत की मुख्यभूमि के बीच स्टीमर सुविधा।
4.	चिकित्सा सुविधाएं	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए शहरों में रहने वाले पूर्व सांसदों पर उतनी ही दर पर अंशदान का भुगतान करने पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है जिस दर पर वे संसद सदस्य के रूप में भुगतान कर रहे थे। यह सुविधा महानिदेशक (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

5.	समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को सुविधाएं	दिनांक 26.04.1999 से समय से पूर्व भंग लोक सभा के सदस्यों को शेष अप्रयुक्त (i) नि:शुल्क 1,50,000 टेलीफोन कॉल, (ii) 50,000 यूनिट बिजली, और (iii) 4,000 किलोलीटर पानी को लोक सभा के भंग होने की तारीख से नई लोक सभा के गठन की अवधि के बीच प्रयोग करने की अनुमति है। ऐसी यूनिटों की अधिक खपत की स्थिति में, यदि सदस्य नई लोक सभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे पहले वर्ष में जो कोटा उपलब्ध होगा उसमें अधिक की गई खपत को समायोजित करने की अनुमति होगी।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन

राष्ट्रीय युवा संसद योजना